

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 सितम्बर, 1982

खंड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 22 सितम्बर, 1982

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये	(3) 23

तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर	
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(3) 28
स्पष्टीकरण	
मुख्यमन्त्री द्वारा यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ता के बारे में छपे समाचार संबंधी	(3) 31
ध्यानाकर्षण सूचना	
अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध न होने तथा फसलो का मुआवजा देने संबंधी	(3) 33
वक्तव्य	
राजस्व मन्त्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण सूचना संबंधी	(3) 33
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(3) 36
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(3) 37
दि हरियाणा एप्रोप्रिए 1न (तं0 4) बिल, 1982	(3) 37

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 22 सितम्बर, 1982

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9,30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारासिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Prevention of Malaria

***8. Shrimati Chandravati :** Will the Minister for Health be pleased to state:-

(a) the expenditure incurred to control Malaria in the State during the year 1979-80 and 1980-81 together with the details of result achieved;

(b) whether any cases of purchase of ineffective insecticides, which failed to destroy mosquitos, required for the purpose referred to in part (a) above, have come to the notice of the Government during the said period; and

(c) if so, the action taken in the matter?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी)

(क)	1979-80	217.60 लाख रूपये
	1980-81	362.18 लाख रूपय

वर्ष 1979-80 मे वर्ष 1978-79 के मुकाबले मलेरिया रोगियों की संख्या में 37.68 प्रति ात तथा वर्ष 1980-81 में वर्ष 1979-80 की अपेक्षा 32.4 प्रति ात की कमी हुई

(क)	जी नहीं।
(ख)	इसका प्र न नहीं उठता।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मिनिस्टर महोदया ने फिगगर्ज गलत दी हैं। मलेरियां बढ़ा हैं, घटा नहीं।

मुख्य मन्त्री(चौधरी भजन लाल): माननीय सदस्या बहुत पुरानी और तजुर्बेकार मैम्बर हैं। कुछ दिनों इतफाक से मिनिस्टर भी रही हैं। उनका यह कहना ठीक नहीं कि आंकड़े गलत दिये है। वे साबित करें कि किस आधार पर गलत है।

श्रीमती चन्द्रावती: आप मेरे बारे में तो यह कहते हैं कि इतफाक से मिनिस्टर रही हैं और कैसे बने हुए हैं?

चौधरी भजन लाल: हम भी इतफाक से ही हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: मैं कह रही हूँ कि गांवों और भाहरों में मलेरियां बढ़ा हैं, घटा नहीं हैं, इसलिए ये फिगर्ज गलत दी हैं।

चौधरी भजन लाल: आप आकड़ें दे कर साबित करें कि फलां साल में इतने आंकड़ें थे और फलां साल में इतने बढ़ गये तब तो हम माने कि फिगर्ज गलत हैं। वैसे ही कह देने से फिगर्ज गलत नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष: आप आकड़ों से साबित करें कि फिगर्ज गलत दी है।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मिनिस्टर महोदया ने अपने जवाब में कहा है कि वर्ष 1979-80 में वर्ष 1978-79 के मुकाबले मलेरिया रोगियों की संख्यां में 37.68 प्रति तत तथा वर्ष 1980-80 की अपेक्षा 32.4 प्रति तत की कमी हुई। मैं मिनिस्टर महोदया से जानना चाहता हूँ कि क्या सन् 1980-81 से 1981-82 में भी मलेरियां कम हुआ है या ज्यादा हुआ है।

श्रीमति प्रसन्नी देवी: सन 1981 में 3,05,690 केसिज हुए औरप 1982 मे 31 जुलाई तक 86,701 केसिज हुए। फिगर्ज कह हुई हैं, ज्यादा नहीं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री महोदया, बताने का कष्ट करेंगी कि जों मच्छर मारने की दवाईयां ईजाद हुई है, उनसे मच्छर इम्युन हो चुके हैं और उनके स्थान पर अब कौन सी दवाईयां इस्तेमाल होती हैं?

श्रीमति प्रसन्नी देवी: मच्छर मारने के लिए डी0डी0टी0, बी0एच0सी0 और मैलाथीन को इस्तेमाल किया जाता है।

श्री फतेह चन्द विज: क्या मंत्री महोदया बताने को कष्ट करेंगी कि उन्होंने जो आकड़े दिये हैं, वे भाहर में जो मरीज हस्पताल में दाखिल हुए, उनके आधार पर दिये है या गांव के आकड़ें भी कलैक्ट करके दिये है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। वे हर 15 दिन के बाद गावों में जाते हैं। अगर कोई बिमार होता है तो उसको टैस्ट करते हैं, दवाई देते हैं। उसी के आधार पर भाहरों और गावों की मिली जुली रिपोर्ट होती है।

डा0 मंगल सैन: क्या मंत्री महोदया मे नोटिस में है कि अब मलेरिया और टाइफाइड के बीच की एक नई बीमारी चली है, जिसकी वजह से काफी लोग बीमार हैं? उसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्रीमति प्रसन्नी देवी: यह सवाल मलेरिया से सम्बन्धित है। इसके लिए अलग से नोटिस दें।

श्री अध्यक्ष: इस बीमारी के बारे में मैंने भी पढ़ा है। अगर आप रोक-थाम के विषय में जानकारी चाहते हैं तो अलग से नोटिस दें।

चौधरी भजन लाल: चाहे मलेरिया हों, टाइफाइड हो या अन्य बीमारी हों, हैल्थ डिपार्टमेंट का सारा स्टाफ सतर्क रहता है। जो भी कार्यवाही करनी चाहिए, की जाती है। डाक्टर साहब ने जो कुछ भी कहा है, उसके बारे में सरकार जागरूक है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ताकि कम से कम लोग बीमार हों।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या यह फैक्ट है कि आज से दस साल पहले मलेरिया करीब करीब खत्म हो चुका था लेकिन अब दुबारा फिर फैल गया है? क्या सरकार ने दस बरों में जांच करवायी है और इसे खत्म कराने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं?

श्रीमति प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, जब कोई बीमारी फैल जाती है तो उसके लिए सरकार कदम उठाती है। जैसे मैंने तीन दवाइयों का अभी जिक्र किया। बाहरों में तेल छिड़काव करते हैं। जगह-जगह पर हमारे सैंटर हैं, वहां टैस्ट करते हैं। लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। सो ल वर्कर्स, सरपंच और अन्य कर्मचारियों का ट्रेनिंग देते हैं ताकि मलेरिया न फैल पाये। सरकार पूरी तरह जागरूक है।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, सन् 1977 में मलेरिया की वजह से 6,39,063 व्यक्ति बीमार हुए, 1978 में 7,08,881 1979 में 4,36,420 व्यक्ति, 1980 में 2,09,334 व्यक्ति, 1981 में 3,05,690 व्यक्ति और 1982 में जुलाई तक 86,701 व्यक्ति बीमार हुए। सन् 1978 के मुकाबिले में हमने इस बिमारी को काफी हद तक कन्ट्रोल करने की कोशिश की है।

Transfers of Officers /Official of Health Department posted in Pehowa Constituency

***64. Chaudheri Sahab Singh Saini:** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that transfers of a large number of officers/Officials of Health Department posted in Pehowa constituency of District Kurukshetra were made during the months of July and August, 1982; if so, the reasons for transfers on such a mass scale; and

(b) whether it is also a fact that transfers of some of the officers/official] out of those referred to in part (a) above were later on stayed/cancelled; if so, the reasons therefore?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री मति प्रसन्नी देवी):

(क) लम्बे-चोड़े स्थानांतरण नहीं हुये।

(ख) हां। प्रशासनिक कारणों से।

चौधरी साहब सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने अपने जवाब में यह कहा है कि पेहवा हल्के में कोई लम्बे-चौड़े स्थानान्तरण नहीं हुए हैं। मैं इनसे एक बात यह पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर कुल कितने ट्रांसफर्ज हुए हैं, दूसरे क्या कारण यह तथ्य नहीं है कि वहाँ पर वैटर्नरी हास्पिटल में कुछ स्टाफ को और इसी तरह से एक लेडी डाक्टर को स्थानान्तरण किया गया है?

श्रीमति प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, मैम्बर साहब को यह पता होना चाहिये कि वैटर्नरी हास्पिटल स्वास्थ्य विभाग के तहत नहीं आते हैं। मैं इनको यह बताना चाहती हूँ कि पेहवा हल्के में कुल 9 ट्रांसफर्ज किये गये हैं।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने यह कहा है कि केवल मात्र 9 ट्रांसफर्ज किये गये हैं। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि इनमें से कितने रोके गये हैं और किस आधार पर रोके गये हैं? इन्होंने अपने रिटन रिप्लाय में तो यह कह दिया है कि कोई लम्बे-चौड़े स्थानान्तरण नहीं हुए हैं। "ज्यादा" तो समझ में आ सकते हैं लेकिन "लम्बे-चौड़े" कहना समझ में नहीं आता। इसी सवाल के पार्ट (बी) के जवाब में इन्होंने यह कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड्स पर रोके गये हैं। क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि वह किसी कि विधिम की वहज से रोके गये हैं या किसी दूसरे कारणों से रोके गये हैं?

श्रीमति प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, तीन ग्राउन्डज पर ट्रांसफर्ज होते हैं, लम्बी अवधि, कपल केस या रिटिकायत। इसके अलावा अगर किसी को दूसरी जगह लगाना पब्लिक इन्ट्रैस्ट में हो तो भी ट्रांसफर किया जा सकता है। हमने इनमें से केवल 3 ट्रांसफर्ज रोके हैं। एक तो लेडी डाक्टर हैं, एक श्री ओम प्रकाश, जिसे पेहोवा से अम्बाला ट्रांसफर किया गया था, इनका ट्रांसफर लोंगर स्टे होने की वजह से किया गया था लेकिन उनकी दरखास्तें आने पर उनकी मजबूरियों को देखते हुए इनको रोक दिया गया है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से एक जानकारी लेना चाहता हूँ। अभी मन्त्री महोदया ने अपने जवाब में यह बताया है कि स्थानान्तरण करते समय लोंगर स्टे और रिटिकायत को भी ध्यान में रखा जाता है। स्पीकर साहब, महेन्द्रगढ़ हस्पताल के बारे में 10 तारीख के ट्रिब्यून में "हास्पिटल अन्डर क्लाउड" के हैडिंग के तहत एक खबर छपी थी और पहले एक डाक्टर ने पोस्टमार्टम करना रोक दिया था लेकिन अभी तक उस डाक्टर को ट्रांसफर नहीं किया गया? क्या मन्त्री महोदया इस बात को ध्यान में रखते हुए कंसर्ड डाक्टर के खिलाफ कोई एक्शन लेगी?

Mr. Speaker: This has no relevancy to the question being answered.

Shri Ram Bilas Sharma: Sir, it is concerned with this very question. (Interruptions)

श्री अध्यक्ष: मैं उनको जवाब देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता क्योंकि यह सवाल में सवाल से सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान व भाोर)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मिनिस्टर महोदया एक पुरानी लैजिस्लेटर हैं, अगर वे जवाब दे सकती हैं तो दे लेने दीजिये। (व्यवधान व भाोर)

श्री राप बिलास भार्मा: मन्त्री महोदया, ने यह बताया है कि लोंगर स्टे और िाकायत को ध्यान रखते हुए ट्रांसफर्ज किये जाते हैं तो महेन्द्रगढ़ में िाकायत को ध्यान रखते हुए ट्रांसफर्ज क्यों नहीं किये गये। (व्यवधान व भाोर)

श्रीमति प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, इसके लिये अलग से नोटिस दे दें, जो भी बात यह पूछेंगे, हम बता देंगे और अगर इनको िाकायत होगी तो उसको भी दूर करेंगे।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदया यह बताने का कश्ट करेंगी कि क्या यह तथ्य है कि जिन लोगों ने आज के कुछ मंत्रियों और एम०एल०एज० की चुनावों में मुखालफित की थी, उनकी ट्रांसफर्ज इनके कहने पर की गई? क्या यह तथ्य नहीं है कि चौधरी लाल सिंह के कहने पर उनके चुनाव क्षेत्र में ट्रांसफर्ज किये गये हैं। (व्यवधान व भाोर)

लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह): आपके कैंडीडेट भूषण के कहने पर बदले गये हैं। (व्यवधान व भाोर)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी से एक बात बड़ी ही सीरीयसली पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात गलत नहीं है कि एक मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्री को यह कहा था कि मुझे जान का खतरा है और इनके कांग्रेस का ही आदमी इनको कत्ल करवाने की कोशिश कर रहा है? यह आम जनता में एक मजाक का मजबून बना हुआ है कि सिक्योरिटी होते हुए भी एक मंत्री ऐसा कह रहा है। क्या इस बात पर रोक लानी डालेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है?

चौधरी लाल सिंह: यह तो मियां-बीवी का झगड़ा होता ही रहता है।

डा० मंगल सैन: अगर यह मियां-बीवी का झगड़ा है, तो मैं दखल नहीं देता। अगर कांग्रेस वाले अब आपस में मियां-बीवी चेंज हो गये हैं तो कोई बात नहीं है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, जहाँ तक ट्रांसफर का ताल्लुक है, कोई भी ट्रांसफर बदले की भावना से नहीं की गई है। अगर वही से कोई शिकायत आये या फिर लोगर स्टे हो, तब ट्रांसफर की जाती है। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लाल: जी हाँ। आप कोई शिकायत नोटिस में लायेंगे, तो उसका कोई न कोई इलाज अवश्य करेंगे।

जहां तक ट्रांसफर्ज को सम्बन्ध है, जैसे मंत्री महोदया ने बताया है वह आम तौर पर तभी की जाती हैं यदि कोई शिकायत हो या किसी को लोंगर स्टे हो।

Out of order Transformers in the State

***18 Chaudheri Kundan Lal:** Will the Minister for Irrigation & Power pleased to State—

(a) the number of transformers which were out of order in the State as on 01-09-1982 together with the number out of those which remained as such during the last six months and one year separately;

(b) the reasons for not getting the transformers, as referred to in part (a) above, repaired immediately;

(c) whether any of the transformers, referred to in part (a) above have been repaired/replaced and are in working order at present; and

(d) the number of transformers required by the Haryana State Electricity Board at present together with the total cost thereof and the time by which these are likely to be procured?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला):

(क) दिनांक 01-09-1982 तक क्षतिग्रस्त हुए ट्रांसफार्मरों की संख्यां 424 है तथा पिछले छः मास और एक वर्ष में कोई ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं है जो क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा हो।

(ख) क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को भीघ ही समीपवर्ती वर्क गाप में भेज दिया जाता है और उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को दूर करने के लिये क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के स्थान पर स्टोक से नये/ठीक ट्रांसफार्मर लगा दिये जाते है और मुरम्मत वर्क गाप में आये क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की यथा समय मुरम्मत कर दी जाती है।

(ग) अब अर्थात् दिनांक 01-09-1982 से 16-09-1982 तक एक सौ ट्रांसफार्मरों की मुरम्मत की जा चुकी है। इन ट्रांसफार्मरों को पहले ही क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को परिवर्तित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिया जाता है और ये चालू हालत में है।

(घ) चालू वर्ष में कनैक्टान देने तथा क्षतिग्रस्त यूनितों को बदलने के लिए 6,000 ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता है। बोर्ड 3,113 यूनितों के लिये आदेश जारी कर चुका है। भोश प्रप्ति के लिये कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा इसी महीने के अन्दर रूप दे दिया जाएगा। जिस पर लगभग 5.4 करोड़ अनुमानित लागत आने की आशा की जाती है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि पिछले छः मास और एक वर्ष से कोई ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं है जो क्षतिग्रस्त हालत में पडा हो। क्या यह बात उनके नोटिस में हैं कि दो-दो, तीन-तीन और चार-चार महीने तक ट्रांसफार्मर्ज जले पडें रहते हैं जिनकी वजह से कन्ज्यूमर्ज को काफी नुकसान होता है। यदि उनके नॉटिस में एसी बात है तो क्या कोई राहत देता है।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, जो ट्रांसफार्मर्ज जल जाते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट की जाती हैं। उसके लिये बाकायदा हमने सर्कल में, सब-डिविजन में और डिविजनों में रजिस्टर लगा रखे हैं। जिस डैट को ट्रांसफार्मर जल जाता है, उसी प्रोयोरिटी के हिसाब से जब ट्रांसफार्मर्ज मुरम्मत होकर आते रहते हैं, उनको रिप्लेस करते रहते हैं। मुआवजा देने या राहत देने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह है कि कंज्यूमर्ज को ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से जो बिजली नहीं मिलती, उसकी वहज से उनकी फसलें मर जाती हैं। क्या कोई राहत पुहंचाने की कोर्िा की जाती है ताकि उनका नुकसान न हो?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, जब कोई ट्रांसफार्मर्ज जल जाता है तो वहां पर नया ट्रांसफार्मर न

रिप्लेस हो जाये तब तक वहां के कंज्यूमर्ज को किसी दूसरे ट्रांसफार्मर के साथ लगाने के पूरे-पूरे प्रयत्न किये जाते हैं।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूँ। हरियाणा में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर जब बिजली के कनेक्टान दिये गये तो उस समय डिमान्ड कम होने की वजह से वहां पर छोटे ट्रांसफार्मर्ज लगाये गये थे। अब चूंकि कनेक्टानज के लिए बहुत मांग आ रही है इसलिये वहां पर ट्रांसफार्मर्ज उतना लोड उठा नहीं पाते। क्या मंत्री महोदय वहां पर नये और बड़े ट्रांसफार्मर्ज लगाने को विचार करेंगे?

चौधरी भामे र सिंह सुरजेवाला: यह बात तो हम निरन्तर करते रहते हैं। जहां-जहां पर ट्रांसफार्मर्ज पर लोड बढ़ जाता है, उनको हम रिप्लेस करके वहां पर बड़े ट्रांसफार्मर्ज लगाते रहते हैं तभी वहां पर नये कनेक्टानज दिये जाते हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: मंत्री महोदय ने बताया है कि जिस कंज्यूमर का ट्रांसफार्मर रिप्लेस नहीं होता तब तक हम उनको दूसरे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देते हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन कंज्यूमर्ज को आप क्या राहत देते हैं जिनको आप दूसरे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट नहीं करते हैं?

चौधरी भामे र सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं इनका मतलब नहीं समझा कि ये राहत में क्या चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: राहत से इनका मतलब यह है कि अगर किसी कंज्यूमर को पन्द्रह दिन तक बिजली नहीं मिली हो क्या उसको बिजली के बिल में कुछ राहत देंगे?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड और सरकार इस बात का भरसक प्रयत्न करती है कि जल्दी से जल्दी मरम्मत करवा कर या नया ट्रांसफार्मर लगा दे। इसलिए बिजली बोर्ड ने छः हजार ट्रांसफार्मर्ज खरीदने का आर्डर दिया है और ये जल्दी ही स्टॉक में आ जाएंगे। बहुत ज्यादा दिनों तक किसी भी कंज्यूमर को ट्रांसफार्मर के लिए इन्तजार नहीं करना पड़ता इसलिए बिल में हम राहत नहीं देते।

श्री हीरा नन्द आर्य: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर दो-तीन महीने तक ट्रांसफार्मर रिप्लेस न हो तो क्या बिजली के बिल में कुछ राहत दी जाएगी?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय ने क्लीयर जवाब दिया है कि बिल में राहत देने का तो कोई सवाल नहीं है।

श्री कंवल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर किसी को पन्द्रह दिन बिजली नहीं मिलती तो क्या उस कंज्यूमर को कम्पनसेट किया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय कहा कि कम्पनसेट नहीं करते।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, अगर कोई हार्डिाप को केस मेरे नोटिस में लाएंगे तो उस पर जरूर विचार कर लेंगे।

चौधरी हुकम सिंह फोगाट: मंत्री महोदय ने बताया है कि जो ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है उसका वर्क ाप में भेज दिया जाता है और उसकी जगह दूसरा रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करने के लिये कोई टाईम लिमिट है कि कितने दिन के अन्दर-अन्दर जरूर रिप्लेस कर दिया जाएगा? छः-छः महीने तक ट्रांसफार्मर रिप्लेस नहीं होता। मेरी कांस्टीचूएन्सी में बत्तीस ट्रांसफार्मर जले हुए हैं लेकिन वे रिप्लेस नहीं किए गए हैं। कंज्यूमर्ज को जवाब यह दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर नहीं हैं।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैम्बर साहेबान जनरल बात कर रहे हैं अगर कोई स्पैसिफिक बात करें तो हैल्पफुल होगा। अध्यक्ष महोदय, एक भी ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं है जो छः महीने से जला पड़ा हो। सारी स्टेट मे 35 हजार डिस्ट्रीब्यू ान ट्रांसफार्मर्ज हैं। हमारे पास तीन वर्क ाप हैं। एक वर्क ाप में नए ट्रांसफार्मर भी बनते हैं और सरकार बाहर से भी खरीदती है। हम कोिाा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर दिया जाए।

श्री देवी दास: मन्त्री महोदय ने बताया है कि 424 ट्रांसफार्मर खराब है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये 424 ट्रांसफार्मर एक ही कम्पनी है या अलग-अलग कम्पनीज के हैं और जो 3,113 ट्रांसफार्मर्ज को आर्डर प्लेस किया है क्या यह वही फ़ैक्टरी तो नहीं हैं जिसके पहले ही खराब ट्रांसफार्मर्ज हैं?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जो 424 ट्रांसफार्मर्ज डैमेज्ड है और जो रिप्लेस नहीं हो सकें हैं, व किसी एक ही फ़ैक्टरी के नहीं हो सकते। जो नए ट्रांसफार्मर्ज खरीदन के तीन कम्पनियों को आर्डर दिए हैं। इनमे से एक कम्पनी हरियाणा की हैं और दो कम्पनीज बाहर की है। अगर हम एक ही कम्पनी हो आर्डर देते हैं तो इतनी जल्दी वह अकेली कम्पनी कर सकती थी इसलिए हमने अपनी डिमान्ड को तीन कम्पनियों में ओवर किया है।

श्री निहाल सिंह: क्या मन्त्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि जा 424 ट्रांसफार्मर्ज खराब हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट-वाईत ब्रेकअप क्या हैं?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, बिजली की आर्गेनाइजे 11 डिस्ट्रिक्टवाइज नहीं है। वैसे तकरीबन चालीस ट्रांसफार्मर्ज सरकलवाइज खराब हैं यानी सरकलवाइज तकरीबन यह औसत हैं।

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, ट्यूबवैल्ज को बिजली सप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक मीटर्ड और दूसरा फ्लैट रेट हैं। ट्रांसफार्मर खराब होने से अगर किसी कंज्यूमर को बिजली नहीं मिलती तो क्या फ्लैट रेट का वेव किया जाएगा?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, यह इस सवाल का सबजैक्ट मैटर जो नहीं है लेकिन जो सजैशन दी है इस पर बिजली बोर्ड पूरी तरह से गौर करेगा और इस सम्बन्ध में जो उचित बात होगी वह की जाएगी।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नरवाना के अन्दर कितने डैमेज्ड ट्रांसफार्मर्ज है और जींद के अन्दर कितने हैं।

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे पास डिस्ट्रिवाइज फिगगर नहीं हैं। इसलिए मैं जीन्द और नरवाना के बारे में नहीं बता सकता कि कितने – कितने खराब है।

श्री राम बिलास भार्मा: मन्त्री महोदय ने बताया है कि 424 ट्रांसफार्मर्ज डैमेज्ड हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने ट्रांसफार्मर्ज के डैमेज्ड होने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की है और उन कारणों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

श्री अध्यक्ष: जिन कारणों से ट्रांसफार्मर्ज खराब होते हैं, उनका आपको भी पता है। कई बार ट्रांसफार्मर्ज की कैपैसिटी से ज्यादा की मोटरें लग जाती हैं इसलिए सड़ जाते हैं।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: पहला कारण तो यह है कि चाहे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्ज है चाहे ट्यूबवैल कंज्यूमर्ज हैं, वे मोटर तो ज्यादा होर्स पावर की लगा लेते हैं और उस पर प्लेट कम होर्सपावर की लगा लेते हैं। इससे लोड की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ऐक्सीड कर जाती हैं। दूसरा कारण यह है कि कई बार उपभोक्ता ट्रांसफार्मर को छेड़ देते हैं, उसका स्विच और दूसरी चीजें छेड़ देते हैं। तीसरा कारण यह है कि बिजली बोर्ड ने जो कपेसिटर्ज लगाए हैं, कंज्यूमर्ज उनको डिस्कनैक्ट कर देते हैं। इसके अलावा कई दफा आयल की इन्टरनल लीकेज हो जाती हैं उससे भी खराब हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, तो दो फेज में बिजली दे रहे हैं इसका भी ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मेरे सवाल को जो दूसरा पार्ट है कि इन कारणों को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, का जवाब नहीं आया है।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: अब बिजली बोर्ड सील टाईप ट्रांसफार्मर लगा रहा है जिसमें आयल लीक नहीं हो सकता ओर साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी है। कपेसिटर्ज लगाने के लिए हम रेडियो और अखबार द्वारा भी प्रचार कर रहे हैं।

श्री अमीर चन्द मक्कड़: स्पीकर साहब, ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण से लोगों को बिजली को कनेक्ट नही मिलता। मेरे जिला में पांच सौ ऐसे कंज्यूमर्ज है जिनको एक साल से टैस्ट रिपोर्ट मिल चुकी हैं लेकिन ट्रांसफार्मर न होने के कारण कनेक्ट नही मिल रहा हैं। लोगों ने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है और उन पर बैंक का ब्याज पड़ रहा हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को टैस्ट रिपोर्ट मिल चुकी है, उनको कब तक बिजली का कनेक्ट न दे दिया जाएगा?

10.00 बजे

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड ने इस साल में 20-25 हजार के करीब ट्यूबवैल कनेक्ट ांज रिलीज करने का फैसला किया है। इन में से अक्टूबर के अन्त तक लगभग 10 हजार कनेक्ट न बिजली बोर्ड द्वारा दे दिये जाएंगे और बाकी के ट्रांसफार्मर्ज के बेसिज पर देंगे। नवम्बर में ट्रांसफार्मर्ज की सप्लाई भुरु कर देंगे और आ ा है यह टारगैट 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा।

श्री फतेह चन्द विज: अध्यक्ष महोदय, कई ि ाकायतें आई है कि कई जगहों पर ट्रांसफार्मर्ज आठ और दस दिन के अन्दर-अन्दर ही रिप्लेस कर दिये जातें है और कई जगहो पर दो-दो, तीन-तीन महीनों तक भी रिप्लेस नही किये जाते हैं, क्या

ऐसा सरकार के नोटिस में है और सरकार इस की जांच करने की कृपा करेंगी?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर की जो िाकायत हैं, इस बारे में वे मुझे स्पैसिफिक जगह का नाम लिख कर दें, सरकार इंक्वायरी करवायेगी। वैसे ऐसी कोई िाकायत हमारे नोटिस में नहीं हैं। मैंने पहले ही यह बताया है कि हमने एक ऐसा रजिस्टर बनाया गया है जिसमें बाकायदा ट्रांसफार्मर्ज की ऐन्टरी होती है। जो ट्रांसफार्मर्ज पहले आते हैं वे पहले रिपेयर/रिपलेस किये जाते हैं और बाद में आते हैं, उनका नम्बर बाद में आता है।

श्री भले राम: अध्यक्ष महोदय, बहुत सी ऐसी फक्टरियां, मिलें और भालर्ज है जाकि साल में केवल दो तीन महीने ही चलते हैं और बाकी सारा साल वे बन्द रहते हैं। क्या सरकार उन फक्टरियों, मिलों और भालर्ज को फीड करने वाले ट्रांसफार्मर्ज को साल के बाकी दिनों में दूसरी जगह लगाने का विचार रखती है ताकि उन बेकार में पड़े ट्रांसफार्मर्ज का सही रूप से फायदा उठाया जा सके?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर का सजै ान बहुत अच्छा है। बिजली बोर्ड पहले ही इस तरह के प्रयत्न कर रहा है और जहां-जहां सम्भव होता है, वहां पर हम कर रहे हैं।

श्री निहाल सिंह: मन्त्री महोदय यह बताने को कष्ट करेंगे कि सारे हरियाणा में ट्रांसफार्मर्ज बनाने की कितनी फैक्टरीयां है और वे कहां-कहां पर स्थित है? क्या सरकार हर जिले में इस तरह की फैक्ट्रियां खोलने का विचार रखती हैं।

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इस तरह की फैक्ट्रियां हरियाणा में धूलकोट, हिसार और बल्भगढ़ वगैरह में हैं। धूलकोट की वर्क ाप में एक महीने में करीब 80 ट्रांसफार्मर्ज बनाये जाते हैं और बाकी तीनों वर्क ाप में एक महीने में 275-300 के करीब ट्रांसफार्मर्ज की रिपेयरप को काम किया जाता है। इस के अलावा सरकार ट्रांसफार्मर्ज को मैनुफैक्चर और रिपेयर करने के लिय और फैक्ट्रियां/वर्क ाप खोलने का प्रवाधान करने जा रही हैं।

Admission to M.B.B.S. Course in Medical college, Rohtak

***34 Chaudhri Om Parkash:** Will the minister for Health be pleased to state—

(a) the total number of seats sanctioned for admission to the M.B.B.S Course in the medical college, Rohtak, during the academic year 1982-82;

(b) the number of students admitted to the said course agaisnt general quota, reserve quota and by nominations during the academic year referred to in part (a) above, separately; and

(c) the percentage of marks obtained by the student in the qualifying examination held for admission, to the said course in the above said college during the year 1981-82 together with the names and addresses of the nominated candidates?

Chief Minister (Chaudhri Bhajan Lal):

(a)		160		
(b)	(i)	Open Seats	80	seats
	(ii)	Nominee of Tripura Govt.	1	seats
	(iii)	Nominee of Govt. of India	1	seats
	(iv)	Scheduled Castes/Scheduled Tribes	32	seats
	(v)	Rural Areas	25	seats
	(vi)	Children of deceased/disabled/discharged Military personnel	4	seats
	(vii)	Backward Classes	8	seats
	(viii)	Children of INA personnel	1	seats

	(ix)	Nominee of Haryana Govt.	8	seats
	(x)	Admissions on account of orders of High Court/Supreme Court	20	seats
		Total	180	seats

(c) Nominated candidates were not required to appear in the pre-entrance test like other candidates and as such the question of percentage of marks in their case does not arise. However, 2 candidates namely Miss Sunanda Garg and Miss Sandeep Maini Had appeared in the pre-entrance test and they obtained 41.25% and 47.20% marks respectively in this test.

A list containing the names of students nominated by Haryana Government to M.B.B.S course is placed on the table of the House.

I. By Government of India:

Aguocha Bornaventure Uche S/o sh. Baniface Q. Aguocha No. 30, Obohia Raod, Aba, IMO, State Nigeria.

II. By Government of Tripura:

Chinmoy Biswas S/o Dr. C.R. Biswas, Combined ORDE & A.P. Eye Hospital Campus, Qr. No. Type ET/I/A, Tagore Road, Kanpu, 208004, Cantt.

III. By the Government of Haryana:

1. Kumari Kiran Sharma D/o Sh. Hans Raj Sharma, C/o Mr. Gulan Nabi Azad, M.P., I-Rajaji Marg New Delhi.

2. Kumari Kuljit Kaur D/o sh. Onkar Singh, Kothi No. 288, Sector 15-C Chandigarh.

3. Kumari Sunita Rathi, D/o Sh. Daljit Singh Rathi, V&P.O. Khasar, For Correspondence, H. No. 107, Ward No.27, Deepak Flat, Bharat Colony, Rohtak.

4. Quazi Babi Yasmeen D/o Quazi Mohd. Sadiq, C/o Paris Langro House Residency Raod, Sirinager.

5. Kumari anita Nagpal, D/o Sh. Krishan Partap Nagpal, C/o Sh. Vinod Kumar Mehta, S/o Sh. Jaswant Rai Mehta, Mandi Adampur, Distt. Hissar.

6. Kumari Sunanda Garg D/o Dr. P.S. Maini, 12/6-J, Medical Enclave Rohtak.

7. Sh. Rajiv Nangia S/o Sh. R.C. Nangia, Student of B.Sc. Ist Year, F. 432, New Rajinder Nager, New Delhi.

चौधरी औम प्रका T: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्यमन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है प्रोसपैक्टस के अनुसार नोतीनेट करने के लिए केवल पांच ही सीटे थी लेकिन बाद में एक-एक करके हरियाणा सरकार नक और सीटे बढा दी औउ आठ तक ले गये इसके क्या कारण हैं? क्या यह सही नहीं है कि कुछ नेताओं के दबाव के कारण,

अफसरों के रि तेदारों को भर्ती करने के कारण यह सीटे बढाई गई हैं और उनके बच्चों की नोमीने ान की गयी हैं ।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सारी बातों को ये लोग भी जानजे है कि हमारे पास नोमिने ान के लिए बहुत सी एप्लीके ान्ज आ गई थी जिनके बारे में एम0पीज0, एम0एल0एज0 और हो सकता है कि कुछ अधिकारगण ने भी कहा होगा। जिन आठ मो मैने जिक्र किया हैं उन में से एक मेडीकल कालेज के प्रिंसीपल की ही लडकी है और दूसरी डाक्टर पी0एस0 मैनी की जिनको सारा हरियाणा जानता हैं, की लडकी है जिसको दाखिला दिया है। जो सरकार के अधिकार में था, उसी के अनुसार ही दाखिला दिया हैं। जो सरकार के अधिकार में था। लेकिन सरकार के सामने बहुत सी दिक्कतें आती हैं और सिफारि े आती हैं। हम सभी लोगों को अकोमोडेट नही कर सकते। इसलिए आगे से हमने नौमिने ान की प्रथा बन्द कर दी हैं।

डा0 मंगल सैन: अभी मुख्य मन्त्री महोदय ने फरमाया कि हरियाणा सरकार ने एम0पीज0, एम0एल0एज0 के दबाव के कारण, अपने कर्मचारियों के दबाव के कारण और कुछ प्रोफसर्ज के दबाव में आकर लडके/लडकियों की नौमीने ान ही है, उनको दाखिला दिया गया है। (विघ्न एवं भाोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैने दबाव की कोई बात नही कही बल्कि रिमैन्डे ान की बात कही हैं।

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, प्रि-मैडीकल के लिये उनको एडमीशन दी जाती है जिनके 70 परसेन्ट मार्क्स होते हैं। इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि जिन बच्चों की एडमीशन की गयी है उनके लिए प्रि-एन्ट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना जरूरी नहीं है लेकिन क्या ये बताएंगे कि प्रि-मैडीकल, बी0एस0सी0 मैडीकल में उन्होंने कितने मार्क्स लिये थे?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, एम0बी0बी0एस0 में दाखिले के लिये प्रि-मैडिकल में मिनिमम मार्क्स 50 परसेन्ट होने चाहिये लेकिन इन बच्चों ने जितने परसेन्ट मार्क्स लिये हैं वह मैं सदन को बता देता हूँ—

(1)	कुमारी किरण भार्मा	50 परसेन्ट
(2)	कुमारी कुलजीत कौर	50 परसेन्ट
(3)	कुमारी सुनीता राठी	62 परसेन्ट
(4)	काजी बाबी यासमीन	63 परसेन्ट
(5)	कुमारी अनीता नागपाल	67 परसेन्ट
(6)	कुमारी सुनन्दा गर्ग	60 परसेन्ट
(7)	कुमारी सन्दीप कौर मैनी	66 परसेन्ट
(8)	श्री राजीव नांगीया	65 परसेन्ट

चौधरी भाग मल: अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि हरियाणा सरकार ने जो 8 बच्चे अपने कोटे से नोमीनैट किये हैं, उन में डिप्लोमेट/कास्टस/बैंकवर्ड क्लासिज से भी सम्बन्धित हैं। अगर नहीं, तो क्या ये लोग इस कम्युनिटी में नहीं आते हैं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इस बारे में अपने जवाब में बताया है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 32 सीटें हमने रिज़र्व रखी हैं और इन लोगों को हमने दाखिल किया है। इसके साथ-साथ मैं इनको यह भी बता देना चाहता हूँ हमने सात लड़के-लड़कियां डेंटल कोर्स में भी भर्ती किये गये हैं जिनमें इनके भूतपूर्व एम0एल0ए0 डा0 बृज मोहन गुप्ता की लड़की को भी दाखिला किया है। वह मैरिट में नहीं आ रही थी।

श्रीमति चन्द्रावती: जनाब, मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि उन अफसरों/डाक्टरों के नाम बताने की कृपा करे जिनके लड़के और लड़कियां मैरिट पर नहीं आते थे ओर फिर भी उनको दाखिल कर लिया गया?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ।

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जिन आठ बच्चों

को इन्होंने दाखिला दिया है, वह पालिटीकल प्रै र के अलावा किसी और क्राइटेरिया से तो नहीं है? क्या पालिटीकल प्रै र के अलावा दाखिला देने का कोई और क्राइटेरिया सरकार ने फिक्स कर रखा था?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पालिटीकल प्रै र की बात नहीं है। रिकमैन्डे इन तो बहुत से लोगो ने की थी और करतें भी हैं तथा कुछ हमने मैरिट को भी देखा है। 67 परसैन्ट तक जिनके मार्कस थै, उनको भी नौमीने इन के द्वारा दाखिला दिया गया है। किसी के प्रै र की बात नहीं है।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल: अध्यक्ष महोदय, एम0 बी0 बी0 एस0 और इंजीनियरिंग जैसे सबजैक्ट को नै इनल इम्पार्टेन्स दी जाती है और मैरिट के हिसाब से एडमि इन की जाती है जो की भी जानी चाहियें। मुख्य मन्त्री महोदय मैरिट का ध्यान कहीं इसलिये ता नहीं रख रहें क्योकि ये खुद भी तो बगैर मैरिट के यहां पर आए हैं। (गोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी मैरिट को सवाल है इस दे ा मे नम्बर एक पर, भजन लाल को सबसे ज्यादा नम्बर मिलेंगे। जहां तक नोमिने इन का सवाल है वह मै पहले बता चुका हूं कि आगें के लिये यह प्रथा हमने बन्द

कर दी हैं। जो लड़के लड़कियाँ मैरिट पर आएंगे केवल उन्हीं को ही लिया जाएगा।

प्रो० सम्पत सिंह : यह जो 8 केंडीडेट नौमिनेट किए गये हैं, इनमें से हरियाणा के कितने संबंधित हैं। अगर इनमें कुछ हरियाणा से संबंधित है तो उनमें से ग्रामीण क्षेत्र से कितने संबंधित हैं। यह मैं इसलिये जानना चाहता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र के लोग बजट का 80 प्रतिशत पैसा सरकार को देते हैं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैडिकल कालेज में ग्रामीण क्षेत्र के लड़के लड़कियों को दाखिला देने के लिए हमने 25 सीटें रिजर्व रखी हुई हैं। ऐसी मिसाल आपको किसी भी स्टेट में नहीं मिलेगी। देहात के लड़के लड़कियों के लिये सीटें हमने इसलिये रिजर्व रखी हैं ताकि उनको भी इस व्यवसाय में सर्विस मिल सकें।

प्रो० सम्पत सिंह : मैंने तो अपने सवाल में यह पूछा है कि इन 8 में से हरियाणा के कितने हैं और बाहर के कितने हैं, उस सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया?

चौधरी भजन लाल: हमने स्टेटमेंट में सब के नाम और पते दे रखे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रोफ़ैसर साहब, आप सूची को पढ़ कर देखें इसमें सबके नाम और पते लिखे हैं।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, इन्होंने कई जगह फिकटि गायस नाम दिये हुए हैं। (गोर)

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, आप तो पुराने मैम्बर हैं अगर ऐसी बात है तो आप इनके खिलाफ प्रिवलेज मो गन ले आए।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमारे प्रिवलेज मो गन की कौन परवाह करता है। हां हमारे खिलाफ एक मिन्ट में जरूर आ सकता है। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि अगर एक मैम्बर कैटेगैरेकली पुछता है तो उस बारे में बताने को क्या हर्ज है। आज कल मुख्य मन्त्री जी बड़े सियाने गये हैं और इनका दिमाग बड़ा जरखेज है ये जवाब दे सकते हैं कि इनमें हरियाणा का कोई नहीं है। (गोर)

Mr. Speaker: After all this is my duty to see that the time of the House is not wasted.

Dr. Mangal Sein: I am not wasting the time of the House. It is a serous insinaution. I am simply pressing his point of view. His question is very much relevent, and he is justified to ask the questin. हरियाणा के लोगों का पैसा बाहर के लोगों पर क्यों खचै किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष: इन्होंने बड़ा क्लीयरली बता दिया है, इसलिये मैं इस सवाल को ओवर रूल करता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इसमें जो दिल्ली और श्रीनगर के पते दिये हुए हैं हो सकता है वे लोग हरियाणा के रहने वाले हो इसलिये अगर मुख्य मन्त्री जी बता दें जो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसमें डौमिसाइल का कोई सवाल नहीं है, यह तो गवर्नमेंट के अधिकार में ही है कि जिसे चाहे नौमिनेट कर दें। बहुत सी स्टेटों में एक दूसरी स्टेट के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। जैसे पहले जम्मू का मीर में हमारी सीट थी, राजस्थान और हिमाचल के भी थी। इसी तरह से बहुत सी स्टेटों की हमारी स्टेट में भी सीटें हैं जैसे इस समय त्रिपुरा की एक सीट है और एक भारत सरकार की हैं। मैंने इन 8 सीटों के आंकड़े दिये हुए हैं। किसी को एडरेस कही का भी हो सकता है लेकिन वह इस देश का तो वासी है। यह सरकार का अधिकार था और उसके मुताबिक सरकार ने ठीक किया है।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, अगर सरकार की नियत ठिक होती तो वह मेरे सवाल का जवाब जरूर दें।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, मैं मैम्बर साहब को एक बात बताना चाहता हूँ कि नौमिनेटेशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होती।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, हम तो यह जानना चाहते थे कि सरकार को हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों से कितना प्यार है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ये लोग हरिजन और बैकवर्ड क्लास की बात को क्या जानें, इन्होंने तो उनको वोट भी नहीं डालने दिया। पहले बैकवर्ड क्लास के लिये दो परसैन्ट रिजर्वे तन थी लेकिन हमने उसे बढ़ा कर 5 परसैन्ट कर दिया है। (गोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, हम तो केवल यह जानना चाहते थे कि 8 में से हरियाणा के कितने हैं लेकिन मुख्य मन्त्री जी गोल मोल जवाब दे रहे है— (गोर)

श्री अध्यक्ष: इस बारे में काफी बात हो चुकी है। बार—बार उसी बात को दोहराना, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री लछमन सिंह कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री जी ने जो लिस्ट पढी उसमें उन्होंने सिर्फ कुंवारी का ही नाम लिया, किसी कुवारे का नाम नहीं लिया इसका क्या कारण है। (हंसी)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का क्या जवाब दूँ? अगर मेरे भाई तो हम इनकी भाादी का कही बन्दोबस्त कर देंगे।(हंसी)

चौधरी ओम प्रकाश: क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि नौमिनेट करने के लिए कोई विशेष योग्यता देखी जाती है और अगर नहीं देखी जाती तो आगे से देखी जाएगी?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का जवाब तो पहले आ चुका है कि आगे के लिये नौमिनेटान बन्द कर दी गई है।

'A' Class Cities in the State

***38 Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Minister of state for local Government be pleased to state—

(a) the names of cities in the State which have been declared as 'A' class; and

(b) whether any more cities in the State are proposed to be declared as 'A' class; if so, the names of such cities together-with the times by which these are likely to be declared as such?

Rinance Minister(Chaudhri Katar Singh Chhokar):

(a) Chandigarh, Ambala Cantt., Ambala City, Rohtak and Faridabad.

Note: Panchkula though not notified as such, is for all practical purposes in this category.

(b) The proposal regarding re-classification of towns on the basis of the final census figures of 1981 is under active consideration of Government. Cities having a population of one lakh or more as per these figures are likely to be declared "A" class.

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन भाहरों की आबादी 1981 की जनगणना के आधार पर एक लाख से अधिक हैं उनको 'ए' क्लास सिटी डिक्लेयर करने का फैसला कब तक हो जाएगा?

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, 1981 की सैंसस की फिगर अभी एक-डेढ महीना पहले गवर्नमैट के पास वैरीफाई होकर आई है। उसका फैसला बहुत जल्दी होने की सम्भावना है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन भाहरों की आबादी 1981 की सैंसस के आधार पर एक लाख से ज्यादा हो चुकी है क्या उनको 'ए' क्लास सिटी घोशित करने का समय निर्धारित करेंगे?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल को जवाब पहले आ चुका है।

श्री इन्द्र सिंह नैन: स्पीकर साहब, हिसार सिटी की आबादी एक लाख से बहुत ज्यादा है। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या हिसार भाहर को अबादी के हिसाब से 'ए' क्लास सिटी डिक्लेयर करने का मसला सरकार के विचाराधीन है अगर विचाराधीन है तो कब तक हिसार भाहर को 'ए' क्लास सिटी डिक्लेयर कर दिया जाएगा?

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, लेटैस्ट सैसस फिगर्ज क हिसाब से हिसार भाहर 'ए' क्लास सिटी में आ जाएगा।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, कुछ भाहर ऐसे हैं जिनकी आबादी एक लाख से कम हैं और 25 हजार से ज्यादा हैं। जिन भाहरों की आबादी 25 हजार से ज्यादा हैं उनके बारे में मुख्य मन्त्री जी ने घोशणा कर रखी है कि उनको 'बी' क्लास सिटी घोशित कर देंगे। मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि गोहाना भाहर की आबादी 25 हजार से ज्यादा है क्या वहां के कर्मचारियों को 'बी' क्लास सिटी के हिसाब से हाउस रेंट देंगे?

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, जिन भाहरों की आबादी 25 हजार से ज्यादा हैं और एक लाख से कम हैं यदि वे भाहर 'बी' क्लास सिटी घोशित हो चुके हैं तो वहां पर कर्मचारियों को उसके हिसाब से हाउस रेंट मिलता है।

चौधरी धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, गुड़गाव की आबादी एक लाख से ज्यादा है और कुछ समय पहले मुख्यमन्त्री जी वहां पर गए थे। उस समय पब्लिक मीटिंग में लोगों ने इनके सामने गुड़गाव भाहर को 'ए' क्लास सिटी बनाने के बारे में रिप्रजेंटान दी थी। मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से यह

जानना चाहता हूँ कि गुड़गांव भाहर को कब तक 'ए' क्लास सिटी बनाने की घोशणा की दी जाएगी?

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, भिवानी भाहर 'ए' क्लास सिटी में भामिल हो जाएगा। लेटैस्ट सेंसस फिगर्ज के हिसाब से जो नए भाहर 'ए' क्लास सिटी में आ सकते हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। करनाल, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार और फरीदाबाद ये भाहर ए क्लास सिटी में आते हैं।

Cases of Murder/Burning registered in the state

***14 Shrimati Chandravati:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) districtwise total number of cases of murders registered in the State during the period from 19th May, 1982 to-date;

(b) whether any cases of deaths of women due to burning were also registered in the State during the period, as referred to in part (a) above; if so, the number thereof together with the age of each such woman; and

(c) whether any of the women, as referred to in part (b) above, was burnt by their in-laws on account of dowry disputes?

मुख्यमन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(क, ख, ओर ग): सुचना सदन के पटल पर रखी जाती हैं।

(क) दिनांक 19-05-1982 से दिनांक 10-09-1982 तक राज्य में दर्ज हुए हत्या के मुकदमों की जिलेवार संख्या इस प्रकार है—

जिले का नाम	दर्ज हुए मुकदमों की संख्या
अम्बाला	8
कुरुक्षेत्र	18
करनाल	6
जीन्द	9
हिसार	19
नारनौल	5
भिवानी	8
सिरसा	13
गुडगांव	8
फरीदाबाद	6
रोहतक	20
सानीपत	9

कुल जोड़	126
----------	-----

(ख) हां, दिनांक 19-05-1982 से लेकर दिनांक 10-09-1982 तक दो मुकदमें इर्ज हुए जिनमें स्त्रियों की मृत्यु जलाने से हुई। इन दोनों मुकदमों में मृतक स्त्रियों की आयु चौबीस और पच्चीस वर्ष थी।

(ग) हां, इन दोनों मुकदमों में स्त्रियों को दहेज के झगड़ें पर उनके ससुराल द्वारा जलाये जाने को दोश लगाया गया है।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, अभी मुख्य मन्त्री जी ने दहेज कम लाने के कारण बहुओं की हत्याओं और जलाने की घटनाओं के बारे में विवरण बताया है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इनके नोटिस में यह बात है कि सिरसा में एक बाला काण्ड हुआ है जिसमें वहां में मन्त्री का हाथ है जिसने कातिलों को साथ दिया है। इसके अलावा गनौर में एक कौ लया नाम की अबला की हत्या कर दी गई है तथा फरीदाबाद में मिसिज नागपाल की हत्या की गई है। क्या ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी के नाटिस में हैं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जिनके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज हुई है उसकी सूचना सदन में दे दी गई है। जहां तक सिरसा के बारे में डा० मंगल सैन ने जिक्र किया है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उस केस में 8 मुजरिम थे जिनकी

गिरफ्तारीयां की जा चुकी हैं। उस केस में किसी भी मन्त्री का कोई दबाव नहीं है और न ही किसी मंत्री का हत्या में हाथ है। आत तो हरियाणा के किसी भी मंत्री ने ऐसा काम नहीं किया। (गोर एव विघ्न)

तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री(श्री लक्षमण दास अरोड़ा): स्पीकर साहब, डा० मंगल सैन ने अपनी सप्लीमेंटरी के दौरान यह कहा कि सिरसा में बाला काण्ड में वहां के मन्त्री का हाथ है। इस बारे में मैं डा० मंगल सैन को बताना चाहता हूं और यदि साबित न कर सके तो ये खुद अस्तीफा दे दें। (गोर एव विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मैं आप दोनों साहेबान की बात समझ रहा हूं। आप पहले डा० मंगल सैन जी को सवाल पूछने दें, उसके बाद जवाब दे दें। (गोर)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह है कि सिरसा में बाला हत्या काण्ड के खिलाफ उठाने वाले जब थाने में रिक्वायत दर्ज करवाने गये तो उनकी रिक्वायत दर्ज नहीं हुई। वहां के मन्त्री महोदय सदन में बैठे हैं। उन लोगों का वहां के मन्त्री जी के खिलाफ रोश था, उस रोश के बारे में मुख्यमन्त्री जी के पास तारें भी आई हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या बदले की भावना से वहां पर बाला काण्ड में पोलिटिकल लोगों को गिरफ्तार किया गया है?

श्री लक्षमण दास अरोड़ा: स्पीकर साहब, डा० मंगल सैन जी ने मेरे पर इल्जाम लगाया है मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने मेरे पर यह इल्जाम लगाया है कि बाला देवी की हत्या की एफ० आई० आर० दर्ज नहीं हुई। इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि एफ० आई० आर० उसी वक्त दर्ज हुई है और बाकायदा उसका पोस्टमार्टम हुआ। स्पीकर साहब, मेरे पास उस लडकी के पेरेंट्स आए और एक उनका रि तेदार डाक्टर है वह भी आया था। उसका पोस्टमार्टर करते वक्त हमने यहां तक कहा कि जो आपका रि तेदार डाक्टर है वह भी पोस्टमार्टम में कोई भाक नजर आत है तो आप इस पोस्टमार्टम में आ जाएं इसके बाद बाला देवी के पेरेंट्स मेरे पास चहा आये और मैंने उनसे एक बात पूदी कि आपकी तसल्ली हुई या नहीं। वे कहने लगे कि हमें धारा 174 की कार्यवाही की नकल नहीं मिली, मैंने उसी वक्त वह नकल उनको दिलवाई उसके बाद वे कहने लगे कि जो टैस्ट के लिये विसेरा लेबोरेटरी में जाता है वह हरियाणा की लेबोरेटरी में नहीं जाना चाहिये। मैंने उनसे कहा कि आप हरियाणा की बात कर रहे है आप कहे तो मैं उसे आउट आफ इंडिया भिजवाने के लिये तैयार हूँ। मैंने यह भी कहा कि यदि आप कहे तो वह राजस्थान में भी भेजा जा सकता है जहां पर आपकी एप्रोच हो। लेकिन उनके कहने पर विसेरा दिल्ली की लेबोरेटरी में भेजा गया था और वहां से टेस्ट हो कर आया है। इसके अलावा डा० साहब ने कहा कि उसकी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं हुई है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि एफ०आई०आर० बाकायदा दर्ज हुई और उसमें जितने

मुजरिमो के नाम थे, उनको 24 घटें के अन्दर—2 गिरफ्तार किया गया है। अगर यह बात गलत हो तो मैं अस्तीफा देने के लिये तैयार हूँ। इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि क्या कोई भारीफ आदमी किसी के घर पर पथराव कर सकता है या किसी के मकान को आग लगा सकता है तो क्या कानून उसको माफ करेगा? जो आदमी ऐसे काम करेगा उसको कानून कभी भी माफ नहीं करेगा। स्पीकर साहब, मेने जो कुछ कहा है अगर यह गलत हो तो मैं अस्तीफा देने के लिये तैयार हूँ वरना डा0 साहब देदे। डा0 मंगल सैन जी इस तरह की बात कह कर बहुत बड़े हीरो बनना चाहते है। (गोर)

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, इनका यह कहन कि डा0 मंगल सैन बहुत बड़े हीरो बनना चाहते है इस बारे में मैं यह कहता हूँ कि हम सदन में बैठ कर सवाल पूछ सकते है, यह हमारा अधिकार है। सवाल पूछ कर हम इनसे कोई खौरात नहीं मांग रहे है। यदि इनको कोई समझ नहीं है तो आप इनको समझाएं। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि वहा के वजीर ने काजिलों को साथ दे करके जो लोग कातिलों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनको बेगुनाह गिरफ्तार करवाया और उनके खिलाफ गलज कार्यवाही की जा रही है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरे साथी मन्त्री जी ने डा0 मंगल सैन जी को डिटेल में जवाब दे दिया है,

कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन डा० साहब इधर उधर की बातें बोलने में कम नहीं हैं। जैसे अभी मन्त्री जी ने बताया कि यदि कोई भी आदमी कानून को अपने हाथ में लने की कोशिश करेगा तो सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी। स्पीकर साहब, जिन लोगों ने एक भारीफ आदमी के घर पर पथराव किया और उसके मकान को आग लगाने की कोशिश की, उनको मुकद्दमा दर्ज करके गिरफ्तार किया है। डा० साहब इस बात को पालिटिकल रंग दे रहे हैं। स्पीकर साहब, जो कुछ हुआ है वह कानून के मुताबिक हुआ है (गोर एव विघ्न) स्पीकर साहब, यदि डा० साहब को शिकायत दर्ज न करने के बारे में कोई एतराज है तो इन्होंने आज तक कोई चिट्ठी लिख करके क्या नहीं दी है? ये हमारे पास लिख करके भेज दें, अगर उस केस में किसी का हाथ होगा तो हम इन्कावायरी करके इनको बता देंगे।

श्रीमति चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि दहेज कम लाने के कारण जिन बहुओं को जलाया गया है क्या उनकी भाादी में मुख्य मन्त्री जी या इनके मंत्री साथी गए थे? (गोर एव विघ्न)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं उनकी भाादी में नहीं गया। यदि कोई और आदमी गया हो तो उसके बारे में बहिन जी को ही पता होगा, मुझे तो मालूम नहीं है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब सवालों को समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखें गए तारकित प्र नों
के लिखित उत्तर

**Transfers of Officers/Official of Police Departement posted
in Pehowa Constituency**

***65. Chaudhri Sahab Singh Saini:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is ia fact that transfers of a large number of officers/official of Police Department posted in Pehowa Constituency of District Kurukshetra were made during the months of July and August, 1982; if so, the resons for transfers on such a msas scale; and

(b) whether it is also a fact that transfer of some of the officers/official, out of those referred to in part (a) above, were later on ostayed/cancelled; if so the resons therefore?

मुख्यमन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(ए) यह सत्य नहीं कि पेहोवा चुनाव क्षेत्र (थाना पेहोवा तथा थाना ठसका मिरांजी और थाना सदर थानेसर को कुछ क्षेत्र) जिला कुरुक्षेत्र में नियुक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के मास जुलाई तथा अगस्त में कहुसंख्या में स्थानान्तरण किये गए थे। थाना पेहोवा के केवल 5 सिपाहियों का जुलाई, 82 मे रूटीन में स्थानान्तरण किया गया था। एक उप निरिक्षक(एस0 एच0ओ0

पेहोवा) का अगस्त, 1982 में पुलिस निरीक्षक के पद में पदोन्नति पर स्थानान्तरण किया गया था। एक सहायक उप निरीक्षक को थाना पेहोवा से अगस्त, 1982 में प्रासकीय कारणों से स्थानान्तरित किया गया था।

(बी) कोई भी स्थानान्तरण बाद में स्थगित अथवा रद्द नहीं किया गया था।

Crop Insurance Scheme

***20. Chaudhri Kundan Lal:** Will the Minister for Agriculture be pleased to State—

(a) Whether any crop insurance scheme has been introduced in any selected areas in the State; if so, details thereof; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to introduce the scheme, as referred to in part (a) above, in whole of the State of Haryana; if so, the time by which it is likely to be introduced?

कृषि मन्त्री(चौधरी सुरेन्द्र सिंह):

(क) हां, पुर्ण विवरण सहित सूची विधान सभ के पटल पर रखी जाती हैं।

(ख) इस समय इस स्कीम के अन्तर्गत गेहूँ पूरे राज्य में तथा अन्य फसलें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में लागू हो गई हैं। राज्य सरकार जनरल इन योरैन्स कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया तथा भातर

सरकार पर जोर डाल रही है कि अन्य फसलों को भी राज्य के सारे क्षेत्रों में लागू किया जाये।

हरियाणा राज्य में फसल बीमा स्कीम के बारे में पुर्ण विवरण की सूची

1. जनरल इन्शोरेंस कार्पोरेटर्स ऑफ इन्डिया द्वारा प्रयोजित एक पायलट फसल बीमा स्कीम जी० आई०सी० और राज्य सरकार के 75:25 के अनुपात के आधार पर राज्य में खरीफ 1981 से लागू की गई। यह स्कीम सामूहिक तथा स्वेच्छा के आधार पर है और एक प्रकार के क्षेत्र पर आधारित होगी। इसके अन्तर्गत केवल सहकारिता ऋणी किसान की भागिल हो सकेंगे। फसल बीमा तथा पैदावार को देखने की आधारभूत इकाई तहसील होगी। तहसील, फसलों प्रीमियम और अक्षतिपूर्ति सीमा, ही एक मौसम में जी०आई०सी० फसल कटाई प्रयोगों की औसत पैदावार के आधार पर निकालती हैं।

2. खरीफ 1981 में इस स्कीम के अन्तर्गत धान 13 तहसीलों में और बाजरा 4 तहसीलों में 17 लाख रूपयों के बीमा राशि का व्यापार के लक्ष्य पर शुरू किया गया। धान पर अधिकतम बीमा राशि का प्रिमि हैक्टर/किसान 2,250 रूपये बाजरे पर 1,700 रूपये और दोनों फसलों पर 3,000 रूपये निर्दिष्ट थी। प्रीमियम की दर 4.50 से 5.00% थी जबकि अक्षतिपूर्ति सीमा 30% तक थी। धान पर 479 किसानों के 513.6 हैक्टर क्षेत्र पर 9.34 लाख

रूपये का बीमा व्यापार किया गया। बाजरा पर 70 किसानों के 120.2 हैक्टेयर क्षेत्र पर 1.14 लाख रूपये का बीमा व्यापार हुआ। धान की 4,974.85 रूपये की राशि। राज्य तथा भारत सरकार ने 50:50 के अनुपात से दी। महम तहसील में बाजरा फसल पर 5,986.29 रूपये के नुकसान का मुआवजा 54 किसानों का दिया गया।

3. रबी, 1981-82 में यह स्कीम बढ़ाकर गेहूँ के लिये सारे राज्य में चने 12 तहसील में, जो 11 तहसीलों में लागू की गई। इस कार्य के लिये कुल बीमा व्यापार राशि 40 लाख रूपये थी। प्रति हैक्टेयर/किसान की बीमा राशि सीमा गेहूँ के लिये 3,000/- चने और पजौ के लिए 1,300/- प्रति फसल निश्चित थी। प्रमियम की दर 4.5% से 5.00% तक थी और अक्षतिपूर्ति सीमा 35% थी। गेहूँ पर 223 का तकारों की 194.20 हैक्टेयर क्षेत्र पर 3.72 लाख रूपये का कुल बीमा व्यापार हुआ। चने पर 28 किसानों के 36.4 हैक्टेयर क्षेत्र पर 0.29 लाख रूपये का बीमा व्यापार किया गया। जबकि पजौ फसल पर 9 का तकारों के 8.50 हैक्टेयर क्षेत्र पर 0.08 लाख रूपये का व्यापार हुआ। 111 छोटे तथा सीमित किसानों तक 3,864.72 रूपये की राशि 50% इमदाद के अनुपात में दी गई। नुकसान का भुगतान अब तीन तहसीलों में देय हो चुका है। महम में गेहूँ पर और टोहाना, सिरसा तहसीलों में चने पर जिसकी कुल राशि लगभग 16,000 रूपये बनती है, जो कि 30 का तकारों को दी जाएगी।

4. यह स्कीम खरीफ 1982 में 57 लाख रुपये (धान 31.00 लाख रुपये बाजरा 17.00 लाख रुपये और मक्की 9.00 लाख रुपये) के बीमा व्यापार से चल रही हैं। 17 तहसीलें धान के लिये, 9 तहसीलें बाजार के लिये और 6 तहसीलें मक्की के लिये। प्रत्येक का तकार की अधिकतम बीमा राशि सीमा 5,000 रुपये या फसल कर्जे का 110% जो भी कम हों, हैं। अक्षतिपूर्ति सीमा 40% और प्रीमियम की दर 7% तक हैं।

5. यह स्कीम रबी 1982-83 में गेहू चने और रबी, तिलहन पर, चलेगी। गेहू पर बीमा कार्य सारे राज्य में, चने 23 तहसीलों में, जौ 13 तहसीलों में और रबी तिलहन 8 तहसीलों में लागू होगा। प्रीमियम की दर गेहू के लिए 1.25 से 5.00% तक चने और जौ के लिये 2.25 से 5.00% तक और रबी तिलहन के लिये 3.25 से 5.00% तक होगी। बीमा व्यापार के बारे में जी0आई0सी0 से पूर्ण विचार-विमर्श किया जा रहा है।

Corruption Cases in Agro-Industries Corporation

***35 Chaudhri Om Parkash:** Will the Minister For Agriculture be pleased to state—

(a) the total number of cases of fraud, pilferage, Misappropriation of amount/goods in Agro-Industries Corporation register with the Police and referred to Vigilance Department for investigation during the years 1980, 1981 and 1982 to date;

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above, so far finalized together with present stage of the remaining cases separately?

कृषि मन्त्री (चौधरी सुरेन्द्र सिंह):

(क)	1980	1981	1982 अब तक	कुल
पुलिस	—	4	1	5
चौकसी	—	1	—	1
	—	5	1	6

(ख) उक्त भाग (क) में वर्णित मामलों में एक केस जो 1981प में दर्ज कराया गया था पुलिस द्वारा रद्द किया जा चुका है। फिर भी निगम द्वारा दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। 1982 में दर्ज एक अन्य केस का निणर्य हो चुका है। दो केसों में पुलिस ने चालान पे ा कर दिये हैं। एक केस में अभी भी पुलिस छानबीन कर रही है। एक केस चौकसी विभाग के पास लम्बित है।

Illiterate Person in the State

* **37. Shrimati Chandravati:** Will the Minister of State for Education be pleased to state the district wise number of illiterate men and women in the State at present separately?

Minister of State for Education (Sh. Jagdish Nehra): Districtwise Number of illiterate men and women in the State according to census of 1981 (Provisional figures) is given below:-

Sr. No.	District	Illiterate Men	Illiterate Women
1.	Ambala	352880	428282
2.	Bhiwani	251323	364349
3	Faridabad	261974	344947
4.	Gurgaon	231891	317471
5.	Hissar	469560	578569
6.	Jind	313063	379106
7.	Karnal	377474	460376
8.	Kurukshetra	351052	408748
9.	Mohindergarh	220713	367714
10.	Rohtak	309688	459136
11.	Sirsa	227980	267990
12.	Sonepat	207508	293459
	Total	3575106	4670147

**Transfers of Officers/Official of Education Department in
Pehowa Constituency**

***66. Chaudhri Sahab Singh Saini:** Will the Minister of State for Education be pleased to State—

(a) whether it is a fact that transfers of a large number of officers/Officials of Education Department posted in Pehowa Constituency of District Kurukshetra were made during the months of July and August, 1982; if so, the reasons for transfers on such a mass scale; and

(b) whether it is also a fact that transfers of some of the officers/officials out of those referred to in part (a) above, were later on stayed/cancelled; if the reasons therefore?

Minister of State for Education (Sh. Jagdish Nehra):

(a) No, only 48 officials were transferred either on their requests or on administrative grounds during the months of July and August, 1982.

(b) Only three transfers were subsequently cancelled on humanitarian grounds.

Loss in Haryana State Electricity Board

***19 Chaudhri Kundan Lal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Haryana State Electricity Board is running in loss at present: if so, the reasons therefore; and

(b) the details of steps taken by the Government to run the board in profit?

Irrigation & Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

(a) Yes. However, keeping in view the socio-economic obligations of the Board, it may not be proper to assess the working result in strict commercial terms. The tariff of power for all categories of consumer's specially agricultural consumers is much less as compared to cost of generation/procurement & distribution. The sale of power to Agriculture and rural sector which exceeds 40% of the total sales has an in built subsidy in the overall interest of the development of Agriculture and rural sector of the State. Further, Commercial for meeting their capital needs. In case of H.S.E.B., however, no equity capital is provided and the Board raises loans from financial institutions/state Government to meet its entire capital needs which involves interest charges adversely reflecting upon the working results.

(b) The Board is endeavoring to improve its working results by reducing line losses, improving the plant load factor and curtailing the auxiliary and fuel consumption through operational efficiency. Various economy measures to curtail the administrative costs are being taken.

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, सिचाई मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मेरा सवाल पहले दिन का था। उस दिन इन्होंने कहा था कि उस सवाल का उत्तर चालू सै। न में दे दिया जायेगा। आज भी उस सवाल का उत्तर नहीं आया। इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि उस सवाल का जवाब कब देंगे?

सिचाई तथा बिजली मंत्री(चौधरी भाम देव सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, इसी सै। न में जवाब देने के लिए मैंने नहीं कहा था। उसके लिए भायद दो सप्ताह का समय मांगा गया था। जो सवाल इनका था। उसका उत्तर इनके घर पर भेज दिया जाएगा।

डा० मंगल सिंह: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन्। न मो। न दी हुई थी कि हमारे यहां विधार्थियों से मैस के अन्दर खाने के बहुत आधिक चार्ज किए जाते हैं। कम से कम 3500 रूपये हर महीने एक विधार्थी का खर्चा आता है। इन्सीच्यूट आफ टैक्नीकल एजुके। न, देहली में वहां के विधार्थियों को मैस में काफी छूट दी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या देहली की तरफ यहां भी छूट देने का कोई विचार है?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आर्डर है। अभी इन्होंने यहां पर एक काल अटैन्। न मो। न का जिक्र किया है। इस संबंध में मैं आपको रूलिंग चाहूंगा कि जब तक आप किसी काल अटैन्। न मो। न को एडमिट नहीं

कर लेते, क्या उस समय तक कोई भी सदस्य उसके बारे में कुछ कह सकता है? इन्होंने बगैरप आपकी रूलिंग आए हुए अपने काल अटैन्स इन मो इन के बारे में हाउस में सारी बात कहनी भुरु कर दी है। (गोर)

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, रूल 84 के तहत मैंने बंधुओं मजदूरों के बारे में एक मो इन दी थी, उसका क्या बना?

श्री अध्यक्ष: वह मो इन अभी तक मेरे विचाराधीन हैं?

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक महत्वपूर्ण बात हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश में लोकतंत्र है। इस देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक दुर्घटना के कारण अस्तीफा दे दिया था। हमारे हरियाणा के एक मंत्री के सिनेमा पर छापा मारा गया था, उसमें 500 टिकटें बगैर टैक्स के मिली थी। इसलिए उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। (गोर)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाएं। यह मामला बहुत पुराना हो चुका है। जिस दिन मैं इन चला हूँ, उसी दिन से आप इस बारे में जिक्र कर रहे हैं। क्या आपने इस बारे में कभी कुछ लिख कर दिया है बगैर इजाजत के बोलना अच्छा नहीं लगता।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, * * * * *
*(गोर)

श्री अध्यक्ष: आपने जो लिख कर दिया था, उसको मैंने थुस-अलाऊ कर दिया है। (गोर) ऐसी घटनाएं दिन-प्रतिदिन होती रहती हैं, यहा काल अटैन् इन मो इन का विशय नही बनता इसलिए मैंने आपको लिख कर जवाब दे दिया है कि उसे डिस-अलाऊ कर दिया गया है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो कुछ इन्होने कहा है या तो उसे एक्सपंज कर दिया जाये या फिर मुझे भी जवाब दे देने दिजिए। (गोर) जो बात इन्होने कही है वह बिल्कुल गलत है और हाउस को गुमराह कर रहे हैं। (गोर)

श्रीमति चन्दावती: आन ए प्वायंट आर्डर, सर। स्पीकर साहब, हम यहा पर कोई भी बात कहें तो अस के लिए सी0एम0 साहब खड़े हो कर कह देते हैं कि इस बात को एक्सपंज कर दिया जाए। इस तरह से तो हमारी कोई बात यहां पर लिखी ही नहीं जाएगी। यदि हमारी बातें एक्सपंज ही की जानी हैं तो फिर ये रिपोर्टर्ज किस लिए बैठे है? यह बात सी0एम0 साहब कह रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। (गोर)

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, हाउस में जा अपोजि इन के सदस्य बैठे हैं उनका फर्ज बनता है कि यदि कोई गलत बात हो रही हो तो उसे हाउस में कहें। यदि हाउस में भी न कहेंगे तो फिरप कहां कहेगें? इस प्रकार की बातें हाउस के

सामने लाना हमारा कर्तव्य है। आपने कहा कि प ये प्रतिदिन की सम्स्याए हैं। हमने आपकी मान ली है। कभी-कभी ओवरफलो हो जाती है, लोकतंत्र के अन्दर इस प्रकार की बातें चलती ही रहती हैं। यह बात ठीक नहीं है कि जो भी बात हम कहें, उस के लिए सी०एम० साहब कह दें कि एक्सपंज कर दिया जाये। लोकतंत्र में ऐसा छोटा-मोटा कुछ न कुछ ता चलता ही रहता है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: यह बात ठीक है कि इस सदन में कुछ मैम्बर नए है और उनको पूरी बातों के बारे में मालूम नहीं है कि किस प्रकार की बातें हाउस में कहनी चाहिए और किस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए। डा० साहब भी इस बात को मानते हैं। यहां पर लीडर आफ दी अपोजि ान, श्रीमति चन्द्रावती, श्री वीरैन्द्र सिंह जी, आर्य साहब औरप आप अपनी-अपनी पार्टी के नेता हैं। आप सभी का फर्ज बनता है कि आप इनको थोड़ा बहुत समझाए कि हाउस का डैकारम किस प्रकार से रखना चाहिए।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपका भी फर्ज बनता है।

श्री अध्यक्ष: थोड़ा बहुत फर्ज मेरा भी बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन आप लोगों को नए मैम्बरों को ज्यादा जानकारी देनी चाहिए कि हाउस का डैकोरम किस प्रकार से रखना चाहिए। (गोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब दे दूँ ताकि हाउस को यह पता लग जाए कि असलियत क्या है।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया बैठिए, वह मैंने डिसअलाऊ कर दिया है और जो कुछ इन्होंने कहा है वह एक्सपंज हो जाएगा।

स्पष्टीकरण—

मुख्यमन्त्री द्वारा यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ता के बारे में छपे समाचार सम्बन्धी

मुख्यमन्त्री(चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, डा० मंगल सैन ने कल हमारे एक कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री आन्नद भार्मा के बारे में हाउस में एक फोटोस्टैट कापी दी थी। उसके बारे में मैं आपकी इजाजत से हाउस को जानकारी दे देता हूँ ताकि पता लग जाए कि असलियत क्या है?

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में पुलिस अधीक्षक, रोहतक ने सूचित किया है कि श्रीमती आमवती दिनांक 28-08-1982 को उनके कार्यालय में आई और एक लिखित शिकायत दी जिसमें कहा गया था कि आन्नद भार्मा जो कि यूथ कांग्रेस के उप सचिव हैं, ने श्रीमती आमवती दिनांक 26-08-1982 को सापलां रैस्ट हाउस में बुलाया। जब वह सांपला रैस्ट हाउस पहुंची तो आन्नद भार्मा बिस्तर बैठा था। जब उसने उसे खिचने की कोशिश की

तों वह भाग कर दूसरे दरवाजें से निकल गई। (विघ्न) इस बारे में उप निरीक्षक, बहादूरगढ़ को जांच के लिए नियुक्त किया गया। जांच के दौरान रैस्ट हाउस के चौकिदार व अन्य प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की गई। जांच के उपरान्त पाया गया कि श्रीमति ओमवती के लगाये गये सारे आरोप निराधार हैं। यह भी पता चला कि श्रीमति ओमवती के मास्टरप रूप चन्द के साथ नाजायज संबंध है तथा वे दोनों मिलकर हैपी माडल स्कूल चला रहे हैं। इस सम्बन्ध में मुस्समात सन्तरा, धर्मपत्नी रूप चन्द से पूछा गया तो उसने भी पुष्टि की कि उसके पति व श्रीमति ओमवती के नाजायज सम्बन्ध हैं तथा यह भी बतलाया कि श्रीमति ओमवती श्री आनन्द भार्मा को स्वयं मिलने गई थी ताकि रूप चन्द को जे०बी०टी० मास्टर नियुक्त करवा सकें। आनन्द भार्मा ने श्रीमति ओमवती की उसके और रूप चन्द के नाजायज सम्बन्धों बारे डांट डपट की थी जिससे नाराज होकर उसने आनन्द भार्मा के विरुद्ध आरोप लगाया जो निराधार पाया गया।

डा० मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, यह बात कुछ जंची नहीं। एक औरत लिख कर दे रही हैं और कह रही हैं कि उसके साथ इस तरह का दुर्व्यहार हुआ लेकिन ये अपनी पार्टी के आदमी को बचाने के लिए उस बेचारी के आरोप को निराधार बता रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी, आप ऐसा काम न कीजिएगा जिससे कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। आप इसकी इन्क्वायरी के लिए डी० आई०

जी० (सी०आई०डी०) के स्टेटस के आदमी को लगाए ताकि ठीक तरह से जांच पड़ताल हो सके ।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने तो डी०एस०पी से फौरपी तौर पर इस बात की जांच करावाई है क्योंकि मामला गंभीर था। लेकिन डा० साहब अगर अब भी चाहते हैं कि डी० आई० जी० (सी०आई०डी०) से या डी० आई० जी० गुड़गांव रेंज या हिसार रेंज से इन्कवायरी करवाई जाए तो जिससे ये चाहेंगे उससे इन्कवायरी करवा देंगे ।

डा० मंगल सैन: डी० आई० जी० (सी०आई०डी०) से इन्कवायरी करवाएं ।

चौधरी भजन लाल: ठीक हैं, डी० आई० जी० (सी०आई०डी०) से इन्कवायरी करवा कर रिपोर्ट आपको दे देंगे ।

Shrimati Chadravati: From the statement made by the Chief Minister, it appears that here is something fishy about this matter. The prestige of their party is involved in this case. He (Chief Minister) should not protect anybody who is guilty of such a great sin.

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने यह तो ठीक किया कि इस केस की इन्कवायरी डी० आई० जी० (सी०आई०डी०) को सौंप दी लेकिन यह बात गले से नीचे नहीं उतरती कि एक औरपत को एक महान आदमी के पास सिफारि ।

के लिए जाती हैं और वह उससे किसी दूसरे आदमी के साथ नाजायज सम्बन्धों के बारे में पूछे।

श्री निहाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन यह है कि इस केस की इन्क्वायरी डी० आई० जी० (सी०आई०डी०) को सौंपने की वजाय इसी सदन की एक सदस्या श्रीमति करतार देवी, जो कि उसी जिले की हैं, को सौंपी जाए।

डा० मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, ठीक है जी, मैं भी इस बात की ताईद करता हूँ।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर ये चाहेंते हैं कि श्रीमती करतार देवी इसकी इन्क्वायरी करे तो मुझे भी इसमें कोई एतराज नहीं।

डा० भीम सिंह दहिया: अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि अगर इन्क्वायरी इसी सदन के एक मैम्बर को सौंपी जानी है तो उस कांस्टीचूएंसि के एम०एल०ए० को भी साथ लगा दिया जाए।(विघ्न)

ध्यानकर्षण सूचना—

अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध न होने तथा फसलों का मुआवजा संबंधी

श्री अध्यक्ष: मुझे श्री हीरानन्द आर्य की ओर से अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध न होने, ओलावृष्टि तथा भीत लहर से

आशाढी की फसल बरबाद होने तथा सरकार द्वारा उनका मुआवजा न देने तथा करंट सावनी (खरीफ) क्राप की कंपनी से न देने के बारे में एक साल अटैन्डान्स मौजूदगी को नाटिस मिला है। मैं उसे मंजूर करता हूँ। आर्य साहब अपना नोटिस पढ़ दे और उसके बाद मिनिस्टर साहब अपनी स्टेटमेंट दें।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान लोक महत्व के इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि 1981-82 की आशाढी की फसल ओलावृष्टि तथा भीत लहर से बरबाद हो गई थी, जिसके लिये सरकार ने फसल मुआवजा देने की घोषणा की थी परन्तु अभी तक वह मुआवजा न मिलने से किसानों में बहुत परेशानी व्याप्त है।

साथ ही इससे उनसे यह भी चिंता है कि पिछली फसल के समय बची फसल पर बेमौसमी की वर्षा के कारण गेहूँ, चने आदि के बीज खराब हो गये थे। अब इस समय फसल बुआई का समय आ गया है परन्तु बीज की बड़ी भारी कमी होने का डर है और ठीक प्रकार का बीज उपलब्ध न होने से फसल कम बाई जाने का भी डर है। अतः सरकार मामलों में भीघ्न कार्यवाही करके इसी सत्र के दौरान सदन को सूचित करें। साथ ही चालू सावनी फसल ज्वार, बाजरा, गुवार आदि के मुआवजों की भी तजवीज पेश करें ताकि रेगिस्तानी इलाके में पिछड़े इलाके के किसानों को भी राहत दी जा सके।

वक्तव्य—

राजस्व मन्त्री द्वारा उक्त ध्यानकर्षण सूचना संबंधी

राजस्व मन्त्री (चौधरी फूल चन्द): अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि राज्य में 1981-82 की रबी फसलों की ओलों से काफी मात्रा में हानि हुई, जिसको 2 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि पर प्रभाव पड़ा। स्पै गल गिरदावरी, जिसकी क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों द्वारा भात प्रति गत चैकिंग करवाई गई, परन्तु की गई तथा जहां खराबा 75 प्रति गत से अधिक था, वहां 400 रूपये प्रति एकड़, जहां 50 प्रति गत और 75 प्रति गत के बीच खराबा था, वहां 300 रूपये प्रति एकड़ और जहां 25 से 50 प्रति गत कर था वहां 200 रूपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा घोषित किया गया। इस प्रकार राज्य सरकार स्वयं 15 करोड़ रूपये की राशि मुआवजा के रूप में देने के लिये वचनबद्ध हैं, जो पिछले किसी भी वर्ष से अधिक हैं। इससे पहले वर्ष 1981-82 में अधिकतम राशि 9.34 करोड़ रूपये थीं। क्योंकि इस वर्ष मुआवजे की राशि बहुत थी इसलिये इसे कि तों में रिलीज करना पड़ा और अक तक 13 करोड़ रूपये की राशि उपायुक्तों को दी जा चुकी है जिसमें से 16-09-1982 तक 9.34 करोड़ रूपये का वितरण हो चुका था और अब तक बांटी गई राशि 10 करोड़ रूपये से अधिक हो गई होगी। भोश राशि को जल्दी से जल्दी बांटने के लिये पुर्ण प्रयत्न किये जाएंगे। हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है कि मुआवजों के

वितरण में कोई अनियमितता न हों तथा इस राशि को बांटने का कार्य केवल श्रेणी-1 के राजपत्रित अधिकारियों को दिया जाता है।

2. सरकार को भली-भांति मालूम है कि मौजूदा खरीफ की फसल को वर्षा ऋतु के समय से पूर्व बन्द हो जाने के कारण हानि हुई है जबकि वर्षा वास्तव में 15 दिन देर से आरम्भ हुई परन्तु जुलाई के मध्य से लेकर अगस्त के मध्य तक यह दूर दूर तक काफी मात्रा में हुई। इसके पश्चात् बहुत ही कम मात्रा में वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप किसानों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है विशेषतः बारानी क्षेत्र में।

3. खड़ी फसलों को हानि से बचाने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। कुल उपलब्ध विद्युत भावित का 50 प्रतिशत से अधिक अन्य क्षेत्रों में कटोती लगाकर जिसमें उद्योग भी सम्मिलित हैं, कृषि क्षेत्र की ओर लगा दिया गया है। बिजली की सप्लाई धान उपजाऊ क्षेत्र में 12 घण्टे प्रतिदिन तथा अन्य क्षेत्रों में 9 घंटे एक दिन छोड़कर उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि क्षेत्र में बिजली की सप्लाई को बढ़ाने के लिये नियमित पग उठाये गये हैं, जिनमें उद्योग उपभोक्ता के लिए पीकलोड, घंटों की पाबन्दी, भाहरी फीडरज का 4 घंटे बन्द रखना, उद्योग आदि के लिये खाली दिनों का बढ़ाना सम्मिलित हैं। मेरे आदरणीय साथी श्री एस0 एस0 सुरजेवाला द्वारा दिनांक 20-09-1982 को ध्यानाकर्षण नाटिस क्रमांक 3 के उत्तर में सदन को पहले ही इस स्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

4. यथासम्भव नहर के पानी की मात्रा भी बढ़ाई गई है। नहरों को काट कर पानी के दुरुप्रयोग को रोकने के उद्देश्य से सिंचाई विभाग द्वारा नहरों पर गत कर दी गई है। यह भी है कि पिछली रबी में गेहूँ और चने की फसले भीतल नहर तथा ओलावृष्टि से प्रभावित हुई थी, इस कारण आने वाली रबी की बिजाई के लिये प्रमाणित बीजों की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। किसानों को 88,000 क्विंटल प्रमाणित गेहूँ के बीज, 11,000 क्विंटल प्रमाणित चने के बीज तथा जौ एव तेल के बीज सप्लाई करने का प्रस्ताव है। सहकारी कर्जे भी बढ़ाये जा रहे हैं और पिछले वर्ष के 54 करोड़ रुपये के कर्जों के मुकाबले में रबी, 1982-83 का लक्ष्य 68 करोड़ रुपये रखा गया है।

मैं सदन को विवास दिलाना चाहूंगा कि खरीफ फसलों को हो रही हानी बारे सरकार पूर्णयता जागृत हैं और उसे बचाने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है तथा प्रचलित प्रथा अनुसार उचित सहायता पग भी उठाये जायेगे। यह स्थिती केवल गिरदावरी के पचात ही स्पष्ट हो सकेगी। यदि इसके फलस्वरूप ऐसा आवयक हुआ तो भूमि जोतकर आबिचाना का सथगन करना, मुआफी देना, अल्म अवधि ऋण का मध्य अवधि ऋण में परिवर्तीत करना तथा अन्य उचित पग तुरन्त उठाये जायेगे।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने ब्यान में कहा है कि बहुत कम मात्रा में वर्षा होने के कारण विदेशकर बैरानी क्षेत्रों में काफी कठिनाई का सामना करना पड़

रहा है। वहा पर 48 घण्टों में केवल 9 घण्टें बिजली सप्लाई की है जो कि बहुत ना-काफी है। मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया है कि कहत के कारण काफी जगहों पर फसलें खराब हुई हैं। जहां पर नहरों से सिंचाई होती थी वहां पर किसानों का आबयानाक भी माफ कर दिया लेकिन जहां ट्यूबवैल से पानी दिया जाता है वहां के किसानों को कोई रियायत या राहत नहीं दी। जिन लोगों ने ट्यूबवैल लगाये हुए हैं और ट्यूबवैल से सिंचाई करते हैं उन्हें दस गुना खर्चा अधिक देना पडता है लेकिन उनको कोई राहत नहीं दी गई। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह भेदभाव क्यों बरता गया है? इस भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

चौधरी फूल सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक रबी की फसल का ताल्लुक है, उसके विशय में मैंने अपने ब्यान में बताया है कि ओलावृष्टि से 75 प्रति ात से अधिक खराब होने वाली फसल पर 400 रूपये एकड़ के हिसाब से 50 से 75 तक जहां खराब हुई वहां 300 रूपये प्रति एकड़, जहां 25 से 30 प्रति ात के बीच खराब हुई वहां पर 200 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। जहां 25 प्रति ात से भी कम नुकसान हुआ है वहां कुछ नहीं दिया। मैम्बर साहब ने यह भी सवाल उठाया है कि नहरी क्षेत्रों का आबयाना माफ कर दिया और ट्यूबवैल की सिंचाई होने वाले क्षेत्रों का नहीं किया। ऐसा मसला

पहले भी उठाया गया था। माननीय सदस्य जो नोटिस में लायेप हैं, इस पर फिर भी गौर करेंगे।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, यह मामला ती दिन से सौ न में उठाया जा रहा है और यह आबजर्व किया था कि य ह जैनुयन बात है यहा कर किसानों ने नहरों से सिंचाई की है, अगर उनकी फसल खराब हो गई है तो उनका आबयाना माफ किया गया था। अगर कोई व्यक्ति ट्यूबवैल से सिंचाई करता है और उसकी फसल खराब हो गयी है तो उसका आबयाना माफ नहीं है। ट्यूबवैल का खर्चा नहरी पानी से अधिक है। बडी जैनुयन बात है, इसे भी सरकार को माफ करना चाहिए। जो किसान उनके साथ भेदभाव क्यों बरता गया है। आज जीरी की फसल जल रही है, उसके लिए पानी का विशेष प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

मुख्यमन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आर्य साहब की बात में कुद वजन है। यह ठीक है कि जिन फसलों में नहर से पानी दिया जाता है, अगर वह भीत लहर से, गर्म हवा से खराब हो गई है, उसका आबयाना माफ कर दिया है लेकिन जहां पर ट्यूबवैल से खेती होती है, वहां माफ नहीं किया है। यह बोर्ड का काम है इस बारे में बोर्ड से बातचीत करके कोर्ि । । करेंगे कि वह कोई रास्ता निकाले। सरकार को किसानों से हमदर्दी है। जहां तक मदद हो सकेगी कोर्ि । । करेंगे।

श्री हीरा नन्द आर्य: मेरा दूसरा सवाल यह है कि बचा हुआ मुआवजा कब तक दे देंगे?

चौधरी भजन लाल: ओलावृष्टि के कारण 15 करोड़ रुपये का टोटल नुकसान हुआ है। 13 करोड़ रुपया डी0 सी0 साहेबान को दिया जा चुका है। केवल दो करोड़ बाकी रहता है। इस बारे में भी कोर्ट करेगा कि एक महीने में सारे को सारा पैसा पहुंच जाये।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मेरी भी एक काल अटैन्शन मोशन थी, उसके बारे में पता नहीं लगा कि क्या पोजीशन है?

श्री अध्यक्ष: आपकी काल अटैन्शन के बोर में आज से इन खतक हाने से पहले बता दूंगा कि क्या पोजीशन है?

11.00 बजे

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैन्शन मोशन दिया हुआ था, उसका क्या बना?

श्री अध्यक्ष: उसका जवाब मैंने आपको भेज दिया है। अब तो आपके पास पहुंच गया होगा, यदि नहीं पहुंचा तो अभी पहुंच जाएगा।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामंटी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 15 के अधी प्रस्ताव पे आ करैंगे।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sitting of the Assembly" indefinitely.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि आज के लिये निश्चित की गयी कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकों" के उपबन्धों से मुक्त किया जायें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न हैं—

कि आज के लिये निश्चित की गयी कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकों" के उपबन्धों से मुक्त किया जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Irrigation and Power Minister (Chaudheri Shamsheer Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित रहेंगी।

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित रहेंगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न० 4) बिल, 1982

Finance Minister (Chaudheri Katar Singh Chhokar): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.4) Bill] 1982.

Sir, I also beg to Move—

That the Haryana Appropriation (No.4) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा एप्रोप्रिए 1न (न0 4) बिल पर तुरन्त विचार किया जायें।

डा0 मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, इस एप्रोप्रिए 1न बिल के माध्यम से सरकार ने जो कल सप्लीमेंट्स की हमसे स्वीकृति ली थी, उसको आत बिल की भावल में मन्जूरी लेना चाहती हैं। स्पीकर साहब, सरकार कितनी बेरहम हो सकती हैं, इसका उदाहरण कहीं दूर ढूँढने की जरूरत नहीं है। एक स्वास्थ्य विभाग की कार ड्राईवर साहब चला रहे थे और नारनौल से कनीना जा रहे थे। एक बुजुर्ग भयोताज सिंह की उनकी कार के साथ दुर्घटना में मृत्यु हो गयी। उसको कुछ रहीं दिया गया। उसकी बेवा भटकती रही ताकि उसको इन्साफ मिल सके। लेकिन भजन लाल जी उनको इन्साफ नहीं दिया। आखिरकार उसको इन्साफ का दरवाजा न्यायालय का खटखटाना पड़ा। उसको ट्रिब्यूनल ने 14,400 रूपये मन्जूर किये। आप देखिये कितनी इन-ह्यूमैन और कैलस या निर्दयी यह सरकार हो सकती हैं जो उस अबला के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करती हैं लेकिन हमारा अपनी अदालतों के सामने सिर झुक जाता है जिसने उसको न्याय दिया। आप जानते हैं अगर आज अदालतें न होती तो हिन्देस्तान को नव 11 ही सत्तारूढ दल कुछ और बदल देते। इनका बस चले तो यह हरेक चीज को अपना गुलाम बना लें। एग्जैक्टिव तो कुमिटिड होती ही है। उन बेचारों ने इसका कहना तो मानना ही

होता है, आखिर उन्होंने नौकरी करनी है और लैजिस्लेचर में ब्रुट मैजोरिटी के बलबूतों पर जा चाहें, करवा लेते हैं। लेकिन जुडीयि यरी ही अब तक एक ऐसी इन्डीपेंडेंट बौडी हैं जहां से आम आदमी को कुछ राहत मिल सकती हैं। अभी भारत ने कन्डैम किया है। इस कानून के द्वारा अखबार वालों का गला घोटने की सारी कोशिशें की गई हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या इनके पास उस गरीब की बेवा की फरियाद सुनने की फुरसत नहीं थी।(व्यवधान व भाोर)

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): आपने बताया नहीं था।(व्यवधान व भाोर)

डा० मंगल सैन: आपने बाकी सारे काम तो कर दिये लेकिन यह काम रह गया। पता नहीं कैसे रह गया। आपको तो पत्थर लगाने से फुरसत नहीं है और जोड़-तोड़ करने से फुरसत नहीं है आप किसी गरीब की क्या फरियाद सुनेंगे। (व्यवधान व भाोर) हमें पता नहीं था कि आप इतने बेवफा निकलेंगे कि हमें छोड़कर चले जाएंगे। (विघ्न)..... हमारी इतनी मजबूरी है कि हम बिकाऊ नहीं हैं। हम प्रिंसीपल के आदमी हैं, जहां पहले थे अब भी वही हैं।

चौधरी भजन लाल: आप पहले कहां थे, अब कहां हो।

डा० मंगल सैन: हम अब भी वही हैं, जहां पहले थे। कल भी मैंने बताया था कि हमने अपने नाम के आगे प्यारा

“भारतीय” नाम जोड़ लिया हैं। विचान वही हैं, सिद्धान्त वही हैं, असूल वही हैं और नेता वही हैं। आप भूल गये जय प्रकाश नारायण जी को

चौधरी भजन लाल: मैं आज भी उनकी कद्र करता हूँ।

डा० मंगल सैन: आपको वह समय भूल गया हैं जब आप श्री जय प्रकाश नारायण जी के पास आर्गुमेंट लेने जुलाई, 1979 में बम्बई में एक्सप्रेस टावरप की 10वीं बिल्डिंग में गये थे और आपने उनका हाथ अपने सिर पर रखवाकर फोटो भी खिचवाया था।

श्री अध्यक्ष: आप इनकी पुरानी याददात क्यों ताजा कर रहे हैं? आप बिल पर बोलिये।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरी इतनी तीव्र या तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है इसलिये मैं कई बार इनके बहकावों में आ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आप बिल पर बोलें।

डा० मंगल सैन: बहुत अच्छा जी। तो मैं यह कह रहा था कि जो कुछ इन्होंने उस बेवा के साथ किया हैं, उसकी जितनी निन्दा की जायें, उतनी ही थोड़ी हैं। इसी प्रकार से इन्होंने हमारे रोहतक के पास ही एक तिलियार टूरिस्ट काम्पलैक्स खोला हैं। वहां श्रेयो नाथ जी की और दूसरे लोगों की जिन से सरकार की

दु मनी थी, इन्होंने सोचा कि इनके पास बहुत जमीन हैं, उनकी जमीन हथिया ली और वहां पर एक ट्रस्ट कांप्लैक्स खोल दिया। जमीन का मुआवजा अपने मनमाने ढंग से बहुत कम दिया। आखिर में वे लोग अदालतों में गये। हाईकोर्ट तक गये। स्पीकर साहब, आप ही जरा देखिये कितना फर्क है। वहां 6,000 रुपये प्रति एकड़ को और कहां 20,000 रुपये प्रति एकड़ का। 14,000 रुपये प्रति एकड़ का फर्क है। इसके अलावा इस पैसे पर सूद अलग से देना पड़ा। क्या यह पैसा मुख्य मन्त्री जी की जेब से गया है। नहीं, इनको पैसा तो अपनी जेग से देना नहीं पड़ा। इनकी तो व्हिम ठहरी।(व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लाल: 1973-74 की बात है। उसके बाद तो आप भी सरकार में रहे हैं।

डा० मंगल सैन: आप भी हमारे साथ थे। हम ता वहां कभी रहते नहीं थे। आप ही रैस्ट हाउसिज में ठहरते हों। यह क्रिमीनल कार्य किया गया है जा जनता के गाढे पसीने की कमाई को पैसा, हरियाणा के गरीब किसान और खेतीहार मजदूर का, दुकानदार या व्यापारी द्वारा दिया गया टैक्सों की भाक्ल में पैसा मुकद्दमेबाजी पर अदालतों में इस तरह से बर्बाद किया गया है। इस तरह से जनता का पैसा बर्बाद किया गया है। इसके अलावा जो सूद दिया गया है, वह अलग से है। इसके लिये फिर हाउस में आते हैं और कहते हैं कि सप्लीमेंट्री कुर्सियां नीलाम हो जायेगी, कही डिप्टी कमि नर का दफतर कुर्क न हो जाए। हमारी जान

बख्शों। स्पीकर साहब, इसी प्रकार से रोहतक में इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैन्ट कालोनी बनाई है और वहां भी ऐसा ही किया है। वहां पर भी जमींदारों को बहुत कम पैसा दिया गया है। मजबूरी में व लोग अदालतों में गए। ऐसे ही कालका में हुआ है। सरदार जी, आप तो वजीर थे। आप तो उन जमींदारों को बचवा लते। स्पीकर साहब, यहां पर पुलिस का जिक्र किया गया और चौधरी भजन लाल जी पुलिस की बड़ तारीफ कर रहे थे। कि हमारी पुलिस बड़ी अनुपासन वाली है। लेकिन दूसरी तरफ हालज है कि चौर सौ आदमियों को निकाल दिया। उनको अपनी बात कहने को कोई मौका नहीं दिया। सरकारी नौकरी में अगर चपरासी को भी निकाला जाता है तो उसको भी बताया हात है कि उसको निकाला जा रहा है। लेकिन स्पीकर साहब, उन चार सौ पुलिस वालों को बी०एस०एफ० को बुलाकर निकाला गया। मधुबन को घेर लिया गया और उनको कहा कि हथियार दो जैसे दो दे गों की फौजें लड़ रही हो। (गोर एव व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: इसका भी जवाब देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: आप इसी प्वायंट पर बोलें जिसका सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेटसे में जिक्र है तथा जिनके बारे में यह बिल जाया गया है। आप स्कोप से बाहर न बोलें। (विघ्न)

डा० मंगल सैन: आप जवाब दीजिए। सरकार ने चार सौ कुनगो की रोटी पर लात मारी है इससे ज्यादा ज्यादा आप और क्या कर सकते हैं। आप उनके बच्चों के आसूँ नहीं पुछ सकते।

श्री अध्यक्ष: डा० साहब आप तो काफी तजुर्बेकार हैं, आप तो स्कोप के अन्दर बोलें।

डा० मंगल सैन: बहुत अच्छा जी। स्पीकर साहब, मोती लाल नेहरू स्कूल के लिए जमीन है वहां पर भी ऐसी ही ज्यादाती की है। स्पीकर साहब, एक किस्सा हो तो खत्म हो जाए यहां तो कहानी इतनी लम्बी है कि खत्म होने में ही नहीं आती। भिवानी में जेल के लिए जमीन ली वहां पर भी ऐसा ही किया और उन लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा। एक ऐक्सीडेन्ट का केस है। एक केस और है जिसमें एक रोड रोलर का ड्राईवर इंवाल्वड है। ये आई० ए० एस० औफीसर्ज को तो हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी लौबी है।(गोर एव व्यवधान)

Mr. Speaker: I.A.S. Officers are not there to defend themselves. Therefore, do not make any reference about them.

डा० मंगल सैन: मैं तो यह कह रहा था कि ये आई० ए० एस० औफीसर्ज को तो हाथ नहीं लगा सकते लेकिन बेचारे ड्राईवर को इन्होंने चार साल पहले ही रिटायर कर दिया। स्पीकर साहब, जगजीत सिंह ने पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट में 01-08-1956 को सर्विस ज्वाएन की और उसको रिटायर 1978 में होना था लेकिन उसको 1974 में ही रिटायर कर दिया।(गोर एव व्यवधान)

उस बेचारों के बच्चों पर रोड रोलर फेर दिया। भगवान जाने क्या उसके बच्चों सोचते होंगे कि उसको चार साल पहले निकाल दिया। (गोर एव व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि सरकार को बड़ी विजिलैन्ट होकर काम करना चाहिए और छोटे से मुलाजिम को भी तडपाकर नहीं मारना चाहिए। उसको मजबूत नहीं करना चाहिये कि वह अदालत में जाए। स्पीकर साहब, उसको 1978 में रिटायर होना था लेकिन उसको चार साल पहले रिटायर कर दिया। वह अदालत में चला गया और सरकार को मजदूरी के पैसा देना पड़ा। यह कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जनता की मेहनत की कमाई को इस तरह से बरबाद न करें। सरकार को इन सारी बातों से सावधान रहना चाहिए। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन आप को उनको कहने नहीं देंगे। चौधरी बीरेन्द्र सिंह कह रहे थे कि कनफाउ से किसी को नहीं निकाला लेकिन कहा यह जा रहा है कि लोगों को निकाला गया है। हमें जानकारी मिली है कि सत्तर हजार ऐप्लीके ांज आई थी। सत्तर हजार का इन्दरव्यू लिया गया। फिर आप कहेंगे कि स्कोप के बाहर जा रहा हूँ इसलिए मैं इस बात को यहीं पर छोड़ता हूँ। बीरेन्द्र सिंह जी से मैं कहूंगा कि ये स्पष्ट कर दें कि किसी को निकाला है या नहीं। स्पीकर साहब, इतना कहकर मैं अपना स्थान लेता हूँ और इस एप्रोप्रिए ान बिल का विरोध करता हूँ।

डा० भीम सिंह दहिया(रोहट): स्पीकर साहब, जो ऐप्रोप्रिएट इन बिल पे आ किया गया है मैं समझता हूँ कि उसका विरोध करना बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो पैसा जिन लोगों को मिलना है और जिन कारणों से ऐप्रोप्रिएट किया जा रहा है उन लोगों को मिलना चाहिए। यह हमारी मजबूरी है कि इसको हम उनको दे रहे हैं इसलिए हम इसका विरोध नहीं कर सकते लेकिन जिन कारणों से यह ऐप्रोप्रिएट किया जा रहा है उन पर बड़ी गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। स्पीकर साहब, जितने केसिज सप्लीमेंटरी डिमांडज में लिस्ट किए गए हैं वे सब ज्यादाती के केसिज हैं चाहे जमीन ऐक्वायर करने के बारे में है या किसी को पहले रिटायर कर दिया गया है। स्पीकर साहब, सरकार द्वारा किसानों की जमीन बहुत सस्ते भाव पर ऐक्वायर कर ली जाती है। पांच दस साल बेचारे किसान को कचहरियों में घूमने के बाद तीन-चार या पांच गुणा पैसा मिलता है। यसह सब सरकार की तरफ से भी और आदमी की तरफ से भी बेकार मा खर्चा है। एक गरीब किसान के साथ यह बहुत बड़ी ज्यादाती है। सरकार गरीब किसान जिसकी जमीन ले ली गई है, जिसके पास रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं रह जाता है। वह कैसे आठ दस साल तक अदालतों के चक्कर काट सकता है। उसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है और कचहरियों में जाने के लिए दस हजार या न्याय नहीं मिलता। कल कहा गया था कि न्याय भायद इसलिए नहीं मिलता कि सरकार के कई कानून सैन्टर से बने हुए हैं इसलिए हमारी मजबूरी है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि

कोई भी बात है आप उस पर विचार करें। अगर सैन्टरप ने किसी बात का फैसला करना है तो सरकार को सैन्टरप को लिखना चाहिए, वहां पर जाकर बात करनी चाहिए। इस किताब में जो दूसरे केसिज लिस्ट किए गए हैं वे भी सरकार की ज्यादती के हैं। एक केस में सरकार ने एक आदमी को निकाल दिया लेकिन बाद में अदालत से उसको न्याय मिल गया और सरकार की गलत नीति के और ज्यादती के हैं। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इन सब बातों पर गौर करे और गरीब आदमीयों के साथ न्याय करें।

चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर): अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में एप्रोप्रिएट इन बिल पर डिस्कशन चल रही है। मैं उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अगर सरकार वास्तव में इस पर पूरी तरह से अमल करे और ईमानदारी से लोगों की सेवा करे तो मैं समझता हूँ कि ये डिमांडज ठीक है लेकिन जैसाकि मैंने पहले दिन भी प्रश्न किया था कि जिला कुरुक्षेत्र में कुछ गांवों में, जहां की जमीन बड़ी ही उपजाऊ है और सड़क के साथ लगती है, वहां पर तों जमीन एक्वायर करने के बाद सरकार ने लोगों को केवल 20 हजार पर-एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है लेकिन जो दूर की जमीन है, गांव से दूर लगती है, और वह जमीन अच्छी भी नहीं है वहां पर लोगों को 40,42 हजार रुपये पर-एकड़ के हिसाब से जमीन का मुआवजा दिया गया है। यह उचित बात सरकार की तरफ से नहीं की गई

हैं। इस इलाके में कम से कम 100 के करीब ऐसे परिवार हैं जो कि बिल्कुल बेघर हो गये हैं। जिनके पास कोई जमीन भी नहीं है और पशुओं को चारा वगैरह देने का भी उनके पास कोई साधन नहीं है और जून में जब लैन्ड एक्वायर की गई तो लैन्ड एक्वीजीशन अफसर जब वहां गये तो उस वक्त लोगों की भूमि फसल बोनने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैंने उनसे कहा है कि साहब यह सही समय नहीं है लोगों की जमीनों को एक्वायर करने का, क्योंकि यह सीजन तो उनको बीजने का है लेकिन उन्होंने हमारी एक भी न सुनी और कहा कि हम क्या कर सकते हैं, सरकार की मजबूरी है, सरकार का आदेश है कि इसी वक्त लैन्ड एक्वायर कर ली जाए। लैन्ड एक्वायर कर ली गई लेकिन आज तक उस जमीन का लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। अगर सही मायनों में सरकार यह चाहती है कि किसी के साथ कोई भेदभाव की नीति न बरती जाए तो सरकार को अब यही इस तरफ ध्यान देना चाहिये और पशुओं को उनकी जमीनों का एकसार मुआवजा दिया जाना चाहिये ताकि लोगों में किसी भी प्रकार को रोश वगैरह न हो। 20 हजार पर—एकड़ के हिसाब से जो मुआवजा दिया गया है, ऐसे लोगों को दूसरी जगहों के अनुसार जो मुआवजा दिया गया है, वही दिया जाए। स्पीकर साहब, इसके साथ—साथ में कहना चाहता हूँ कि जो लैन्ड एक्वीजीशन अफसर था, उसने लोगों को नाजायज तंग भी किया और खड़ी फसलों के बारे में यह हुक्म दिया कि इसको अभी काटिये और उसी वक्त ट्यूबवैल पर भी कब्जा कर लिया और यहां

तक हुआ कि उस जमीन का दो जून को अवार्ड सुनाया गया लेकिन अवार्ड मिलता है कम से कम 15 या 16 दिनों के बाद और वह भी बहुत कम इस प्रकार का अन्याय सरकार की तरफ से गरीब किसानों के साथ किया गया है और किया जा रहा है जिसको कि लोग सहन नहीं करेंगे। इस बारे में लोगों ने बहुत सारी रिप्रजेन्टे इन भी दी हैं लेकिन अभी तक उन पर गौर नहीं किया गया है। वे लोग अगर अदालतों में जाएंगे तो 10-10 सालों तक वे लाग अपनी कीमतों को वसूल कर पाएंगे। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि उन लोगों की जो रिप्रजेन्टे इनज हैं, उन पर फौरी तौर पर गौर किया जाए ताकि लोगो को राहत मिल सके।

इसके साथ मैं थानसेर हल्के की कुछ सड़को का भी जिक्र करना चाहता हूँ। जो सड़कों के छोटे-छोटे टुकड़े है वे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिये गये हैं, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पता नहीं क्या कारण है, अधिकारीगण भी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि मैं उन सड़को के नाम बताता हूँ उनकी तरफ सरकार अब य ध्यान दे और उनको भीघ्र ही बनवाने की कृपा करें। मैं उन सड़को के नाम बताता हूँ। एक सड़क है बड़ौट गांव से सलेमपुर तक, यह केवल तीन किलोमीटर को ही टुकड़ा है। रोड़ी वगैरह तो वहां पर बिछा दी गयी है लेकिन तारकोल नहीं डाला गया है। दूसरी सड़के है धनौरा से इन्दिरा गान्धी ने इनल कालेज लाडवा तक। यहां पर मोटा रोड़ा वगैरह बिछा

दिया गया है, पर पता नहीं यहां पर भायद कोई पोलिटीकल कारण से रूकावट आ गयी है। तीसरी सड़क है लोहाड़ा से गिरधारमुर, यह केवल दो फर्लांग का टुकड़ा है, इसको भी सड़क से नहीं जोड़ा गया है और बरसात में लोगों को आने जाने में कड़ी दिक्कत होती है। इसके बाद एक सड़क है निवारसी गांव से स्कूल तक, एक सड़क है भूतमाजरा से स्कूल तक, इन दोनों के न बनने के कारण बच्चों को स्कूल वगैरह आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भायद यहां भी कोई राजनैतिक कारण उलझ गया है जिसकी वजह से ये सड़के बनने से रह गयी। एक सड़क है खेरी से हरीपुर, खेरा से लोहाड़ा और सम्मालखा से डेरा गुरुद्वारा तक इस तरफ सरकार को अब य ध्यान देना चाहिये। फण्डज तो सरकार मांग लेती है लेकिन उन फण्डज का सही प्रयोग नहीं किया जाता है।

इसके अलग प्वायंट मैं आपके द्वारा सरकार के नाटिस में लाना चाहता हूं कि भाखड़ा कैनल पर जो सरकार की तरफ से ट्यूबवैल लगें हुए हैं वे ट्यूबवैल 24 घण्टे चलते हैं और उनका 8 इंच को बौर है जिसके कारण थानेसर तहसील में पहेवा में जितने लोगों के अपने ट्यूबवैल है, उनका पानी सूख गया है उन में पानी नहीं आ रहा है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि जिन लोगो के सरकारी ट्यूबवैल चलने के कारण पानी बन्द हो गया है, उनको सरकार की तरफ से पानी मुहैया किया जाए या फिर सरकार अपने उन ट्यूबवैल को बन्द करे ताकि दूसरे किसान

अपने ट्यूबवैल को चला करके अपने खेतों को पानी दे सके और किसानों की फसलें भी बच सकें।

इसी तरह से बिजली के मामले में भी कुछ कहना चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र में पैडी की फसल सबसे ज्यादा होती है, यह ऐरियां पैडी का है और सुरजेवाला जी को पता ही है कि पिछले हफ्ते में कुरुक्षेत्र जिले में 28 के लगभग ट्रांसफार्मर्ज जल गये हैं इस बारे में मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी की हैं और जुबानी भी रिक्वेस्ट की हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कहते हैं कि अभी हमारे स्टॉक में ट्रांसफार्मर्ज नहीं हैं। स्पीकर साहब, किसानों के ट्यूबवैल नहीं चल और इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों ने अपनी फसलें काट कर, जाकि सूख गयी थी, पतुओं को डाल दी। इसलिये मेरी रिक्वेस्ट है कि आने वाले 15-20 दिनों के लिए इस इलाके में बिजली की लगातार बिना किसी रूकावट के स्प्लाइं जारी रखी जाए ताकि किसान तबाह होने से बच जाए क्योंकि आजकल धान पकने वाला है। अगर ऐसा सरकार की तरफ से नहीं किया गया तो किसान बुरी तरह से पिस जाएगा और इसकी सारी जिम्मेवार सरकार के ऊपर होगी।

अब मैं बस सर्विस के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ क्योंकि आज हरियाणा के अन्दर बस सर्विस बड़ी ही खराब है। कुरुक्षेत्र जिले में लाडवा पेहवा वगैरह से बहुत से बच्चे पढ़ने के लिये आते जाते हैं लेकिन उनको बस सर्विस के खराब होने की वजह से आने जाने में काफी दिक्कत होती है। कई बच्चे छतों पर

बैठकर और कई मोटर-साईकलों पर सवार होकर जाते हैं। अगर सरकार सही मायनों में लोगों की सेवा करना चाहती है तो लोकल बस सर्विस लाडवा, पिपली और यूनीवर्सिटी कैम्पस के लिये प्रोवाइड की जाए ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए। इसके साथ साथ यहां पर यह कहा गया कि एक जिले में जहां नहर का पानी नहीं दिया गया वहां पर लोगों की फसले तबाह हो गयीं और उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया गया है और मालिया माफ कर दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से पेहवा को छोड़कर जिला कुरुक्षेत्र के दूसरे इलाके में वहां पर लोगो का न तो मालिया माफ किया है और न ही उनको मुआवजा दिया गया है और फिर क्या हुआ कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने लोगो से मिलकर अन-अथोराइज्ड कनेक्शन दिये और खराब मीटर सप्लार्ड किए गए और बाद में लोगो को 6-6 हजार रुपये के बिल भेजे गये और फिर पेमेंट्स न होने के कारण उन लोगो के कनेक्शन काट दिये गये। इस तरह से लोगो को नाजायज तंग किया जा रहा है इसलिये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और कुरुक्षेत्र का जिला जो कि पैडी एरिया है, उनको बचाने के लिये किसानों की हर मुमकिन मदद की जाए और जिन लोगो की फसलें जहां नहरी पानी न लगने के कारण खराब हुई हैं, उनको मुआवजा दिया जाए और उनका मालिया माफ किया जाए। अन्त में मैं फिर सरकार से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी किसम का भेदभाव न करके सभी इलाकों के किसानों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया

जाए और उनकी दिक्कतों को दूर किया जाए। इतना कहता हुआ मैं इस एप्रोप्रिए इन बिल का विरोध करता हुआ धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्रीमति चन्द्रावती: जनाब, आज से इन को आखिरी दिन है इसलिये हरेक मैम्बर को बोलने के लिये समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: आप ही देखिये बहन जी, मैंने मैम्बरज को अपोजी इन की तरफ से बुलवाया है। उसके बाद ही मैंने रूलिंग पार्टी के एम0एल0ए0 का नाम लिया है।

श्री सागर राम गुप्ता (भिवानी): स्पीकर साहब, इस समय हाउस के सामने एप्रोप्रिए इन बिल पे आ हुआ हुआ है। मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ क्योंकि इस बिल में किसानों को राहत देने का प्रावधान है और उनके लिये हरियाण सरकार ने बहुत अच्छे—अच्छे काम किये हैं। आपको पता ही है कि जब ओले पड़े, भीत लहर आई उस वक्त किसानों पूरी पूरी फसले तबाह हो गयी और सरकार ने किसानों मुआवजा भी दिया। मैं दो तीन बातें मोटे तौर पर अर्ज करूंगा जिनके जरिये सरकार का और इस सदन का भी ध्यान दिलाऊंगा। पहली बात यह है कि जहां तक किसानों को मुआवजा देने की बात है मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ज्यादा इन्साफ वाली बात नहीं हुई है। मुझे मालूम है कि मेरे अपने भिवानी हलके में 25—30 गावों में किसानों को काफी नुकसान है लेकिन पटवारियों, गिरदावरों और कुछ अन्य वैस्टिड

इन्ट्रैसट ने उस वक्त जो रिपोर्ट दी वह गलत दी। उन गलत रिपोर्ट्स के देने की वजह से हमारे यहां किसानों को मुआवजा नहीं मिला। सरकार इस में कुछ न कुछ जरूर कर सकती हैं। इस बात को तो मैं मान सकता हूं कि आज कोई ऐसी एवीडेंस इवेलेबल नहीं है जिसके आधार पर उन रिपोर्ट्स को स्कर्टीनाइज किया जा सके लेकिन फिर भी सरकार कोई ऐसा जरिया निकाल सकती हैं जिससे पता लग सके कि किन लोगों ने गलत किस्म की रिपोर्ट्स बनाई जिसकी वजह से किसानों को मुआवजा न मिल सका। सरकार उनको कम से कम सजा देने की बात जरूर करें। इसी सिलसिले में मैं एक और अर्ज अपनी कांस्टीचयुएंसी के बारे में करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, उस इलाके में आप भी गए होंगे। हमारा इलाका बहुत पूअरली इरीगेटिड है और वहा पर मुआवजे की बात किसी एक, दो, तीन या चार फसलों की हो तो इग्नोर की जा सकती हैं लेकिन वहां पर तो हर साल फसलें खराब होती हैं। पुअर इरीगेशन की वजह से हर किसान का वहां पर नुकसान होता है। वहां पर हर कैनल और डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल हैं और दूसरे वह रेतीला इलाका है इस वजह से जो थोड़ा बहुत पानी आता है वह खेतों में जाने से पहले ही नालियों में सूख जाता है। बंसी लाल जी ने अपने वक्त में उस इलाके की कुछ तरक्की करने की कोशिश की थी और वे उधर ती चार नहरें भी ले गए थे लेकिन उसके बावजूद भी आज अगर मैं यह कहूं कि उस इलाके में 75% इरेगेशन नहीं हो रही और केवल 25% हो रही है तो यह कोई एगजाजरेटेशन की बात नहीं है। मैं

सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगा और साथ ही हाउस से भी कि जहां आप गरीब किसानों को मुआवजा देने की बात सोचते हैं वहां इस बात को भी जरूर सोचिए कि जहां इरीगेशन की कमी की वजह से परमानेंट लौस है और किसान अपनी फसलें नहीं उगा सकते वहां भी फारमर्ज को मुआवजे के तौर पर कुछ राहत देने की कोशिश करें। मैं यह नहीं कहता कि उनको नकद मुआवजा दिया जाए। मुआवजा देने के दूसरे रूप भी हैं। मुझे याद है मेरे भाई हीरा नन्द जी आज सुबह बात कर रहे थे कि वहां पर बिजली के रेट सबसीडाइज्ड करें, जहां ट्यूबवैल नहीं हैं वहां इन-पुटस और फर्टिलाइजर वगैरह देने के लिये उनको सबसीडाइज्ड करें। जहां पानी की कमी की वजह से या रेतीलेपन की वजह से आम तौर पर फसले कमजोर होती हैं वहां किसानों को कुछ न कुछ राहत जरूर दी जाए ताकि उनका जो फरमिंग औकुपेशन है वह इकोनॉमिक हो सके। इसके साथ-साथ स्पीकर साहब, मैं एक यह बात भी अर्ज करना चाहता हूँ कि केवल किसान ही नहीं बल्कि इस प्रान्त के मजदूर भी इस सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती भी हैं। मैं 25-30 साल से इस फील्ड में हूँ इसलिये आज मैं यह कह सकता हूँ कि बावजूद इस बात के कि सरकार ने मजदूरों को राहत देने के लिये बहुत कानून बनाए हैं लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मजदूर कानून हमारी स्टेट में अच्छी तरह से लागू नहीं होते। दुख की बात यह है कि आज सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार बहुत जबरदस्त चला हुआ है जिसकी वजह से पूंजीपति लोग इन

अधिकारियों को अपने काबू में रखते हैं और गरीब मजदूर पिटते रहते हैं। इसलियसे मैं सरकार से यह कहूंगा कि वह इस बात की तरफ जरूर ध्यान दें। मैं मुआवजे की बात कर रहा था। स्पीकर साहब, आपको मालूम है कि इंडस्ट्री में बड़ा रिसेशन आया हुआ है। बहुत सी जगहों पर मजदूर रिट्रेच हो रहे हैं, बहुत सी जगहों पर मजदूर ले-आफ किये जा रहे हैं और बहुत सी जगहों पर मजदूरों को धक्के मार कर बाहर किया जाता है तो क्या ऐसे मजदूर मुआवजे के हकदार नहीं हैं? क्या उनको रोटी नहीं चाहिए, क्या उनको कपड़ा नहीं चाहिए या रहने के लिये मकान नहीं चाहिए। अगर हम फारमर को मुआवजा देते हैं तो मजदूर को क्यों न दें, सरकार इस बात पर विचार करें। ऐसे मजदूर जिनको बिना कसूर सरप्लस करके नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनको सरकार मुआवजे के तौर पर राहत दे। स्पीकर साहब, यही नहीं उन मजदूरों को भी राहत की जरूरत है जो बेचारे लेबर कोर्ट्स में और ट्रिब्यूनल में कई-कई सालों से मारे-मारे फिर रहे हैं। सरकार इस बात का अच्छी तरह से मता है कि 70-80% मुकदमें ऐसे होते हैं जो मालिक क्रिएट करते हैं। मजदूर यूनियन मालिक को अपनी डिमांडज को नाटिस देती हैं और ऐसा होते ही मालिक की फ्लाइंग स्क्वायड अपना काम करना भुरु कर देती हैं। जो 15-20 मजदूर यूनियन के लीडर होते हैं उनको सस्पेंड और डिसमिस कर दिया जाता है। उनका कसून यह होता है क्योंकि उन्होंने मजदूरों को इकट्ठा किया और उनका जीवन स्तर ऊंचा करने की कोशिश की है। मालिकों को ये बातें अच्छी नहीं

लगती इसलिये वे फौरन यूनियन के लीडर्ज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जब उनको निकाल दिया जाता है तो कंसिलिएशन अफसर उनका समझौता नहीं करवा पाता और सरकार उनके मुकदमें अदालत में भेज देती है।

श्री अध्यक्ष: गुप्ता साहब, आप बिल की क्लोज के अन्दर – अन्दर ही रहें, जनरल डिस्कशन में न जाएं। आप बहुत बाहर चले गये हैं। इसमें मजदूरों को निकालने की कोई बात नहीं है।

श्री सागर राम गुप्ता: स्पीकर साहब, क्योंकि इसमें मुआवजों की बात है इसलिये मैं यह जिक्र कर रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि मजदूरों को भी किसानों की तरह से मुआवज की जरूरत है। जिनके मुकदमें 8-10 साल तक अदालतों में चलते हैं उनकी हालत का आप अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार ने किसानों को राहत देने के लिये बहुत अच्छे कदम उठाए हैं लेकिन किसानों के अलावा हमारी स्टेट में ऐसे दूसरे अंग भी हैं जिनको इस तरीके के मुआवजे की जरूरत है। मैं अर्ज कर रहा था कि हरियाणा में मजदूरों की दशा अच्छी नहीं है, उनको कानून की राहत ठीक नहीं मिलती है। उनकी रिसैशन की वजह से रिट्रैचमेंट हो रही है, उनको नौकरी से हटाया जा रहा है। बिजली की कमी की वजह से बहुत से मजदूरों को नौकरी से निकाला जा रहा है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि यह पालिसी मैटर है इसलिये इस बारे में सरकार सोच विचार करके गरीब मजदूरों को राहत दें।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल(मढाल खुर्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले आनरेबल सागर राम गुप्ता जी ने एप्रोप्रिए इन बिल पर बोलजे हुए कुछ बातें कही। उन्होंने इस बिल के बारे में कहा कि यह बहुत बढ़िया बिल है किसानों को इस बिल से काफी राहत मिलेगी। इसके इलावा उन्होंने मजदूरों के बारे में बातें कही और एक बात यह भी कही कि आम आदमी को गवर्नमेंट के बारे में जा जनरल इम्प्रै इन है वह सबको मालूम है तथा उन्होंने प्रान्त में वाइंड स्परेड क्रॉ इन के बारे में बातें कहीं उनके लिए मैं गुप्ता जी का धन्यावाद करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगो का जो गलत इम्प्रै इन है वह गवर्नमेंट में मिनरी के बारे में है। सरकार द्वारा जो प्लानिंग बनाई जाती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मिनरी होती है। अगर उस मिनरी का कामन के लिए इन्ड्रैस्ट बना हुआ है या नहीं। इस बारे में मुझे एक बात याद आती है। यह बात अढ़ाई हजार वर्ष पहले की है। उस समय चीन में राजा कंफ्यू ियस राज करता था उसके पास एक राजा जाता है और कहता है कि महाराज मुझे राज करने के लिए कोई बढ़िया नुक् ा बताएं। महाराजा कंफ्यू ियस ने उस राजा से कहा कि बढ़िया राज चलाने के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं। एक जनता में विवास, दूसरी भोजन और तीसरी फौज-पुलिस। अगर ये तीन चीजे रहेंगी तो आपका भासन बहुत बढ़िया तरिके से चलेगा। अस राजा ने कहा कि महाराज तीन चीजें तो ज्यादा है आप कोई दो चीजें बताए। जिससे हमारा राज अच्छी तरह से चलता रहे और ज्यादा दिक्कत

भी न रहे। फिर महाराजा ने कहा कि आप फौज हटा दीजिएगा तो काम अच्छी तरह से चलता रहेंगा और आपकी प्लासिंग बनती रहेंगी और इम्प्लीमेंट होती रहेंगी। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उस राजा ने महाराजा कंप्यूटिंग से कहा कि महाराज एक ही चीज रहने दीजिए तो महाराज ने कहा कि भोजन की भी जरूरत नहीं है आप सिर्फ विवास रखिए। अगर जनता का विवास आपकी मीनरी में है, आपकी गवर्नमेंट में है और आपके सरकारी अफसरान में है तो आपका राज बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। अगर जनता का विवास आपकी मीनरी से उठ गया तो जनता विद्रोह कर देगी। जो कि हमारे प्रदेश में हा रहा है। अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी इस समय हाउस में नहीं बैठे हैं। कल उन्होंने कहा था कि क्रॉप इन तो खत्म नहीं सकती। (गोर)

श्री अध्यक्ष: ग्रेवाल साहब, आप एप्रोप्रिएट इन बिल पर ही बोले और आप वाईड अप करें।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: ठीक हैं जी। मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं यह कह रहा था कि बल मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि क्रॉप इन खत्म नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी लेकिन हमारे देश में क्रॉप इन बढ़ चढ़ कर मिलेगी और बेरोजगारी बढ़ चढ़ कर मिलेगी। हमारे देश के लोगो ने इस किस्म की आर्थिक कंडीशन को सुधारने के लिए कुर्बानियां दी थी। आजकल

दे 1 में और हमारे प्रदे 1 में हालत यह है कि उन कुर्बानिया को बेमायने किया जा रहा हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मै बिजली के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। हमारे जिले में बिजली पर दो-तिहाई कट लगा हैं जैसे बिजली मंत्री जी ने बताया कि 9 घंटे बिजली किसानों को आल्टरनेट डेज पर मिलती हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में फ़ैमिन लाइक केडी ांज हो रही हैं। ज्वार, बाजरा, ग्वार और कपास की फसलें बिल्कूल बर्बाद हो गई हैं। इसलिए मै बिजली मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप भी किसान के बेटे हैं किसानों की तरफ भी ध्यान दें। किसान ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे। आप किसानों को बिजली सप्लाई करने के लिए बाजार 10 बजे से 4 बजे तक बन्द कर दीजिए और बड़े- बड़े कारखानो को बिजली की सप्लाई बंद कर दीजिए और किसानों को वार फटिंग पर बिजली दीजिए। यदि किसानों को 12 या 14 घंटे बिजली मिलें तो उनकी फसलें बच सकती हैं लेकिन बिजली न मिलने के कारण किसानों की फसलों का बड़ा भारी नुकसान हुआ हैं। केवल यही नहीं मेरे हल्के मे 50 ऐसे ट्रांसफार्मर है जो जल चुके हैं ओर लगभग 4 महीने हो गए उनकी आज तक रीप्लेसमेंट नहीं हो पा रही है। इसके बावजूद भी सरकार ने बिजली के रेट बढ़ा दिए। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल बिजली के रेट बढ़ाने के विरोध में हमारे जिले भिवानी में लगभग एक लाख लोग इक्कठे हुए थे। उस दोरान एक नौजवान महाबीर नाम का लड़का भाहीद हुआ था। अध्यक्ष महोदय, भाायद उस समय आप बिजली मंत्री थे। उस समय सरकार ने बिजली का बढ़ाया रेट

वापिस ले लिया था लेकिन अब एक साल के बाद फिर से रेट सैक्टर में टैक्स बढ़ा दे लेकिन किसानों पर टैक्सों का बोझ न डालें। किसान ऐसी हालात में नहीं है कि वह टैक्सों का बोझ वहन कर सकें। किसान की हालत इतनी खराब है कि सरकार भ्रष्टाचार को मिटाए, बेरोजगारी को मिटाए और किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार जितने भी टैक्स लगाए वह उन लोगों पर लगाए जिनकी टैक्स कैपसिटी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपील करना चाहता हूँ कि सरकार भ्रष्टाचार को मिटाए और बेरोजगारी को मिटाने के लिए सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए नहीं ता जनता ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगी। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अपना स्थान लेता हूँ।

श्री हरि चन्द हुड्डा (किलाई): स्पीकर साहब जो एप्रोप्रिएशन बिल सदन में पेश किया गया है उस पर चर्चा चल रही है। इस बिल में कहा गया है कि सरकार ने किसानों को बहुत फायदा दिया है। स्पीकर साहब, आप भी किसान हैं। आप किसानों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन इन लोगों को यह पता नहीं है कि आज किसान टैक्सों के बोझ के नीचे कितना दबा हुआ है और कितना दुखी है। स्पीकर साहब, इस मोतियों वाली सरकार ने किसानों को तबाह कर दिया है। औलावृष्टि के कारण हुए नुकसान का पैसा किसानों को दिया था

वह सब से पहले हमारी सरकार ने दिया था। उसी प्रथा को यह सरकार निभा रही हैं। स्पीकर साहब, जब आकाश में बिजली कड़कती है तो चने के फूल मर जाते हैं और चने की फसल खराब हो जाती है इसलिए सरकार को किसानों को उसका मुआवजा भी देना चाहिए। स्पीकर साहब, आप भी किसान हैं आपको मालूम होगा जब उधर की हवा चलती है (पश्चिम की) तो सारी फसल खराब हो जाती है इसलिए किसानों को उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। स्पीकर साहब, यह मोतियों वाली सरकार आज तक किसानों को कुछ नहीं दे पाई है। स्पीकर साहब, जितने भी डिवैल्पड कंट्रीज है वे किसानों के कंधों पर चल रहे हैं लेकिन इस सरकार के लिए मैं एक ही बात कहता हूँ:-

पक्षी समझते हैं चमन बदला,

हंसते हैं सितारे गगन बदला.,

मगर भूमिदान की खामोशी कहती है,

लाशें वही सिर्फ कफन बदला हैं ॥

स्पीकर साहब, यह सरकार गरीब किसानों का नाम लेकर और गरीब मजदूरों का नाम लेकर 20 साल से इस देश को तबाह कर रही है। मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि अब किसान और मजदूर जाग गया है इसलिए वह दिन दूर नहीं जिस दिन किसान और मजदूर अपना हक अवश्य लेगा। इन

भाब्डों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ।

श्री राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिए इन बिल आज पास होने जा रहा है। मैं भी इस बिल पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। एक तरफ तो सरकार अनुपूरक मांगे पे करते जनता पर करों का बोझ बढ़ाती जा रही है और दूसरी तरफ सरकार अपनी फंडिंग पर विचार नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, नैचूरल कलेमीटीज से जिन किसानों की फसल खराब हुई है उनको कम्पनसेट करने के लिए यह सरकार 15 करोड़ रूपये की राशि सदन से मंजूर करवा रही है। एक तरफ किसानों पर टैक्सों का बोझ डाल कर उनको बर्बाद होने के लिए मजबूर करती है। स्पीकर साहब, हरियाणा में महेन्द्रगढ़, भिवानी ओर गुड़गावा जिलों में नहरों से सिंचाई बिल्कूल नहीं होती है। स्पीकर साहब, मैं महेन्द्रगढ़ कांसटीच्यूएंसि को रिप्रजैन्ट करता हूँ। हरियाणा में महेन्द्रगढ़ जिले में सबसे ज्यादा गहरा पानी है। सैकड़ों गांव ऐसे है जिनमें पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और उन लोगों को पड़ोसी गांवों से पीने का पानी लाना पड़ता है। स्पीकर साहब, पहले बिजली के मामले में वहा के किसानों को 19 पैसे पर-यूनिट रियायत दी जाती थी लेकिन उनको इन्होंने घटा कर 12 पैसे कर दिया और अब फिर इन्होंने 5 पैसे पर-यूनिट की वृद्धि उनके ऊपर और कर दी है। फिर यह सरकार कहती है कि किसानों को कम्पनसेट किया जा

रहा है। (गोर) हम जिन लोगो द्वारा चुन कर आए हैं उनके हितों के लिए और उनके न्याय के लिए बात यहां पर कह सकते हैं। (गोर) स्पीकर साहब, आज लगभग सभी पब्लिक अंडरटेग्जि घाटे में जा रही हैं जिसकी एक मिसाल मैं हाउस को बताना चाहता हूँ। पेहवा के अन्दर जो मधु घी तैयार कर रहे हैं वह तो लाभ में जा रहे हैं लेकिन वीटा घी प्लांट घाटे में जा रहा है जबकि एक ही गाय का दूध और एक ही भैंस का दूध दोनों को सप्लाई हा रहा है। डेरी डिवैल्पमेंट के अधीन जा वीटा घी तैयार किया जा रहा है वह वर्ष में 28-29 लाख रूपये घाटे में जा रहा है स्पीकर साहब, इस संबंध में सारे हिन्दूस्तान की एक रिपोर्ट छपी थी जिसके मुताबिक दुधारू पशु सारे भारतवर्ष में हरियाणा के अन्दर सब से ज्यादा बताए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि यहां के पशुओं का फ़ैट भी सबसे ज्यादा है। स्पीकर साहब, गुजरात के खेड़ा जिला में वहा की सरकार द्वारा घी तैयार किया जा रह है वह फ़र्म फायदे में है। यहां पर रा-मैटिरियल सस्ता है दूसरी चीजों की सुविधा है फिर भी हमारा वीटा घी हर साल घाटे में जा रहा है। एक तरफ तो ये बिजली के रेट बढ़ा रही है और दूसरी तरफ लोगो को सुविधा भी नहीं दे रहे है। हमार आईपीएस साहब ने बताया कि हजारों ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। एक ट्रांसफार्मर की कीमत लगभग 35 हजार रूपये हैं लेकिन सरकार ने इस बात पर गौर फरमाने के लिए कभी कोई सोच विचार नहीं किया, सरकार ने अपने विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की जिससे इस नुकसान का कारण मालूम हो सके। हमारी

म पीनरी बिल्कूल फेल हो चुकी हैं लेकिन फिर भी सरकार को कोई भी चिन्ता नहीं है। यहां पर पीने के पानी का समुचित प्रबंध भी नहीं है। पब्लिक हैल्थ विभाग पीने के पानी की जो सुविधा अब करने जा रहा है वह काफी दिन पहले हो जानी चाहिए थी। प्रान्त के लोगों को स्वच्छ तथा मीठा पानी बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इस प्रकार से लगा कर अधिक से अधिक लोगों को पीने के पानी की सुविधा देनी चाहिए। इस विभाग के हमारे जामन्त्री है वे इस स्कीम का नाम जल विकास की बजाये मल विकास बता रहे हैं। स्पीकार साहब, पानी का सवाल हरियाणा प्रदेश के लोगों की जिन्दगी के साथ जुड़ा हुआ है। (गोर) स्पीकार साहब, अब मैं हैल्थ डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ। सिविल अस्पताल महेन्द्रगढ़ का एक डा० जुकाम की दवाई भी 57 रुपये की लिखता है। (गोर) स्पीकार साहब, डेली ट्रिब्यून में एक खबर छपी है कि बस व टैंकर की टक्कर में दो आपसी मरे और 16 घायल हुए। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया परन्तु वहां उपचार की उचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें प्राइवेट डाक्टरों की दुकानों पर मरहम पट्टी करवाते देखा गया। Again i would like to enlighten this House about the inefficiency of the Health Department, स्पीकार साहब, एक अगस्त के दैनिक ट्रिब्यून में एक खबर छपी है कि डालनवास में एक 11 वर्षीय लड़की का भाव जो अपने पिता की वासना का शिकार हुई थी, का पोस्टमार्टम एक एक मन्त्री ने रोकवा दिया। (विघ्न एव भाोर)

श्री अध्यक्ष: आप किस तरह की बातें कर रहे हैं आपको इस ऐप्रोप्रिए इन बिल के बारे में बालना चाहिए। यहां पर हैल्थ विभाग के बारे के कोई बात नहीं हो रही।(भाोर)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैं इस ऐप्रोप्रिए इन बिल से ही सम्बन्धित बातें कह रहा हूँ। इस ऐप्रोप्रिए इन बिल का पब्लिक हैल्थ से सम्बन्ध है। It is concerned with the efficiency of the Health Department, Sir. हम अपने हल्के के लोगों की बात आपके माध्यम से यहां पर कह सकते हैं। आपकी इजाजत से ही हम बोल सकते हैं। हम अपने लोगों के न्याय की बात कह सकते हैं, उनको न्याय दिलाने का हमारा हक बनता है। Speaker, Sir again there was a news item in the Tribune, dated the 10th August, 1982 under the caption "Hospital under a cloud." अखबार में छपा है कि महेन्द्रगढ़ के अस्पताल में एक मैडिकल अफसर और एक कैमिस्ट का "रैकेट" हैं। डा० वही दवाईयों लिखता है जो उस की दुकान पर होती हैं। मेरे पास एक फोटो स्टैट कापी है जिसमें डा० ने प्रेसक्रिप्शन खुद चेन्ज की हुई है। Again, Sir, there is an information with me. There was a delivery case and the patient was inhumanly treated. The patient was lying in the labour room and the lady doctor demanded some bribe. The poor lady was unable to give that. At last, she gave her ear rings and the delivery was performed. All this shows how inhuman and callous in this department. हैल्थ डिपार्टमेंट के अन्दर अन्धे रगड़ी मची हुई है। और इन सब बातों से यह पता चलता है कि हैल्थ डिपार्टमेंट के

अधिकारी और मन्त्री अपने डिपार्टमेंट के प्रति कितने जागरूक हैं
(विधन) It is a photo-stat copy of prescription of the doctor.
(गोर)

श्री अध्यक्ष: इस बात की यहां पर क्या इम्पोर्टैंस है और क्या रैलेवैन्सी है? आप कोई भी अखबार या मैगजीन लेकर खर्डे हो जाते हैं। You cannot read out newspapers and level allegations in this house in such a manner.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, यह एक संगीन मामला है।

श्री अध्यक्ष: आपको यहां पर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, इतनी अधिक बातें होने पर भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। हम अपने हल्के के लोगों की कठिनाइयों को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं हम उनके साथ न्याय मांग रहे हैं

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यदि उस डा0 की बदली वहा से हो जाये तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री राम बिलास भार्मा: डा0 तो बदला ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो चण्डीगढ़ मे आकर * * * * *(गोर)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, * * * * *इन्हे नही कहनी चाहिए थी। इस बात को एक्सपंज करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप दो मिनट में खत्म कर दे and please speack on the bill.

Sh. Ram Bilas Sharma: As per your vishes, I will speak on the provision of the Bill and will not cite quotations from the newspepers. हालाकि हरियाणा के लोगों की हित की बात थी(ार) हरियाणा की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा हैं। उनके हितों को चोट पहुंचाई जा रही हैं। उनकी आवाज को हम यहां पर उठा सकते हैं बहुत दिनों से सारे प्रान्त के लोग दुखी हैं। सरकार को उनके साथ न्याय करना चाहिए। स्पीकर साहब, अन्त में मैं अपनी भावनाओ को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाता हुआ और इस एप्रोप्रिए ान बिल का विरोध करते हुए स्थान ग्रहण करता हूं।

12.00 बजे

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक(जुलाना): स्पीकर साहब, जो एप्रोप्रिए ान बिल हाउस के अन्दर आया हैं, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल को देखने से पता लगता हैं कि सरकार ने बहुत सा पैसा सैलरीज पर लगाया हैं जबकि ज्यादातर खर्च डिवैल्पमेंट के कार्यों के लिये होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्का जुलाना के साथ सोतेली मां जैसा सलूक किया

जा रहा है। वहां किसी किसम की डिवैलपमेंट का काम नहीं हो रहा है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह बात दुरुस्त है कि डिवैलपमेंट का काम वही किया जा रहा है जहां का एम0 एल0 ए0 सरकार की तरफ चला जाता है। (विधन)

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मेरे हल्का जुलाना के अन्दर पानी की बहुत कमी है क्योंकि वहां ट्यूबवैल कामयाब नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो मेरी मांग है वह यह है कि बरसात के समय जबकि हरियाणा के दूसरे इलाकों को काफी पानी उपलब्ध होता है, कम से कम ड्योढा पानी मेरे हल्के को दिया जाए। रजबाहों में एक फ्री बोर्ड होता है। वह मेरे हल्के में एक फुट की ऊंचाई पर है जबकि वह कम से कम 2 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए। एक फुट की ऊंचाई पर होने के कारण जब पानी ज्यादा चढ़ जाता है तो वह टूट जाता है और किसानों के ऊपर झूठे मुकदमें बनते हैं। इसकी तरफ सरकार का ध्यान देना चाहिए।

स्पीकर साहब, हल्का जुलाना के अन्दर दो गांव मालवी और गतौली में फव्वारे लगाने की स्कीम सैकड़ों की गई थी लेकिन व आज तक नहीं लगे। इस काम को भी सरकार को जल्दी से जल्दी करवाना चाहिये।

स्पीकर साहब, हल्का जुलाना मण्डी एक बहुत अच्छा कस्बा हैं लेकिन वहां पीने के पानी की सुविधा नहीं हैं। वहा पीने का पानी नदी से आता हैं लेकिन वह फिल्टर नहीं किया जाता जिसकी वजह से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता हैं।

लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री(चौधरी लाल सिंह): स्पीकर साहब, माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, अपनी पापुलैरिटी बनाने के लिये कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने यह बात आज तक नहीं बताई। अगर ऐसी बात थी तो इन्हे मेरे पास आना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: जैन्टलमैन, आज चूंकि सै इन का लास्ट डे है इसलिये मैं काफी ढील दे रहा हूं वरना रूल 203(4) में लिखा है—

“The debate on a Appropriation Bill Shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demand for grants were under consideration.”

इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि डिसक इन के दायरे को इतना वाईउ न करें।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, हाउस में ज्यादातर नए मैम्बर हैं। इसलिये इनका टू दी प्वायंट डिसक इन से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाना स्वाभाविक हैं। इनको बोलने का पूरा मौका देने के लिये हम आपके बहुत भुक्रगुजार हैं। **चौधरी कुलबीर सिंह**

मलिक: स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि डिवैल्पमेंट वर्क बिल्कुल नहीं हो रहा है जबकि एप्रोप्रिएट इन बिल में डिवैल्पमेंट वर्कस का ध्यान रखा जाना चाहिए था।

स्पीकर साहब, 6 महीने पहले सी0एम0 साहब जुलाना गए थे। वहां इन्होंने बस स्टैन्ड बनवाने का वायदा किया था लेकिन वह आज तक नहीं बना। स्पीकर साहब वहां ऐकसीडैन्ट बहुत होते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जगह लेकर जल्दी से जल्दी वहां बस स्टैन्ड बनवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, वहां सीवरेज स्कीम चालू की गई है लेकिन आठ-आठ फुट गहरे नाले खुदे पड़े हुए हैं। वहां बहुत से पशु गिर कर मर गये हैं। इसलिये इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए।

स्पीकर साहब, जुलाना के अन्दर जिस तरह पिछली बार गेहूँ और चने की फसल बरसात में खराब हो गई थी उसी प्रकार अब सूखे की वजह से फसल खराब हो गई है। ओलावशिट से फसल तबाह होने का तो मुआवजा दिया जाता है लेकिन सूखे की वजह से नष्ट होने वाली फसल का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। इसका भी लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। उनका लगान भी बिल्कुल माफ कर देना चाहिए और कर्जों की किताबों में भी ढील दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जुलाना के अन्दर अस्पताल तो है लेकिन दवाइयों की कोई सुविधा नहीं है। जो दवाइयां जाती हैं वे ब्लैक में बेच दी जाती हैं। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफर सुरजेवाला जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जुलान के अन्दर बिजली के कनेक्ट इन दो साल से नहीं लग रहे हैं जबकि लोगों ने सिक्योरिटी जमा करवा रखी है। सिक्योरिटी लोगों ने कर्जा लेकर दी थी। उसकी किंता तो उन्होंने देनी भूरु कर दी है लेकिन बिजली के कनेक्ट इन्हे अभी तक नहीं मिले हैं। मन्त्री महोदय कृपया इस तरफ ध्यान दें।

स्पीकर साहब, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि पक्की नालियों का खर्च सरकार को स्वयंसेवकों द्वारा भुगतान करना चाहिए। मेरे हल्के जुलाना में नालियां दूसरे तीसरे दिन टूट जाती हैं क्योंकि उनके अन्दर अच्छा मैटीरियल नहीं लगाया जाता। उनका लैवल भी ठीक नहीं किया जाता। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को सब जगह एकसा काम करना चाहिए। यह नहीं करना चाहिए कि अपोजी इन के मैमबर्ज के एरिया में ता कोई काम न

करवाया जाए और ट्रेजरी बंचिज के मैम्बर्ज की कांस्टिचुएन्सीज में ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाए।

चौधरी हुकम सिंह फोगाट(दादरी): स्पीकर साहब, यह जो ऐप्रोप्रिए इन बिल आया है कि इसका विरोध करने के लिये तो नहीं खड़ा हुआ लेकिन चन्द बातें सरकार को बताना चाहता हूं। ओले पड़ने के कारण कुछ महीने पहले किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। उनको मुआवजा देने के लिए कुछ पैसा हाउस से मांगा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, ओले फरवरी-मार्च के महीने में पड़े थे लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिला भिवानी में, खास तौर पर दादरी में आज तक पैसे नहीं बांटे गए। राहत ता तुरन्त मिलनी चाहिए थी लेकिन वह आज तक नहीं मिली। पटवारी इतलाह तो दे देता है, एस० डी० एम० जाता भी है लेकिन कुछ लोगों को पैसे देकर वह आ जाता है। इस तरफ सरकार ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी भाम डेर सिंह जी यहा बैठे हैं। हम तो सोचते थे कि बिजली के महकमें में बड़ा सुधार होगा लेकिन अभी तक हमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। जिला भिवानी में केवल 6-7 घंटे बिजली दी जाती है और वह भी रात को। मेरी प्रार्थना है कि बिजली रात की बजाएं दिन को दी जानी जाए।

स्पीकर साहब, भिवानी में कहत से फसल नश्ट हो चुकी हैं। वहा ज्वार और बाजरा मेन फसल हैं। वहां 100 फिसदी कहत पड़ चुका हैं। इस समय अगर बिजली का प्रबन्ध सरकार कर दे तों चने बोये जा सकते हैं। हर गांव में कम्पलेन्ट सेन्टर नहीं हैं। कई बार बिजली खराब होने पर कम्पलेन्ट कराने के लिए दूसरे गांव में जाना पडता हैं। रात को बिजली खराब होने पर और भी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पडता हैं। इसलिये हर गांव में कम्पलेन्ट सेन्टर हो जाए ता बिजली ठीक करने के लिए जल्दी से आदमी बुलाया जा सकता हैं। दूसरे किसानों को दिन की अपेक्षा रात को ही बिजली दी जाती है। अगर उनको दिन में बिजली दे दी जायें तो अधिक खेत सिंचाई हो सकती हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि व किसानों की हालत को देखकर अधिक बिजली देने का प्रबन्ध करें। किसानों को नौ बजे से छः बजे तक आलअरनेटिव डे पर बिजली दी जाती हैं। अगर इस समय ज्यादा बिजली दे दी जाए तो किसानों की यह फसल और अगली फसल भी हो सकती हैं।

जहां तक लैन्ड ऐक्वीजी इन को सम्बन्ध है किसानों की जमीन ऐक्वायर होने के बाद भी बहुत दिनों तक उनको पैसा नहीं मिलता और कुछ मिलता हैं वह बहुत कम मिलता हैं। आपको पता हैं कि हर आदमी केस लड़ने के लिए अदालत नहीं जा सकता। जो लोग अदालत में चले जाते हैं उन्हे बढाकर मुआवजा मिल जाता हैं और जो लोग नहीं जाते है उन्हे बढाकर मुआवजा

मिल जाता है और जो लोग नहीं जाते उन्हें मुआवजें से वंचित रह जाते हैं। जब सरकार से कहा जाता है तो कह देते हैं कि लैन्ड ऐक्वीजी इन एक्ट भारत सरकार का है, हम कुछ नहीं कर सकते। किसान की जमीन ऐक्वायर करने के बाद बहुत कम कम्पनसे इन दिया जाता है। अदालतों में किसानों की जमीन को कम्पनसे इन का फैसला होने में भी आठ-दस साल लग जाते हैं अगर समय पर कम्पनसे इन मिल जाये तो और जगह पर वे जमीन ले सकते हैं अगर उनको फालतू कम्पनसे इन दिया जाता है तो उसका इन्ट्रैस्ट भी कोर्ट ही दे सकती है, सरकार अपनी और से नहीं देती। किसानों को अदालतों के दरवाजे खडखडाने के बाद ही इन्टैसट दिया जाता है। सरकार को इस और विशेष ध्यान देना चाहिये।

Mr. Speaker: There has been enough discussion on the bill.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं भी बोलना चाहती हूँ। स्पीकर साहब कई नये एम० एल०ए० आये हैं, अभी वे ही बोले हैं इसलिये हमें भी बोलने का टाईम दें।

श्री अध्यक्ष: दो तिहाई अपोजी इन एम० एल०एज० को ही बोलने का समय दिया जा चुका है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मुझे तो समय अवय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप बार बार वही बात कह रही हैं कि समय मिलना चाहिए। एक बिल पर क्या सारे मेम्बरान को समय मिल सकता है। अपोजी इन के मैम्बरो ने ज्यादा समय लिया है। अगर आप बोलना चाहती हैं तो बोल लें।

श्रीमती चन्द्रावती: रो इन लाल आर्य को आप समय दे दें। वे नये सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष: अगर आप बोलना चाहती है तो समय दे सकता हूँ।

श्रीमती चन्द्रावती: आप नये सदस्यों को भी मौका दें।

चौधरी रौ इन लाल आर्य: स्पीकर साहब, मैं तीन दिन से कोर्गिा कर रहा हूँ कि टाईम मिलें। लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा।

श्री अध्यक्ष: मैंने अपोजी इन को ज्यादा से ज्यादा टाईम देने की कोर्गिा की है। I will give you time later, Now Shrimati Chadravati may please speak.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं एप्रोप्रिए इन बिल का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि इस पैसे का ठीक इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि मिस-यूज हुआ है। सारा पैसा हमें गामिस -एप्रोप्रिएट होता है। मैं ऐजूके इन डिपार्टमेंट के बारे में सरकार द्वारा दिए गए आकड़े सदन के सामने रखना चाहती हूँ।

आज हमारे यहां 85 लाख के करीब लोग अनपढ़ हैं। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे भाई बहिन हैं उन सब को स्कूल भेजना है और हर स्त्री और पुरुष को शिक्षा देनी है लेकिन आज कितने लाखों की तादाद में हमारे भाई बहिन अनपढ़ हैं। पढ़ाई के बारे में हमारे डायरेक्टिव आफ प्रिंसीपल में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को भािक्षित किया जाये। जो सरकार 37 साल में पढ़ाई-लिखाई का प्रबन्ध न कर पायी हों, वह सरकार संविधान के खिलाफ है और उसकों रहने को कोई हक नहीं है।

स्पीकर साहब, हमारे यहां हरियाणा में 17 हजार लड़कियों ने होम साईंस की ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग में भी वे बेंचारी पैसा दे कर दाखिल होती हैं यानि ट्रेनिंग स्कूल के लोग उनसे पैसा लेते हैं लेकिन उन लड़कियों को आज तक सर्विस नहीं मिली है। जिन लोगों की जमीन नहीं होती उन्ही की लड़कियां ये ट्रेनिंग लेती है। शिक्षा मन्त्री यहां पर बैठे हुए हैं ह्यूमेटेरियन ग्राउन्ड पर भी उनका फर्ज बनता है कि सब लड़कियों को काम दिलाये। स्पीकर साहब, अगर कोई सही बात होती तो मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल को स्पॉर्ट कर सकती थी लेकिन सरकार ने जो फिगरज दी है उनको देखते हुए मैं स्पॉर्ट नहीं कर सकती। स्पीकर साहब, इसी तरह आर्ट एंड क्लचर की बात है। हरियाणा में आर्ट ड्राईंग को कहते हैं और नाचने को क्लचर कहते हैं लेकिन आज तक सरकार ने किसी भी पेंटर की मदद नहीं की है, नाचने वालों की मदद की हो तो पता नहीं।

स्पीकर साहब, अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा था लेकिन आपने उसे बोलने की इजाजत नहीं दी। उसने कहा कि सांवला कलां गांव के लड़के को पुलिस स्टे इन ले जा कर बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा गया और वह मर गया।

स्पीकर साहब, ऐप्रोप्रिए इन बिल में कैपिटल आउट-ले और स्माल, स्केल इन्डस्ट्रीज की बात कही गयी। स्पीकर साहब, आप इनकी हालत देखिए कि पानीपत टूरिस्ट कम्पलैक्स में विदेशों से लायी हुई चीजे जो बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं व वहां बिकती हैं, पता नहीं जापान या कई अन्य देशों से आयी हुई हैं। छोटी छोटी पिन जो स्कूल जाने वाली छोटी छोटी लड़कियां लगाती हैं व समगलिंग से आती हैं।

आवाजें: वह कन्फीस्केटिड माल हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: हमें क्या पता है कि वह माल सरकार कन्फीस्केट करके बेच रही हैं या कहीं और लाकर बेच रही हैं। (व्यवधान व भाोर)

स्पीकर साहब, यह जो रनिंग कमेंटरी है, यह बन्द होनी चाहिये। मैं कहना चाहती हूं कि गांव के लोगों को कोई भी इन्फ़ीमिटेड नहीं मिल रहा है। गरीब लोगों की जमीन लेकर यह सरकार उन लोगों को देती है जो इंग्लैन्ड में बैठे हैं और जिनके पैसे से इन्होंने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा है। स्पीकर साहब, गरीब आदमी को जमीन इनको नहीं लेनी चाहिये। यह गरीब आदमी की

जमीन लेकर बड़े-बड़े लोगो जो करोड़पति है और जो इनके चुनाव में इनको खूब चन्दा देते हैं और इनका खर्च चलाते हैं, उनको जमीन लेकर देते हैं।(व्यवधान व भाोर)

उधोग मंत्री(श्री लछमन सिंह): आन ए प्वायंट आु आर्डर, सर। स्पीकर साहब, यह एप्रोप्रिए इन बिल पर कहां बोल रही हैं।(व्यवधान व भाोर) यह जो कह रही हैं कि विदे गों से पैसा आता है कि कुछ माल जो कनफीस्केट सरकार लोगों से करती है, वही सरकारी दुकानों पर बेंचा जाता है।(व्यवधान व भाोर)

श्रीमती चन्द्रावती: जब आप जवाब देना चाहे तो जवाब दे लेनां, हम आपका जवाब सुन लेंगे। लेकिन इस तरह से प्वायंट आफ आर्डर बनता नहीं है। स्पीकर साहब, मैं स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कह रही थी। हमारे हरियाणा में कोई भी सामान स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का बनता नहीं है। और तो क्या बनेगा यहां पर न तो पैन बनता है न पैसिल इत्यादि बनती हैं और पहले जो गावों में सितार आदि लगाने को काम होता था, वह भी अब हरियाणा में कही नहीं होता। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले जो छोटी मोटी चीजें गावों में बनती थी, वे भी अब खत्म हो गई हैं क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें भी यहां पर स्मगलिंग होकर आने लगी हैं स्पीकर साहब, अब मैं एजूके इन के बारे में कहना चाहती हूं, अब फिर चौधरी हरद्वारी लाल जी को वाईस चांसलर लगा दिया गया है। जब चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने उनको हटा दिया था। इसके बाद उनके साथ

काफी समय तक कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। अब फिर उनको वाईस चांसलर लगा दिया गया है। पता नहीं कितना पैसा इस लिटीगो इन पर खर्च हुआ है। वह पैसा कहां से आता है। पैसा इनकी जेग से तो जाता नहीं है, वह तो सरकारी खजाने से आता है। मैं इनसे यह पूछना चाहती हूँ, इनके पास उसका क्या जवाब है कि उसको पहले क्यों हटाया गया था और अब फिर क्यों लगाया गया है। क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उसको हटाया गया था और कितने पैसे इस लिटीगो इन पर खर्च हुए हैं। मैं वह बातें दोहराना नहीं चाहती जो मेरे दूसरे साथी पहले ही बोल चुके हैं। लेकिन एक बात मैं अब य बताना चाहती हूँ कि हमारा एक छोटा सा आदमी था जो पहले कैथल में होता था, उसको एस0 डी0 एम0 बना दिया। उसकी एक कोठी भिवानी में है और एक पंचकूला है। उसने दो लड़कियों की भादियां की हैं और उनके टीके में चांदी के बर्तन दिये हैं। मुझे ता 30 साल हो गये हैं। वकालत भी करती हूँ और एम0एल0ए0 भी काफी समय तक रही हूँ। आज तक कोई बैंक-बैलैन्स नहीं है। पता नहीं उसके पास इतना पैसा कैसे आ गया। सरकार को यह पता करना चाहिए, लोग यह कहते हैं कि जवाहर लाल नेहरू का राज अच्छा था। मैं यह बात मानती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा राज किया। मैं उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी को दाद दिये बगैर नहीं रह सकती उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी के दिलों में काम करने की उमंग थी। * * * * *

* * * *

श्री अध्यक्ष: एक आदमी की बात लेकर how can you condemn a class as a whole?

Shrimati Chandravati: Sir, i am appericiating their role and am not condemning them.

श्री अध्यक्ष: पुरानो को नये से कम्पेयर करके नयों के मुताबिक कुछ पहना और फिरप उनको कन्डैम करना, ठीक नही हैं ।

Shrimati Chandravati: I have to say what the reality is. It is my duty. (व्यवधान व भाोर) वैसे जो भी आपका हुक्म होगा, उसको जनाब हम मानेंगे ।

श्री अध्यक्ष: यह ब्यूरोक्रैट्स के कम्पैरीजन वाल बात एक्सपंज की दी जाये ।

Shrimati Chandravati: I am not condemning them.

Mr. Speaker: You have been condemning them.
(Interruptions)

श्रीमती चन्द्रावती: सर, मै अफसरों की बाबत बात कह रही थी। इस वक्त हालात यह है कि जो ईमानदार अफसर हैं या ईमानदार रहने की कोि । । करते हैं, उनके लिये कुछ महकमें चुन रखे हैं, उनको वहां पर लगाकर खुड्डें लाईन लगा दिया जाता हैं। उनके पास फाईल ही नही आती हैं। जो लोग उनको कमा कर देते हैं, उनके बारे में मुझे यह कहना पड़ेगा कि उनको लेने देने वाली पोस्टों पर लगा दिया जाता हैं। यानी उनको हैड

आफ दी डिपार्टमेंट बना दिया जाता है या यह जो कम्पलैक्स फरीदाबाद में है, सोनीपत में है या जगाधरी में है, वहां पर उनको लगा दिया जाता है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव इन में आपको यही कुछ मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इन में आज घुन लग चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव इन को आज दीमक लग चुका है। वह खोखला हो चुका है। उसमें अब कुछ बाकी नहीं है। इसलिये मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ इतनी करप्शन है जिसकी कोई हद नहीं है। कोई कागज भी बिना कुछ दिये आगे नहीं चलता। एसा0 एस0एस0 बोर्ड की बात तो मैं न ही कहूँ तो अच्छा है। * * * * * आज मैरिट को नाम मनी हो गया है I have to say it before this August House and I say it with all responsibility. क्योंकि इसके बिना इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इन नहीं चलता है। जो पैसा लिया जाता है, उसको मिस-एप्रोप्रिएट किया जाता है, एप्रोप्रिएट नहीं किया जाता। आज यह बात आपके सामने है कि चाहे पुल बन रहे हैं या और कुछ बन रहा है वहां पर कितनी गड़बड़ हो रही है। क्योंकि वहाँ पर पूरी चीजें नहीं लगायी जाती हैं इसलिये जब वे टूटेंगे तो पता नहीं कितने लोग मरेंगे। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि नहरों में जो पानी छोड़ा जाता है, उससे भी लोगों से पैसे लेने के लिये उसमें कड़ी डाल दी जाती है। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं उसकी रिपोर्ट तब तक जी0ए0 नहीं भेजता जब तक उसको पैसे नहीं दिये जाएंगे। वह कहेगा कि पैसे दे दो, मैं तब रिपोर्ट करूँगा। मुझे

माफ करना यह तो नान-फंक् ानिंग गवर्नमेंट है। जो पैसा देता है या दिलवाता है उसका तो काम हो जाता है बाकी को काम नहीं होता। यह बात मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रही हूँ। ट्रांसफर्ज होती है। पेहवा मे कितनी ट्रांसफर्ज हुई हैं और कितनी बाद में कैसिल हुई हैं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: आप सिर्फ पेहवा का ही इन्सटांस क्यों देती हों?

श्री वीरेन्द्र सिंह: सर, इसलिये कि आप अब पेहवा छोड़ गये हैं। अगर आप वही रहते तो ठीक रहता।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, आज ही सुबह चीफ मिन्सिटर साहब ने जवाब मुझे दिया है कि हरियाणा में रोजाना का एक कत्ल हो रहा है। 126 कत्ल हरियाणा में 4 महीने के दौरान हुए हैं। चार महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। फिर फिगर्ज कुलैक्ट करने में भी टाईम लगा होगा। मैं यह मानती हूँ कि भाई- भाई में भी झगड़े हो सकते हैं लेकिन एक गल्ट बात जो आजकल हो रही है वह यह है कि आजकल जो डाके पड़ते हैं या कत्ल होते हैं, वह पैसे के लिये होते हैं। यह ट्रैन्ड बहुत खराब है। इससे गरीब आदमी को तो कम खतरा होगा लेकिन जो पैसे वाले आदमी हैं, उनको ही ज्यादा खतरा होगा क्योंकि मनी के लिये आजकल ज्यादा कत्ल हो रहे हैं यह सबसे बड़ा और गल्ट ट्रैन्ड है। यदि

किसी भाई-भाई में झगड़ा हो जाये और किसी आदमी को जो 1 में आकर कत्ल हो जाता है , यह तो अलग बात है लेकिन जिस तरह से आजकल कत्ल हो रहे हैं, उस हिसाब से मैं यह कहती हूँ कि एक दिन भी गवर्नमेंट को रहने का हक नहीं है। यह तो चुराये हुए और खरीदे हुए लोगों के सहारे सरकार चल रही है, कम से कम इसे लोगों को तो एम्प्लायमेंट देनी चाहिये। आज 17,000 के करीब लड़के एम्प्लायमेंट के लिये धक्के खाते फिर रहे हैं। फिर उनको शिक्षा की फैसिलिटीज जो दी हुई है और देनी चाहिये उसके बारे में मैं क्या कहूँ। आज हरियाणा के सांइटिस्ट कैसे नये नये आविश्कार करेंगे। क्या सरकार उन कैकिस्टरी के स्टुडैन्ट्स को कार्ड इनीशियेटिव दे रही हैं जो फर्स्ट क्लास लड़के हैं उनको क्या सरकार कुछ देती हैं ताकि वे भी कुछ नये आविश्कार करे? नहीं इसी वजह से हमारे लड़के विदेशों में जा रहे हैं। वह इसलिये वहां पर जाते हैं क्योंकि वे यहां पर भूखें मरते हैं। उन बच्चों को पता नहीं उनके मां बाप ने कैसे दिन-रात मेहनत करके पढाया है अगर वह ही भूखा मरता है तो इससे बड़ी गलत बात और कोई हो नहीं सकती। उनको रात को खेत में काम करते समय सांप तक काट जाते हैं। हमारे एक गांव मिर्च में जिस वक्त वहां पर हमारे भाई काम कर रहे थे, उनके हाथ में सांप आ गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि मा-बाप कितनी मेहनत करते हैं। मैं सरकार के नाटिस में यह बात लाना चाहती हूँ कि मां-बाप बड़ी मुश्किलों से घर में एक लड़के को पढा पाते हैं, लड़की को मुश्किल से पढा पाते हैं लेकिन उनको कोई

इनिं एटिव नही मिलता। इनिं एटिव की बात जा जाने दिजिए उनको कोई जोब नही मिलती। दलाल उनके पैसे खा जाते हैं और उनको कह दिया जाता है कि अब की दफा तो आपका काम नही बना। अगली दफा आप आना उस वक्त आपका काम करवाएंगे। मुझे याद है कि एक बहन ने भाई को नौकरी दिलवाने के लिए अपना ट्रैक्टर बेचा लेकिन उसका पैसा दलाल खा गए और उस लड़के को जौब नही मिली। लोगो की बात सुनकर हमारी आखों में आसूं आ जाते हैं। यह इनके हित की बात है इस तरह की बातों को इनको खत्म करना चाहिये, इस तरह की करण बन्द करनी चाहिए। जो लोग इनका नाम लेकर पैसा लेते हैं उनको बन्द करना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं इतना है कर समाप्त करती हूं औरप इस बिल का विरोध करती हूं।

प्रो० सम्पत सिंह(भट्टू कलां): अध्यक्ष महोदय, यह जो ऐप्राप्रिए इन बिल हमारे सामने आया है ठीक है। सरकार को डिवेलपमेंट के काम करने के लिये या मुआवजा देने के लिए जितने पैसे की जरूरत होती है उसके लिये हाउस में सरकार बिल ले आती है और पैसा मन्जूर करवा लेती है। इसके अन्दर जहां तक नेचुरल कैलेमिटीज की बात कही गई है और कहा गया है कि इतने करोड़ रुपया खर्च करने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंटल कैलेमिटीज के लिए भी प्रोवीजन होना चाहिए। गवर्नमेंटल कैलेमिटीज इस तरह होती है जैसे एक जमींदार ने अपनी जमीन में खुदाई और बुवाई

कर दी। उसको नहार का पानी मिल गया। उसने बीज बो दिया और कुछ समय बाद उसकी फसल बाहर निकल आई। उसके बाद नहीं बन्द कर दी या जितना पानी पहले मिलता था उतना अब नहीं मिलता। पहले नहर कच्ची थी उसको पक्का करने के कारण पानी नहीं मिला या मोघा छोटा कर दिया या उसका लेबल ऊंचा कर दिया। इन सब बातों के करने से नतीजा यह निकला कि जितना पानी उसे पहले मिलता था उतना अब नहीं मिलता और उसकी फसल को नुकसान हो गया। इसको गवर्नमेंटल कैलेमिटीज कहते हैं। इसमें ऐसी कैलेमिटीज का भी प्रावधान होना चाहिये। दूसरी बात है कि किसान की फसल खड़ी हो जाती है और उसमें फल लगने लग जाता है। उस वक्त उसमें कीड़ा लग जाता है। कीड़े की दवाई लेते हैं लेकिन दवाई खराब होती है और कीड़े मरने की बजाए उस दवाई से किसान की फसल मर जाती है। इसमा मेरें पास कंक्रीट उदारहण हैं। एक दवा आई० एस० आई० मार्क थी औरप रागोर उसका ट्रेड मार्क था। फरीदाबाद की एक कम्पनी उसको बनाती हैं। उस दवाई के इस्तेमाल करने से हिसार डिस्ट्रिक्ट मे आठ सत्तर लाख की फसल खराब हो गई और उस कम्पनी ने यह एडमिट किया है कि उस दवा के कारण ही किसानों की फसल तबाह हुई है। यह स्टेट एक वैलफैयर स्टेट है। सरकार को फर्ज बन जाता है कि जब भी इस तरह का नुकसान हो तो किसानों को उसका मुआवजा दिया जाए। कल मैने ट्रांसपोर्ट के रूटस के बारे में बात कही थी और चीफ मिनिस्टर ने

उसका जवाब दिया था। मैं उसके बारे में यह कहना चाहता हूँ . . .
.

श्री अध्यक्ष: अब आप खत्म करें। आप फिर रिपीट कर रहे हैं कि कल मैंने बात कही थी उसका चीफ मिनिस्टर ने जवाब दिया। कल वाली बात को आप आज रिपीट न करें।

प्रो० सम्पत सिंह: मैं तो उस बात को क्लीयर करना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब की अध्यक्षता में हिसार में ग्रिविसैन्सिज कमैटी की मीटिंह हुई थी। मैंने उसमें कहा था कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर जिसका नाम है मनीराम हैं, और जो चीफ मिनिस्टर का दोस्त है, नजदीकी रि तेदार हैं, को रूट परमिट दिया गया है और जो बस के टाईमिंगज है वे गलत तौर पर बदल दिये गए हैं। उसी समय जी० एम० रोडवेज माइक पर आया और उसने एडमिट किया कि हमसे ओमि इन हुई हैं और हम एस०टी०सी० को लिख रहे हैं।(गोर एव व्यवधान)

चोधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, वह राजस्थान गवर्नमेंट को रूट है। जहां तक टाईमिंगज का सम्बन्ध है दोनो स्टेट्स के औफिसर्ज आपस में बैठकर तय करते हैं और राजस्थान गवर्नमेंट जिस आदमी को चाहे रूट परमिट दे सकती है।(गोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जहा तक इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बात है उसका टाईम टेबल दोनो स्टेट्स के औफिसर्ज आपस में बैठकर बनाते हैं।(गोर एव व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोनो स्टेट्स के औफिसर्ज बैठकर उसका टाईम टेबल बनाते हैं लेकिन जिस आदमी का नाम ये ले रहे हैं वह तो इनका खास आदमी हैं।(गोर एव व्यवधान)

चोधरी भजन लाल: मैने कहा है कि यह गलत नहीं है। मै देवी लाल की तरह नहीं हू जो अपने लड़के को लड़का मानने से इंकार कर दे।(गोर एव व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: इन्होंने यह कहा था कि उसको मनीराम मान लिजिए या भजन लाल मान लिजिए। It is well know throughout Haryana that Shri Mani Ram Mangroo is a close man of Shri Bhajan Lal. Why should he deny it? He should not deny it.

चोधरी भजन लाल: मै तो मानता हूं कि वह मेरा आदमी हैं।(गोर एव व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: दोस्त होना बुरी बात नहीं है लेकिन सवाल तो यह है कि जब दोनो स्टेट के औफिसर्ज बैठकर टाईम टैबल बनाते है तो क्या कारण था कि पहले वाले टाईम की बजाए दूसरा टाईम दिया गया है। It shows that the officers were pressurised. This House is being misled.

चोधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह तो वकील हैं। समझ नहीं आता कि ये किस ढंग की बात कर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इंटर स्टेट रूट्स पर जब बस चलाई जाती है तो हरेक स्टेट बाकायदा एक-एक किलोमीटर का हिसाब रखती है। अगर हरियाणा राजस्थान में अपनी बसे दो हजार किलोमीटर चालाएगा और उसका टाईम भी दोनों स्टेट्स ही बैठकर तय करेगी। राजस्थान स्टेट जितनी प्राईवेट बस चलाएगा उसका टाईम भी राजस्थान गवर्नमेंट ही तय करेगी हमारे साथ बैठकर कि इतने टाईम और इस टाईम पर एक साल बस चलेगी और इतने टाईम पर छः महीने तक चलेगी और इतने टाईम इसी तरह चलेगी हमारी बसे चलेगी।(गोर एव व्यवधान) आपको हाउस में बैठकर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आप कहते हैं कि राजस्थान सरकार तय करती है कि रूट परमिट किसको देना है। आप तो ऐसी बात कहते हैं जिसका सिर पैर ही न हो।(गोर एव व्यवधान) आप तो इस तरह के उपदे 1 रोज ही देते हैं (गोर एव व्यवधान)

चोधरी भजन लाल: मैं तो मनी राम को दोस्त मानता हूँ। देवी लाल की तरह नहीं हूँ जो यह कहे कि मेरा दोस्त लड़का नहीं है।(गोर एव व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: आप तो उस वक्त उस लड़के के वकील थे क्योंकि उस समय आपमो वह सूट कर रहा था। आप

यह बताएं कि जब से हरियाणा में ट्रांसपोर्ट ने अनेलाइज हुई है जब से किजनी गाड़ियों के टाईम बदले हैं?

चोधरी भजन लाल: कितनी * * * * * * * बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि जितने किलोमीटर राजस्थान की बसें या राजस्थान की प्राइवेट बसें हरियाणा में कवर करेंगी उतने किलोमीटर ही हरियाणा की बसें राजस्थान में जाएंगी और टाइमिंग के बारे में दोनों स्टेट्स तय करती हैं कि किस-किस टाईम पर बस चलानी हैं। (गौर एव व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने * * * * * भाब्द कहा है कि इसको कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: बेहूदा भाब्द एक्सपंज कर दिया जाए।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो असलियत होगी, वह तो हमें यहां हाउस के सामने कहनी ही पड़ेगी, चाहे सरकार को वे बातें चुभती ही क्यों न हों। फैंक्ट्स तो हमें बताने ही पड़ेंगे। स्पीकर साहब, मैं रोड़वेज के मुताल्लिक बता रहा था। अगर एक कंडक्टर या ड्राइवर 5 या 10 रूपये की चोरी कर लेता है तो उस छोटी सी बात को खूब उछाला जाता है लेकिन जहां बड़ी-बड़ी चोरियां होती हैं, वहां कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अपने ट्रांसपोर्ट मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जितनी हेराफेरी, जितनी चौरियां हरियाणा रोड़वेज की वर्क गैप्स के अन्दर होती है उतनी कही नहीं होती। इसी कारण से करोड़ों

रूपये को सरकार का नुकसान हो रहा है। टायर-ट्यूब्स और दूसरे स्पेयर पार्ट्स वर्क हाउस में आने के बाद चोरी हो जाते हैं और फिर उसके बाद औपन मार्किट में बिकते हैं। इस चोरी को रोकने का एक तरीका है कि अगर उन पुर्जों पर टायरों और ट्यूब्स पर हरियाणा रोडवेज के अपने मार्क्स लगे हुए हो तो इस तरह की चोरी पकड़ी जा सकती है और सरकार का जो करोड़ों रूपये का नुकसान हो रहा है, वह रूपया बच सकता है। यह मेरी सुझाव है।

इससे आगे मैं एजुकेशन के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। स्पीकर साहब, यहां पर मोती लाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल के लिये खर्चा मांगा गया है। स्पीकर साहब, पिछले 6 महीनों में एजुकेशन विभाग में एम्पलाइड की बहुत सारी ट्रान्सफर हुई हैं अगर वे न की होती तो कम से कम सरकार की दो-तीन करोड़ रूपये की बचत हो सकती थी और वही रूपया स्कूलों की बिल्डिंग के लिये, बच्चों की बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था और सरकार को यह पैसा न मांगना पड़ता। सरकार ने दो-दो चार-चार बार एम्पलाइड की ट्रान्सफर की हैं जिससे सरकार के ऊपर काफी बोझा पड़ा है। पता नहीं ये ट्रान्सफर किस वजह से होती रही हैं। अगर सरकार इस बात पर सीरियसली विचार करती कि ऐसा करने से सरकारी खजाने पर बोझा पड़ेगा तो फिर सरकारी पैसे के दुरुप्रयोग को रोका जा सकता है और इसी पैसे से स्कूलों की हालत और बच्चों की हालत को सुधारा

जा सकता था। बच्चों की बहबूदी के लिये यही पैसा खर्च किया जा सकता था।

इससे आगे मैं सरकार की प्लानिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि किस अनप्लैन्ड तरीके से सरकार चल रही है। स्पीकर साहब, अगर कोई सरकार का काम 50 या 60 हजार रूपये का है तो लगभग 25 हजार रूपया तो उस काम के लिये नींव पत्थर रखने पर ही व्यय कर दिया जाता है। फर्ज करो कि एक छोटी सी पुलियां बननी हैं तो उसका उद्घाटन करने पर ही उस पुलिया का काम भुरू होगा और चण्डीगढ़ से एक मन्त्री महोदय उस पुलिया का नींव पत्थर रखने के लिये जाएंगे। इसीलिये ऐसे कामों पर भी सरकार को गौर करना पड़ेगा ताकि सरकारी पैसे का दुरुप्रयोग से बचाया जा सके।

इन्होंने आगे पुलिस के लिये कुछ पैसे की मांग की है कि मधुबन पुलिस वालों के लिए क्वार्टर बनाने हैं इसलिये सरकार को जमीन खरीदनी है

श्री अध्यक्ष: प्रोफ़ैसर सम्पत सिंह जी आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है, आप बैठ जाइये। I call upon the irrigation & Power Minister to speak.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने बिजी और पानी के बारे में काफी चर्चा की है, मैं उनके बारे में कुछ

कहना चाहता हूँ। सबसे पहले सागर राम गुप्ता जी ने कहा कि भिवान जिले में नहरी पानी 25 परसेंट की मात्रा में ही मिल रहा है, इसके लिये मैं यहां पर एक दो आंकड़े बता देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, भिवानी जिले में जूई कैनल, लोहरू कैनल, सिवानी कैनल, वैस्टर्न यमुना कैनल जाती हैं और दादरी फीडर व भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी ये चैनल इनके हैं। जब ये चैनल पहले प्रैफ्रैन्स में चले थे तो इनमें पूरा पानी था, मासिवाये लोहरू लिफ्ट कैनल जो है, वह नौन-पैरेनियल कैनल है लेकिन उसमें भी पानी इसलिये चलाया गया है क्योंकि सूखे का वातावरण था। अगस्त से हमको यमुना में 12 हजार क्यूबिक पानी हम को मिल रहा है और 200, 300 क्यूबिकस पानी रोजाना यमुना के पानी में कटौती हो रही है। इसी कारण से हमें रोटे इन चेन्ज करनी पड़ी। इस के बावजूद भी एक-दो प्रैफ्रैन्स में पानी की सप्लाई पूरी मिल रही है लेकिन तीसरे प्रैफ्रैन्स में पानी की सप्लाई कम है।

इसके साथ श्री कुलबीर सिंह ने बिजली के मीटरों के बारे में कहा। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि कंज्यूमर्ज को पहले बिजली बोर्ड मीटरों की सप्लाई करता था लेकिन मीटरों की भार्टेज होने की वजह से कनेक्टिंग देने में काफी डिले हो जाती थी अब हमने यह फैसला किया है कि जो कंज्यूमर्ज अपने मीटर में अच्छे स्टैंडर्ड के स्वयं ले आएं, बिजली बोर्ड उनको टैस्ट करने के बाद लगवाने की

आज्ञा दे देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कनैव ांज लोगों को दिये जा सके ।

तीसरी बात मास्टर हुक्म सिंह जी ने कही कि बिजली किसानों को दिन के समय मिलनी चाहिये और भी दूसरे कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपने-अपने विचार रखे हैं । मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, हाउस को यह बताना चाहता हूं कि सरकार को दिन में बिजली सप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है और हमने तीन महीने पहले फैसला किया कि बिजली रात को भी देंगे और दिन को भी देंगे ए और बी ग्रुप्स के तौर पर । लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो लोग दिन में बिजली लेते हैं उनका फलक्चुरे ान और बिजली की कटौती के कारण तीन चार घंटे बिजली कम मिलती है और वे हमें ा नुकसान में रहते हैं और रात वालों को पूरी बिजली मिलती है । उनको भाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगभग 11, 12 घंटे मुतवातिर बिजली मिलती है । इस बारे में किसानों ने हमसे मागं भी की है कि उनको रोज रात को ही बिजली दी जाए हालाकि उनको बिजली रोजे ान में मिलती है । इसलिये हम किसानों को पूरी बिजली पहले ही सप्लाई कर रहे हैं और किसान खु ा हैं ।

इसके साथ-साथ श्री राम बिलास जी ने एक बात कही कि सारे हरियाणा हमें लगभग 35 हजार के करीब ट्रांसफारमर्ज जले हुए हैं । यह गलत है, मैंने यह नहीं कहा था । मैंने यह कहा था कि टोटल हरियाणा में 35 हजार ट्रांसफारमर्ज हैं जिनमें से

केवल 424 जले हुए हैं। (गोर) इससे आगे बिजली के रेट्स के बारे में भी कहा गया कि किसानों से बिजली के रेट्स बहुत ज्यादा चार्ज किये जाते हैं। खासकर महेन्द्रगढ़ और भिवानी में जहां पानी बहुत गहरा है वहां 10 रूपये पर-हार्स पावर के हिसाब से चार्ज करते थे जोकि 10, 12 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बनती थी। मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि बिजली बोर्ड का 55, 60 पैसे पर-यूनिट के हिसाब से बिजली की प्रोडक्शन का खर्चा आता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम अब तक उनको 40, 45 पैसे फी यूनिट के हिसाब से सबसिडाइज करते थे। क्योंकि वहां पर पानी बहुत गहरा है। और पानी का डिस्चार्ज बहुत कम है। अब हम ने केवल 5 पैसे पर-यूनिट के हिसाब से रेट बढ़ाया है जोकि अब उनको 45, 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद भी हम किसानों से रेट कम चार्ज कर रहे हैं और किसानों को बिजली की पूरी सप्लाई दे रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहां पर माननीय सदस्य यह मांग करेंगे कि जो एम्पलाईज हैं, उनका डी0ए0 बढ़ाया जाए, तनख्वाहें बढ़ाई जाए, हाउस रेंट अलाऊंस उनको दिया जाए, दूसरी सहूलियतें दी जाए। मैं यह मानता हूँ कि यह बुरी बात नहीं है। इसके साथ-साथ वे यह भी मांग करेंगे कि डिवलपमेंट के कामों पर भी खर्चा होना चाहिये। अब आप ही बताएं कि सरकार के पास कोई ऐसी मीनिंग तो है नहीं कि सभी की मांग पूरी की जा सके। जितने फण्डज हमारे पास अवेलेबल होंगे उनके अन्दर रह कर ही हम काम करते सकते हैं (गोर एव व्यवधान) यहां पर

अध्यक्ष महोदय, मेरे कई विरोधी पक्ष के साथियो ने यह कहा है कि यह सरकार बिल्कूल नही चलेगी, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यह सरकार खूब चलेगी, यह कोई खोटी अठन्नी तो है नही जो नही चलेगी। दरअसल में बात यह है कि ये विरोधी दल के भाई यह सोच कर के आये थे कि इनको राज गद्दियां मिलेंगी, वो इनको मिली नही। इसलिये ये फरस्ट्रेटिड होकर ऐसी बातें कर रहे हैं (गोर एव व्यवधान) इन भाब्दो के साथ में आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

राजस्व मन्त्री (चौधरी फूल चन्द): अध्यक्ष महोदय, एक दो बातें माननीय सदस्यों ने ऐसी कह दीं मालूम नही वे किस ढंग से डिबेट कर रहे थे। औलावृशिट पर बोलते हुए एक सदस्य यह कह गये कि पैसा बांटने में फेवर की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें न कोई रिजर्वे न थी और न कोई कनसै न था। जहां—जहां पर ओलावृशिट हुई वहा—वहां पर स्पै ल गिरदावरी करवाई गई है। जितना लौस जिसका हुआ है उसके मुताबिक उसको पैस बांटा गया है। भाइ हुकम सिंह जी कह गये कि आदमपुर में पैसा दे दिया और दूसरी जगहों पर नही दिया। उनके ज्ञान के लिये मैं बताना चाहता हूं कि आदमपुर में केवल 20 लाख रूपये बांटा गया और हांसी और नारनौल में 53 लाख रूपये बांटा गया है। मैं आपके द्वारा सदस्यों को वि वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें

कोई गडबड़ नहीं होगी और जिसका जितना हक बनैगा, उसको दिया जाएगा।

श्रीमति चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। वित्त मन्त्री जी जब जवाब दें तो वे एक बात यह भी बताएं कि रोहतक यूनिवर्सिटी में श्री हरद्वारी लाल जी से पहले जो वाइस चांसलर थे उन्होंने पंचकूला यूनिवर्सिटी के लिये एक रैस्ट हाउस ले लिया है और पांच साल के लिए पैसा एडवांस में दे दिया है। मैं चाहती हूँ कि वह पैसा उनसे वापिस लिया जाए। रोहतक यूनिवर्सिटी के लिये पंचकूला में रैस्ट हाउस की क्या जरूरत है?

वित्त मन्त्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने आबजरवे इन भी की थी कि इस एप्रोप्रिए इन बिल पर बहुत लिमिटेड चर्चा की जाए लेकिन आपका उदार हृदय है और आपने मैम्बरो को अपनी बातें कहने का मौका दिया। यहां ज्यादा बातें इर-रैलेवैंट कही गईं। जैसे बिजली की बातें कही गईं लेकिन इस बिल में बिजली का एक भी आइटम नहीं है। सभी मैम्बर्ज ने बिजली की कमी पर, बिजली के रेट्स पर और ट्रांसफारमर्ज के जलने के बारे में बातें करते हुए ज्यादा समय लिया। चूँकि वे भी महत्वपूर्ण बातें थी इसलिये हमारे मन्त्री महोदय ने उन बातों का जवाब भी दिया इसलिये मुझे उस बारे में औरप कहने की जरूरत नहीं है। इस एप्रोप्रिए इन बिल में केवल दो ही मुख्य आइटमें थी। इसमें 15 करोड़ रुपये तो ओलावृष्टि की वजह

से किसानों को राहत देने के लिये हैं और 78 लाख रूपये ऐसा है जो जमीन को कम्पनसे ान देने के लिये हैं। समय-समय पर जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गई उनमें से कुछ लोग अदालतों में गये और अदालतों ने उन्हें डिक्री दे दी। ऐसी डिक्रीज समय-समय पर अदालतों में होती रहती हैं औरप बहुत से केसिज में कम्पनसे ान बढ़ता रहता है जब फाइनल निर्णय होता है तो वह पैसा गवर्नमेंट को एक निश्चित डेट पर जमा करवाना पड़ता है। यह करीब 78 लाख रूपया होता है जो कोर्टस की डिक्रियो का है। ओलावृशिट के लिये जो 15 करोड़ रूपया खर्च हुआ उसके लिये सदन के सभी मैम्बरो ने सहमति प्रकट कि है कि यह बहुत अच्छा काम है। बाकी जो कम्पनसे ान के लिये पैसा है वह चार्जड आईटम है औरप अस पर वोटिंग भी नहीं होती लेकिन उस पर भी सदस्यों ने काफी बातें कही। सभी बातों का जवाब देना तो सम्भव नहीं है। मोटी बात यह कही गई कि मुआवजा देर से मिलता है जिस वजह से लोगों को तकलीफ होती है। इस बारे में आदरणीय मुख्यमन्त्री जी ने कई बार इस सदन में स्पष्टीकरण दिया है और मैं समझता हूँ कि सरकार की नीति इस संबंध में हाउस के सामने रखी जा चुकी है। उन्होंने बताया था कि लैंड एक्वीजी ान अफसर जमीन की कीमत की जो पांच साला औसत ली जाती है उसके अलावा मार्किट की कीमत को भी ध्यान में रखा जाता है। जिस किसी पर्टिकूलर केस में देर लगी वह तो उन लोगों की अपनी मरजी थी कि वे अदालत में चले गये। किसी आदमी को अदालत में जाने से रोका नहीं जा सकता। मुख्य मन्त्री

जी ने सिद्धान्त के रूप में यह बात मानी है कि कम्पनसे इन देते वक्त सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा और किसान के हित का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि उनको जमीन की कीमत के बारे में कोई नुकसान न हो।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, अब भी ऐसे केसिज है जिनको 5-5 साल से मुआवजा नहीं मिला।

चौधरी कटार सिंह छोकर: अगर कोई आदमी अदालत में चला जाता है तो उसे रोक नहीं सकता। फिर भी माननीय सदस्य कोई ऐसा केस ध्यान में लाएं कि कोई आदमी अदालत में न गया हो और उसको 5 साल से मुआवजा न मिला हों, हमे पूरी इन्क्वायरी करवाएंगे।

श्री हीरा नन्द आर्य: भिवानी जिले में ऐसे सैंकडों केस हैं।(गोर)

चौधरी कटार सिंह छोकर: आप कोई पर्टिकुलर केस बताएं, आपको जवाब दिया जाएगा। यहां पर दूसरी आपत्ति यह उठाई गई कि किसानों से जमीन लेकर कारखानेदारों को दी जाती है। यह बात गलत है। कारखानेदार तो पहले से ही अमीर होते हैं और किसान गरीब होते हैं। आज जो एप्रोप्रिए इन बिल हाउस के सामने हैं इसमें तो एक भी आइटम ऐसार नहीं जिसमें किसान की जमीन लेकर किसी कारखानेदार को दी गई हो। इसमें केवल एक आइटम थी वह भी इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिये थी।

किसी पर्टिकुलर कारखाने के लिये कोई जमीन एक्वायर की गई हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। जो जमीन एक्वायर की गई वह या तो किसी पुलिस स्टेशन के लिये की गई या किसी हस्पताल के लिये की गई या सरकारी सैक्रेटेरिएट के लिये की गई हैं। यानी जितनी भी जमीन एक्वायर की गई वह सार्वजनिक कामों के लिये की गई। यह बात जो कही गई यह भी उचित नहीं लगी और यह खामखाह की बहस थी। जब चर्चा हो रही थी तो बहुत सी औरप भी इर-रैलेवैंट बातें कही गई थी। जिनका इस बिल से कोई संबंध नहीं था। ऐसी ही एक बात बहिन चन्द्रावती ने कह दी—

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साह, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं। मन्त्री महोदय हर बात में यह कह रहे हैं कि मैम्बरों ने इर-रैलेवैंट बातें कही। ऐसा कह कर क्या ये चेयर पर एसपनि कास्ट नहीं कर रहे हैं? With your permission, the hon. Members have spoken.

Mr. Speaker: No question of aspersion is there.

13.00 बजे

चौधरी कटार सिंह छोकर: अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएट बिल से सम्बन्धित जो बातें थी उनका जवाब मैंने लगभग दे दिया है लेकिन फिर भी कुछ बातें रह गईं जिनका जवाब देना बहुत

आवश्यक हैं। इस बिल पर बोलते हुए बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि किसानों को नैचुरल कलेमिटिज से फसल खराब होने का जो मुआवजा दिया जाता है वह सरकार की तरफ से बहुत देर से दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि जो पैसा सप्लीमेंटरी के जरिए सदन से मंजूर करवाया जा रहा है उसकी डेट बता देना चाहता हूँ वैसे तो डेट इस किताब में लिखी हुई है। पहला केस 1973 का है। इसमें दिल्ली रोहतक राजमार्ग पर बोहर गांव की जमीन एक्वायर की गई थी। दूसरा केस 1970 का है जिसमें कालका में ओद्योगिक सम्पदा विकास कालोनी स्थापित करने के लिए जमीन एक्वायर की गई थी। तीसरा केस 1977 का जिसमें मधुबन में पुलिस लाइन के लिये जमीन एक्वायर की गई थी। चौथा केस 1974 का है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिए जमीन एक्वायर की गई थी। पांचवा केस 1976 का है। जिसमें थाने और रिहायशी क्वार्टरों के लिए जमीन एक्वायर की गई थी। छठा केस 1974 का है जिसमें स्पोर्ट्स स्कूल, राई के विकास के लिये जमीन एक्वायर की गई थी। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, एक केस ऐसा नोटिस में आया था कि एक सरकारी कर्मचारी को समय से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया। इसलिये गवर्नमेंट को उसे 7 महीने की तनख्वाह देनी पड़ी। वह कोर्ट में चला गया। वह एक्सैप्टानल केस था और वह फौजी आदमी था। सरकार ने उसको मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर रिटायर कर दिया लेकिन बाद

में रिकार्ड से यह पाया गया कि उसने जो मिलिट्री डिसचार्ज सर्टीफिकेट दिया था। उसमें उसकी उम्र ठीक नहीं थी। इसलिये उसके रिकार्ड से उसकी उम्र ठीक पाई गई और उसको जितना बेंनीफिट मिलना चाहिए था वह उसको दे दिया। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हैल्थ डिपार्टमेंट के एक ड्राइवर से एक एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण एक बूढ़े आदमी की मौत हो गई। उसके बाद मृतक की पत्नी ने कोर्ट में मुआवजे के लिए केस दायर कर दिया। कोर्ट ने उसका मुआवजा देने का फैसला कर दिया। यह कोई ज्यादा अमाउन्ट भी नहीं था। यदि यह पैसा गवर्नमेंट उसी वक्त दे देती तो कोई आपत्त वाली बात नहीं थी। लेकिन ऐसा होता है कि ऐसे केस में मुआवजा दिया जाए तो कितना दिया जाए उसका अमाउन्ट कोर्ट में ही तय होता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि एक आदमी की एक्सीडेंट से मौत हो जाए और उसके परिवार वाले यह कहें कि हमें एक लाख या 50 हजार रूपया मुआवजे का मिलना चाहिये। सरकार की तरफ से ऐसे केसिज में 10 या 20 हजार रूपये तक निश्चित किए जाते हैं। इस लिये ऐसे केसिज में अदालत मुआवजा तय करती है कि इतना अमाउन्ट दिया जाए। इसलिये यह अनिवार्य है कि ऐसे केसों का मुआवजा अदालत से तय करवाया जाए। आंशिक के लिये इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे केसिज में देरी न हो। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्य ने यह कहा कि मेरे हल्के में केवल बिजली का ही साधन है दूसरे सोर्सिज से पानी नहीं मिलता। इसलिये मेरे हल्के में ज्यादा

बिजली मिलनी चाहिए। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे हल्के में ट्यूबवैल कामयाब नहीं हैं क्योंकि जमीन के नीचे पानी ठीक नहीं है इसलिये नहरों में ज्यादा पानी दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में एक काल अटैन् इन मौ इन के जवाब में आई० पी० एम० साहब ने सदने को बता दिया था। इसके अलावा जितनी नहरें है वे इस समय लगभग पूरा पानी दे रही हैं और जहां भी पीने का पानी जा सकता है वह जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहन चन्दावती ने इस बिल पर बोलते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार चल ही नहीं रही है, प्रदे १ में ला एन्ड आर्डर ठीक नहीं है और एस० एस० एस० बोर्ड में बहुत करप् इन हैं। अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने चारों तरफ से करप् इन दिखाई दे रही हैं और सरकार सोई हुई नजर आ रही है। बहन जी को यह बहम हो गया है कि इन्हे सरकार सोई हुई नजर आ रही हैं। मैं बहन जी का वहम दूर करने के लिये कहना चाहता हूं कि सरकार बिल्कूल ठीक काम कर रही हैं और प्रदे १ के विकास के कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं। सरकार सोई हुई नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको यह सरकार जागी हुई नजर आएगी। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने खर्च कर दिया लेकिन इनको यह पता नहीं कि कल्चर क्या चीज है। मैं बहन जी की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि एजूके इन हैड के नीचे जो पैसा खर्च किया गया है वह स्पोर्ट्स स्कूल, राई के विकास के मुताल्लिक खर्च किया गया और वह एजूकै इन के हैड में लिखा हुआ है। आर्ट और कल्चर एजूके इन के हैड के साथ जुड़े हुए

हैं। इसलिये बहन जी को यह भ्रम हो गया है कि यह पैसा क्लचर पर खर्च किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आर्ट क्लचर और एजुके इन इन तीनों का एक ही हैड हैं। इसके अलावा बहन जी ने कुछ दबी हुई जुबान में यह कहा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रे इन में बहुत ही गलत तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है और ला एन्ड आर्डर की हालत ठीक नहीं है। इसके साथ ही बहन जी ने यह भी कहा कि हरियाणा में एक दो कत्ल हर रोज होते हैं। अध्यक्ष महोदय, ला एन्ड आर्डर की हालत के बारे में कल प्र नात्तर काल के दौरान कई सवालों के जवाब में सारी स्थिती स्पष्ट हो गई थी। सत्य यह है कि सारा दे ा इस बात को मानता है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदे ा है जहां पर ला एन्ड आर्डर की कोई प्रोब्लम नहीं है। हमारी सिस्टर स्टेट पंजाब और दूसरें प्रदे ा अपने यहां यह उदाहरण कोट करते हैं कि हरियाणा एक ऐसा प्रदे ा है जहां पर बहुत डिवैल्पमेंट हुई है और भ्रान्ति भी बहुत है। लेकिन ठीक बात को मेरे विरोधी पक्ष के भाई खीचतान कर कहते हैं और अपने हल्के के लोगों को खु ा करने के लिए प्रचार के तौर पर बात को बढा चढाकर कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे विरोधी पक्ष के सदस्यों ने पिछले दो दिन से अखबारों के जरिए इस बात का जहर फैलाया है और यह दावा किया है कि पुलिस के जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं वे एक जाति वि ाश से संबंध रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष के भाईयों से पुलिस कर्मचारियों के मामलों में प्रार्थना करूंगा कि यदि आप प्रदे ा में ला एन्ड ओर्डर चाहते हैं और भ्रान्ति चाहते हैं तो आपको अपने दिल पर काबू

रखना पड़ेगा। मैं इनसे यह बात भी कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में सबसे ज्यादा अमान्ति तो आप लोग फैलाते हैं। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप केवल प्रचार के तौर पर जनता में इस प्रकार का जहन न फैलाएं और इस प्रकार की स्टेटमेंट अखबारों में न दें। अध्यक्ष महोदय, 363 पुलिस कर्मचारी हटाए गए हैं जिनमें से 161 कर्मचारी एक कम्युनिटी के हैं बाकी अलग अलग कम्युनिटी के हैं। (गोर एव व्यवधान)

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार 641 पुलिस कर्मचारी हटाए गए हैं। वित्त मन्त्री, जी गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 363 कर्मचारी हटाए गए हैं। (गोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दहिया साहब, वित्त मन्त्री जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वह छपेगी अगर आप इनकी बात गलत समझते हैं तो चैलेज कर दें। (गोर)

चौधरी कटार सिंह छोकर: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिल्कुल इररैलेवन्ट बोल रहे हैं। (गोर)

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि जो पुलिस कर्मचारी हटाए गए हैं उनको बारे में बोलने के लिये हमें कल भी मौका नहीं दिया गया और इन्होंने दूसरे तरीके से अखबारों में अपनी स्टेटमेंट छपवानी चाही।

स्पीकर साहब, कल प्रैस स्टेटमेंट के जिरए अखबारो में छपा हैं कि सारे कर्मचारी एक ही जाति के हटाए गए हैं। फाईनैन्स मिनिस्टर साहब यह कहते हैं कि विरोधी पक्षके सदस्य इररैलैवैन्ट बात कहते हैं। ये हमारी हर बात को इररैलैवैन्ट कहते हैं। स्पीकर साहब, 93 परसैन्ट पुलिस कर्मचारी एक ही कम्यूनिटी के हटाए गए हैं। आप चाहे इस चीज की इन्क्वायरी करने के लिए एक कमेटी बना दिजिए और उस कमेटी के चेयरमैन भी बन जाएं, हमें मंजूर हैं। लेकिन हम यह बात कहते हैं कि पुलिस डिसिप्लिन में इनडिसिप्लिन नही होना चाहिए। स्पीकर साहब, यदि एक ही कम्यूनिटी के साथ ज्यादाती हो रही हैं और हम उसके बारे में न्याय देने की बात कहते हैं तो ये कहते हैं कि यदि कोई बि नोई भी निकाला जाएगा तो हम उसके लिये भी कहेंगे कि यह ज्यादाती हो रही हैं। यदि किसी एक कम्यूनिटी के आदमीयों को सर्विस से निकाला जाएगा तो हम उसके बारे में जरूर बात कहेंगे। यह हमारा अधिकार हैं (गोर)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, हम यह कह रहे हैं कि 600 के करीब पुलिस कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त किए गए हैं और ये कह रहे हैं कि 363 निकाले गए हैं। हमारे नोटिस में 600-650 पुलिस कर्मचारी नौकरी से निकाले हुए आए हैं। हमारी बात को ये कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ भाब्द इनको प्रयोग नही करना चाहिए।(गोर)

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, मै जो बात कह रहा हूं वह आकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। मेरी इस बात को ये चैलेन्ज कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप कहते हैं कि 600 या 650 पुलिस कर्मचारी निकाले गए हैं और ये कह रहे हैं कि 363 कर्मचारी निकाले गए हैं। दोनों फिगर मै कन्ट्राडिक्टिव हैं।(गोर)

डा० मंगल सैन: वित्त मन्त्री जी तो यह कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे। हम सच्च बोल रहे हैं।(गोर)

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, मैने ऐसा नहीं कहा है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अभी जैसा वीरेन्द्र सिंह जी ने बताया कि इस मामले में एक कमेटी गठित कर दी जाए। मेरी भी यही राय है कि इस बात का निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन कर दिया जाए।(गोर)

श्री अध्यक्ष: मै इसे देख लूंगा।(गोर)

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, सारे साथियों ने इस बात पर जोर दिया है कि अनु पासन बनाये रखा जाना चाहिए। सारे कर्मचारियों में अनु पासन रहना चाहिए और खासकर पुलिस कर्मचारियों को तो अनु पासन में रहना ही चाहिए। उन्होंने

अनु शासन को बनायो रखना होता है। इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं है कि पुलिस कर्मचारी नौकरी से क्यों निकाले गए। इनको तो आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि एक ही कम्युनिटी के कर्मचारी निकाले गए है।(गोर)

श्री कंवल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, इन्होंने जिन कर्मचारियों को निकाला है उनको अनु शासन भंग करने के आरोप में नहीं निकाला। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि पंजाब में अमृतसर के अन्दर 300 जवान थे। उन्होंने वहां पर खाने का बहिष्कार कर दिया था। लेकिन सरकार ने उन में से सिर्फ 100 को ही निकाला। यदि अनु शासन भंग का मामला हो तो सभी कर्मचारियों पर होना चाहिए। सभी के सभी कर्मचारी नौकरी से निकाले जाने चाहिए थे। जबकि सरकार ने उन में से सिर्फ 100 कर्मचारियों को जो एक ही कम्युनिटी के थे, नौकरी से निकाल दिया है।(गोर)

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, ये प्रदे 1 को नक्शा बिगाड़ना चाहते हैं। इन्हें प्रदे 1 का प्रशासन बनाये रखने में सरकार को सहयोग देना चाहिए।(गोर)

श्री मनफूल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, पानीपत के पास गांव छाजपुर में कुछ मजहबी सिख काफी सालों से बैठे हुए हैं। उनके पास कुछ एकड़ जमीन थी। उन पर उन्होंने बाड़ी वगैरह लगा रखी थी। उस बाड़ी को कटवा

कर वित्त मन्त्री जी ने वह जमीन अपने रि तेदारों के नाम करवा दी है जबकि वह जमीन उनके नाम ही रहनी चाहिए। इन मजहबी सिखों को वहां पर कब्जा किए हुए काफी साल हो गए हैं। उन्होंने डी० सी० साहब को भी एप्लीके टन वगैरह दी हुई हैं। उन्होंने प्राईम मिनिस्टर साहब को भी पत्र लिखा है और राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने सरदार बूटा सिंह को भी इस बारे पत्र लिखकर सूचित किया है लेकिन उनकी कोई सनवाई नहीं हो रही। वे बेचारे गरीब हैं।।(गोर)

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

Chautheri Phool Chand: They should not be allowed to say such things in this House. It is a wastage of the time.

चौधरी कटार सिंह छोकर: जो फिगरज मैं दे रहा हूं उसके बारे में ये चैलेन्ज कर सकते हैं(गोर) जहां तक भाई मनफूल सिंह का संबंध है, इन को मेरे से कोई गिला ि टकवा हो सकता है। वैसे भी ये मेरे भाहर के नजदीक के रहने वाले हैं। इनको मैं अच्छी तरह जानता हूं। इनमें मेरा वि वास नहीं था, इसलिये मैं इनका अपने साथ नहीं लाया।(हंसी व गोर)

श्री मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने मेरे को अपनी पार्टी के भामिल करने के लिए बहुत को ि टा की। यहां तक कि मेरे छोटे भाई को जो पुलिस में नौकरी करता था, बर्खास्त कर दिया। मैंने आज तक इनको या सरकार को यह नहीं कहा कि मेरे

भाई को क्यों बर्खास्त किया गया है? (तोर) स्पीकर साहब, मैं उस जाति से सम्बन्ध रखता हूँ जिन्होंने सतयुग के अन्दर राजा हरि चन्द्र को खरीद लिया था। (विघ्न)

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, मेरी हाउस से प्रार्थना है कि बिल की कंसीड्रे इन मो इन को पास किया जायें।

Mr. Speaker: Now I will put the motion to the vote of the House.

प्र न है कि—

दि हरियाणा एप्रोप्रिए इन (न0 4) बिल पर तुरन्त विचार किया जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा।

क्लाज—2

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि क्लोज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज—3

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि कलाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाड्यूल

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि ि ाड्यूल बिल ि ाड्यूल हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कलाज-1

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि कलाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैकिटिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि अनैकिटिंग फार्मूला बिल का अनैकिटिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए।

श्री कंवल सिंह(धिराय): अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ने बसों का किराया बढ़ाया है लेकिन इस बिल में उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं गवर्नमेंट से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसने अब किराया न बढ़ाने का फैसला किया है या इसे ये किसी आर्डिनैस के जरिए बढ़ाएंगे?(विधन)

चौधरी कटार सिंह छोकर: अध्यक्ष महोदय, किराया बढ़ाने का इसमें जिक्र नहीं आता। इसमें तो टैक्स का जिक्र आता है।(विधन)

चौधरी रोान लाल आर्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ क्योंकि तीन दिनों के बाद आज आपने मुझे बोलने का समय दिया है।

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, यह तो आपने बड़ी खराब बात कह दी। इतना समय देने के बावजूद भी अगर यह कहा जाए, तो बड़े अफसोस की बात हैं। आज भी ट्रेजरी बैचिज से केवल दो आदमी बोले हैं।(विघ्न) कुछ सोच समझ कर यहां बात कहनी चाहिए।

श्रीमति चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी हैं क्योंकि आपने हमें काफी टाईम दिया।

श्री अध्यक्ष: आप अपने मैम्बरज को भी तो समझाएं कि यहां कैसे बात करनी चाहिए।

श्रीमति चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि ये नए मैम्बरज हैं।

चौधरी रोान लाल आर्य: अध्यक्ष महोदय, इस समय ऐप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर बहस हो रही है। मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से सरकार लोगों को कुछ मुआवजा देती है लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को कोई रिलिफ नहीं दिया जाता। उदाहरण के रूप में आप मेरहलके को ही ले लीजिए। वहां आग लग जाने की वजह से बहुत से गांव जल गए हैं लेकिन उनको कोई राहत नहीं दी गई। चोढ़पुर कलां में तो लोगों के घर भी जल गए, अनाज भी जल गया और बिस्तर आदि भी जल गए लेकिन वहां लोगों को कुछ भी राहत नहीं दी गई। मैंने सरकारी

अधिकारीयों को लोगो के प्रार्थना पत्र भिजवाए परन्तु आज तक उन पर कोई एकान नहीं लिया गया। सरकार इस तरफ ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, छछरौली मे हस्पताल, ट्रेजरी, ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंज और रैस्ट हाउस की बिल्डिंग पी0डब्ल्यू0डी0बी एन्ड आर0) ने अनसेफ डिक्लेयर की हुई है लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कोई नई बिल्डिंग बनाने को कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। सरकार इस और भी कृपया ध्यान दें।

अगली बात अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के नाटिस में यह लाना चाहूंगा कि कई सड़को का ज्यादातर हिस्सा तो बन गया है लेकिन एक डेढ किलोमीटर के टुकड़े न बनने की वजह से वह सड़कें भी बेकार हो गई हैं सरकार को चाहिए कि ऐसी सड़कों को जल्दी से जल्दी कम्पलीट करवाए।

शिक्षा विभाग के बारे में मेरा सुझाव है कि हरियाणा के संस्कृत साहित्य ऐकैडमी बनाई जाए जिससे संस्कृत भाशा का विकास हो सके औरप नए लेखक और विद्वान छुपी पड़ी हुई संस्कृत साहित्य की बहूमूल्य निधी को रोानी में ला सके।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में आदे र्शि गावों का निर्माण किया जाना चाहिए। हर जिले मे कम से कम एक आदर्श गाव

बसाया जाए ताकि लोगों को सफाई और स्टैन्डर्ड से रहने की ट्रेनिंग मिल सके ।

स्पीकर साहब, सरकार को चाहिए कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देकर वह गांव में लाखों बेकार बैठे हुए काम करने की क्षमता रखने वाले नोजवानों की बेकारी दूर करें ।

अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट एक कम्यूनिके ान के सम्बन्ध में एक सुझाव में सरकार को देना चाहूंगा । सरकार को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि गांव के लोगों को भी लोकल बस सर्विस की सुविधा मिल सके । आज लोग न तो कोर्टस में समय से पहुंच सकते हैं, न हस्पताल में टाईम से पहुंच सकते हैं और न ही बच्चे समय से स्कूल जा सकते हैं ।।

अध्यक्ष महोदय, छछरौली तहसील हैडक्वार्टर है लेकिन वहां नाम के लिए भी मोटर भौड नहीं बनाया गया है । रोडवेज अधिकारियों को चाहिए कि वहां जल्दी से जल्दी या तो मोटर भौड बनाया जाए या बस स्टैन्ड बनाया जाए ।

स्पीकर साहब, मेरे हल्के में हिमाचल के बोर्डर से लगता हुआ खिजराबाद नाम का एक गांव है । वहां हस्पताल तो है लेकिन दवाइयों की व्यवस्था नहीं है । मैं वहा स्वास्थ्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वे किसी दिन वहां अचानक छापा मारें । वहां का डाक्टरप हमे ाा भाराब पिये रहता है ।(विघ्न) इन भाब्दों के

साथ आपका धन्यावाद करते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थान लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: जैन्टलमैन, अन्त मैं आ रो ान लाल आर्य जी ने एक ऐसी बात कह दी जिससे मैं बड़ा महसूस कर रहा हूँ। हर मैम्बर साहब को इतना अकमोडेट करने के बाद भी अगर यहाँ ऐसी बात कही जाए तो अच्छा नहीं लगता। (विघ्न) फिर भी आप साहेबान ने जो ओआप्रेरुन दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्रीमति चन्द्रावती: सर, इसमें कोई भाक नहीं कि आपने हमें बड़ा अकमोडेट किया। नया मैम्बर होने की वजह से उन्होंने ऐसी बात कह दी वरना कोई ऐसी बात नहीं है हम इस बात के लिये आपका बहुत धन्यावाद करते हैं।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, हम आपके तो बहुत आभारी हैं लेकिन चौधरी भजन लाल जी से यह कहना चाहते हैं कि अब चूंकि इन्होंने काफी माल इक्ठठा कर लिया है इसलिये जल्दी जल्दी मैं उन बुला लिया करें क्योंकि अब तो इन्हें कोई खतरा नहीं है।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: अब हाउस साईन-डाई ऐडजर्न किया जाता
हैं ।

13.26 बजे

(तत्प चात सदन साईने-डाई ऐडजर्न हुआ) ।